सत्यमेव जयते

असंशोधित

# बिहार विधान–सभा वादवृत्त

## सरकारी प्रतिवेदन

## 13 फरवरी, 2026

बिहार विधान सभा सचिवालय,
पटना ।

अष्टादश विधान सभा — शुक्रवार, तिथि 13 फरवरी, 2026 ई0
द्वितीय सत्र — 24 माघ, 1947 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय– 11:00 बजे)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । अब प्रश्नोत्तर काल होगा । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय, कार्यस्थगन...

अध्यक्ष : शून्यकाल में लायेंगे ।

प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न सं0–27, श्री विनय बिहारी (क्षेत्र सं0–05, लौरिया)

श्री मंगल पांडे, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, स्वीकारात्मक है । बिहार डेंटल कॉउन्सिल में रजिस्ट्रेशन का कार्य ऑफलाईन माध्यम से सुचारू ढंग से किया जा रहा है । दिनांक–10.02.2026 तक निबंधन एवं नवीनीकरण हेतु कोई भी आवेदन बिहार डेंटल कॉउन्सिल, पटना में लंबित नहीं है।

बिहार डेंटल कॉउन्सिल के रजिस्ट्रार, दंत चिकित्सक हैं, जिनका मूल पदस्थापन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजगीर, नालन्दा में है ।

बिहार डेंटल कॉउन्सिल में निबंधन एवं नवीनीकरण संबंधी कार्यों की त्वरित निर्वहन हेतु इनकी प्रतिनियुक्ति सप्ताह में दो दिन सोमवार एवं मंगलवार को बिहार डेंटल कॉउन्सिल, पटना में की गई है, जहाँ इनके द्वारा निबंधन एवं नवीनीकरण संबंधी कार्य सुचारू रूप से किया जा रहा है ।

बिहार डेंटल कॉउन्सिल में भी अन्य राज्यों से ऑनलाईन संबंधी प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर निबंधन एवं नवीनीकरण कार्य को ऑनलाईन करने के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी ।

श्री विनय बिहारी : महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि स्वीकारात्मक है । मेरा कहना है कि रजिस्ट्रार रहते हैं बाहर और सप्ताह में दो दिन काम करेंगे तो यह अच्छी बात नहीं होगी । मेरा कहना है बिहार डेंटल कॉउन्सिल पटना के लिये पूर्णकालिक, पूर्ण टाइम रजिस्ट्रार की पदस्थापना के बारे में माननीय मंत्री जी क्या कहना चाहेंगे और जहां एक आधार कार्ड बनाने के लिये ऑनलाइन की व्यवस्था है वहां इतनी बड़ी व्यवस्था को ऑनलाइन में चलाया जा रहा है । तो ऑनलाइन की व्यवस्था कब तक की जा सकेगी ?

श्री मंगल पांडे, मंत्री : महोदय, मैंने अपने जवाब में स्पष्ट किया है । आज 13 फरवरी है, 10 फरवरी तक कोई भी निबंधन और नवीनीकरण का आवेदन बचा हुआ नहीं है, कोई मामला लंबित नहीं है । मतलब दो दिन पहले तक जितने आवेदन आये हैं, सबका निष्पादन कर दिया गया है और ऑनाइन के संदर्भ में भी

बताया कि अन्य राज्यों से हम इसकी प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि ऑनलाइन प्रक्रिया यह हो जाए और उस संदर्भ में हम जानकारी प्राप्त करके अग्रेतर कार्रवाई करेंगे।

श्री विनय बिहारी : महोदय, फुल टाइम रजिस्टार की व्यवस्था कब होगी ? अगर बताते हैं तो बहुत खुशी होगी ।

श्री मंगल पांडे, मंत्री : महोदय, काम से मतलब है और काम पूरा हो रहा है । माननीय सदस्य की जो भावना है उसको हम दिखवा लेते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी देख लेंगे ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0–28, श्री अजय कुमार (क्षेत्र सं0–138, विभूतिपुर)

श्री नारायण प्रसाद, मंत्री : महोदय, यह प्रश्न शिक्षा विभाग को ट्रांसफर है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य यह प्रश्न शिक्षा विभाग को ट्रांसफर है । अगली तिथि में आयेगा। माननीय सदस्य, श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह जी ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0–29, श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह (क्षेत्र सं0–16, कल्याणपुर)

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय पूछता हूं ।

अध्यक्ष : उत्तर अगर मिल गया है तो पूरक पूछ लीजिये ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, उत्तर देखे नहीं हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी उत्तर पढ़ दीजिये ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय खंड–1 स्वीकारात्मक है ।

खंड–2 अस्वीकारात्मक है । मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बिहार द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि सरकारी परियोजनाओं में व्यवहृत खनिज हेतु बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम 57 (1) के अनुसार ''सरकारी कार्य विभाग का संवेदक अपनी स्कीम एवं परियोजनाओं के लिए व्यवहृत लघु खनिज का परिवहन चलान/परमिट संबंधित कार्य विभाग को समर्पित करेगा ।'' उक्त कंडिका में संवेदक शब्द का प्रयोग है । अतः नियम से स्वतः स्पष्ट है कि उक्त नियमावली विभागीय कार्यों के लिए लागू नहीं है । उल्लेखनीय है कि खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा इस संदर्भ में समय–समय पर यथा संशोधित नियम/निदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।

(3) उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो 15 लाख रुपया की सीमा रखी गयी है विभागीय कराने का या टेंडर कराने का ? राज्य के कई जिलों में यह काम विभागीय होता है । पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली एवं अन्य कई जिले हैं जहां इसे टेंडर से किया जाता है । अब टेंडर में अगर 1 लाख का भी टेंडर होता है, उसमें भी उस पर

चालान की जरूरत पड़ती है । अगर एक टोकरी गिट्टी उसमें लगती है तो उसका भी चालान देना पड़ता है तो हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि क्या इसको आप चालान से फ्री करना चाहते हैं ? दूसरा कि यह 2015 में संशोधित हुआ कि 10 लाख की सीमा को बढ़ाकर 15 लाख की जाती है मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, एम0पी0लैड्स इन सभी योजना में और उस समय जो रेट था इन सब सामाग्रियों का उस समय के रेट में जो काम होता था आज उस रेट में दुगुना से ज्यादा का परिवर्तन हो गया । तो क्या माननीय मंत्री जी इस सीमा को बढ़ाना चाहते हैं ? 15 लाख से 25 लाख, 30 लाख करना चाहते हैं और चालान में छूट देना चाहते हैं ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : माननीय सदस्य यह खनन विभाग का मामला है, इसका प्रश्न आप खनन विभाग से करियेगा, यह योजना विभाग का मामला नहीं है ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : महोदय, आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि यह योजना एवं विकास विभाग का मामला है । इस सीमा को बढ़ाकर 25 लाख किया जाए, 30 लाख किया जाए । यह तो योजना एवं विकास विभाग का मामला है और माननीय खनन विभाग के मंत्री जी भी बैठे हुये हैं सदन में, आपके संरक्षण में मैं यह जानना चाहता हूं, पूरा सदन जानना चाहता है क्योंकि सब जगह यह परेशानी हो रही है । एक टोकरी बालू लगता है तो उसका भी चालान दीजिये, एक टोकरी गिट्टी लगता है तो उसका भी चालना दीजिये और काम में बाधा हो रही है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : आप 15 लाख की सीमा को बढ़ाने कहते हैं तो इसको हम दिखवा लेंगे, समीक्षा करेंगे कि इसमें क्या किया जा सकता है ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद यादव : माननीय मंत्री खनन विभाग भी बैठे हुये हैं..

अध्यक्ष : बैठ जाइये, माननीय मंत्री जी को समीक्षा करने दीजिये । सरकार ने कहा है कि समीक्षा कर विचार किया जायेगा । बैठिये ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या–30, श्री मंजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या–100, बरौली)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1– वस्तुस्थिति यह है कि बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना द्वारा सत्र–2023–24 के प्रभाव से पारामेडिकल/नर्सिंग/फार्मेसी डिप्लोमा/सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों की संबद्धता एवं परीक्षा लिए जाने का कार्य किया जा रहा है। सत्र 2023–24 में उक्त पाठ्यक्रमों से संबंधित संस्थानों के संबंद्धन एवं छात्रों के संबंध में स्थित निम्नवत हैः–

(i)

| | नर्सिंग (ए॰एन॰एम॰/ जी॰एन॰एम॰) | फार्मेसी (डिप्लोमा) | पारामेडिकल (डिप्लोमा/ सर्टिफिकेट) | कुल |
|---|---|---|---|---|
| संबद्धता प्राप्त संस्थानों की संख्या | 330 | 79 | 79 | 488 |
| कुल नामांकन क्षमता | 27818 | 4740 | 11925 | 44483 |
| पंजीकृत छात्र–छात्राओं की संख्या | 24509 | 4453 | 4272 | 33234 |
| संबंधित कोर्स की परीक्षा हेतु फार्म भरने वाले छात्र–छात्राओं की संख्या | 17782 | 2419 | 3023 | 23224 |

सत्र 2024–25 के लिए संस्थानों के संबद्धता/अवधि विस्तार की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

2– स्वास्थ्य विभाग द्वारा पारामेडिकल/पारा डेन्टल/ फार्मेसी डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स तथा जी0एन0एम0 एवं ए0एन0एम0 कोर्स के संबंद्धन एवं परीक्षा से संबंधित कार्य बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना द्वारा ही किये जाने संबंधी दिशा–निर्देश के क्रम में उक्त पाठ्यक्रमों से संबंधित सरकारी/गैर सरकारी संस्थानों के संबंद्धन एवं नामांकित छात्र–छात्राओं के पंजीयन एवं परीक्षा संबंधी अग्रेतर कार्रवाई विश्वविद्यालय द्वारा प्रारम्भ की गयी।

इसी क्रम में, बालाजी नर्सिंग स्कूल एवं अन्य 17 संस्थानों द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या–19010/2024 दायर किया गया, जिसमें माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–25–03–2025 को स्थगन आदेश पारित किया गया। पुनः दिनांक–14–10–2025 को इस याचिका को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा खारिज कर दिया गया।

इस प्रकार पारा मेडिकल ANM/GNM और फार्मेसी कोर्स के संबंद्धन एवं परीक्षा का कार्य बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को प्रदान किये जाने संबंधी स्वास्थ्य विभागीय आदेश की वैधता को माननीय पटना उच्च न्यायालय में कई संस्थानों द्वारा चुनौती दिये जाने एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश प्रभावी रहने के कारण विश्वविद्यालय द्वारा उक्त सत्र के छात्र–छात्राओं की परीक्षा सम्पन्न कराने में विलम्ब हुआ है।

3–सत्र 2023–24 के पारामेडिकल, नर्सिंग एवं फार्मेसी संकाय के डिप्लोमा कोर्सों के शेष बचे संस्थानों के संबद्धन, छात्र/छात्राओं के पंजीयन एवं परीक्षा फार्म भरवाने की कार्रवाई करते हुए माह मार्च–अप्रैल महीने में परीक्षा आयोजित किए जाने हेतु कार्रवाई की जा रही है।

सत्र 2023–24 के छात्र/छात्राओं का परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात सत्र 2024–25 के छात्र/छात्राओं का परीक्षा आयोजित की जाएगी ।

श्री मंजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि सत्र 2023–24 और 2024–25 में ANM/GNM, पारामेडिकल और फार्मेसी कोर्स की परीक्षा पटना उच्च न्यायालय के पारित आदेश के कारण संपन्न कराने में विलंब हुआ है । महोदय, 37 पन्ने के कोर्ट का निर्णय मेरे पास है, उसमें कहीं भी नामांकन लेने का, परीक्षा स्थगित करने का माननीय उच्च न्यायालय का कोई आदेश नहीं है और अपने उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि 2024–25 का परीक्षा ANM/GNM को हम आयोजित करेंगे । महोदय, ANM दो वर्षों का कोर्स है और GNM तीन वर्षो का कोर्स है और महोदय, 2023–24, 2024–25 और 2025–26 की परीक्षाएं अब तक बिहार के अंदर नहीं हुई हैं । तो माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि तीनों सत्रों की परीक्षा लेने में क्या कठिनाई है और नियमित परीक्षा हो, उसके लिये सरकार की क्या योजना है ?

श्री मंगल पांडे, मंत्री : माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है महोदय लेकिन मैंने जवाब में बहुत स्पष्ट लिखा है कि 2023–24 की जो परीक्षा है, वह इसी मार्च और अप्रैल में ले लिया जायेगा । उसके बाद बचा 2024–25 के सत्र का तो 2023–24 सत्र का परीक्षा जब हम मार्च और अप्रैल में ले लेंगे उसके बाद 2024–25 का भी परीक्षा हम शीघ्र ले लेंगे और नियमित परीक्षा लिया जाए । इस हेतु विश्वविद्यालय को निर्देशित भी किया गया है ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या–31, श्रीमती सावित्री देवी (क्षेत्र संख्या–243,चकाई)</u>

अध्यक्ष : श्रीमती सावित्री देवी ।

श्रीमती सावित्री देवी : पूछती हूं ।

श्री मंगल पांडे, मंत्री : महोदय, जवाब दिया हुआ है, कोई पूरक अगर है तो पूछ लें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या जवाब पढ़ी हैं ? पूरक पूछ लीजिये ।

श्रीमती सावित्री देवी : जवाब नहीं देखे हैं महोदय ।

श्री मंगल पांडे, मंत्री : महोदय, जवाब अपलोड है, पढ़ लिया जाए ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी जवाब पढ़ दीजिये । माननीय सदस्या जवाब सुन लीजिये ।

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना के संकल्प संख्या–12535 दिनांक–17.09.2018 की कंडिका सं०–3(ii) में बिहार राज्य के अन्दर अवस्थित अभियंत्रण महाविद्यालयों/

चिकित्सा महाविद्यालायों/पशु चिकित्सा महाविद्यालयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए सभी आरक्षण कोटि में 50 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू करने का प्रावधान किया गया है। उक्त संकल्प की कंडिका–4 में उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार सेवा/संवर्ग नियमावली को संशोधित करने का भी निदेश दिया गया है।

टर्न–2/धिरेन्द्र/13.02.2026

....क्रमशः....

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सामान्य प्रशासन विभाग के उक्त निदेश के आलोक में ही बिहार दन्त चिकित्सक सेवा (संशोधन) नियमावली–2023 के नियम–6(iii) एवं दन्त चिकित्सक की नियुक्ति हेतु बिहार तकनीकी सेवा आयोग से प्रकाशित विज्ञापन संख्या–20/2025 की कंडिका–5(ii)(h) में 50 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण संबंधी उक्त प्रावधान को अंकित किया गया है।

उल्लेखनीय है कि विज्ञापन सं०–20/2025 से संबंधित कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा उक्त प्रावधान के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में समादेश याचिका संख्या–427/2026, गौरव वर्मा एवं अन्य दायर किया गया है, जो सम्प्रति विचाराधीन है तो उसके निर्णय के आलोक में आगे करेंगे ।

श्रीमती सावित्री देवी : अध्यक्ष महोदय, डोमिसाइल लागू होगा या नहीं होगा । यह मैं जानना चाहती हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप क्या कह रही हैं, उसे दोबारा बोल दीजिये ।

श्री संदीप सौरभ : महोदय, इनका जो सवाल है उसमें डोमिसाइल की बात है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप ही उनकी जगह पूछ लीजिये ।

श्री संदीप सौरभ : महोदय, ठीक है । महोदय, सवाल जो है वह डोमिसाइल को लेकर है कि डोमिसाइल उस परीक्षा में लागू होना है या नहीं होना है और माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह क्षैतिज आरक्षण के संबंध में है । बिहार के युवाओं को उसमें विशेष अवसर मिलेगा या नहीं ? यह सवाल है ।

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य प्रश्न का जवाब पढ़ सकते हैं । शुरू में, ऊपर में ही जो मैंने दो खण्डों में जवाब दिया है वह क्षैतिज आरक्षण से संबंधित था । अंत में जवाब को जो मैंने कंक्लूड किया है उसमें बहुत साफ लिखा है कि उस विज्ञापन के अगेंस्ट में कतिपय अभ्यर्थी, जिसमें डोमिसाइल का ही विषय लेकर वे कोर्ट गए हुए हैं, जिसका सी॰डब्ल्यू॰जे॰सी॰ नंबर भी मैंने आपको बताया है, जब उस मामले को लेकर अभ्यर्थी कोर्ट गए हैं तो जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आ जायेगा तब तक हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती अनीता ।

(व्यवधान)

कोर्ट में लंबित है तो इस पर क्या चर्चा होगी । माननीय मंत्री ने कहा है कि जो विषय कोर्ट में लंबित है तो कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिये ।

श्री संदीप सौरभ : महोदय, सवाल तो है कि सरकार चाहती है या नहीं चाहती है । कोर्ट का निर्णय तो अलग चीज है । अभी सरकार ने पिछले समय में शीक्षा विभाग के अंतर्गत जो बहालियां आयेंगी, उसमें डोमिसाइल लागू किया है, पहले तो लागू नहीं था, लंबे समय से मांग थी तो डेंटल की परीक्षा में सरकार डोमिसाइल लागू करना चाहती है या नहीं चाहती है ? माननीय सदस्या का सिर्फ वही सवाल था । कोर्ट में मामला चल रहा है तो जवाब में एक भी जगह डोमिसाइल का जिक्र नहीं है ।

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य से निवेदन होगा कि आप फिर से एक बार जवाब पढ़िये । जवाब में बहुत साफ लिखा है कि सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश का अनुपालन करने के लिए हम तैयार हैं और सामान्य प्रशासन विभाग का निर्देश सभी विभागों पर लागू होता है, उसी के अगेंस्ट कुछ लड़के कोर्ट चले गए हैं तब मैं अभी उस पर कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या–32, श्रीमती अनीता (क्षेत्र संख्या–239, वारिसलीगंज)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पूरे नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना के क्षेत्रान्तर्गत समान्यतः किसानों को सिंचाई के लिए कृषि फीडर में 8 घंटे प्रतिदिन निर्बाध विद्युत की आपूर्ति की जा रही है। अल्प वर्षा/सुखाड़ की स्थिति में मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रेस विज्ञप्ति संख्या CM–214, दिनांक 25.07.2024 के अनुपालन में कृषि फीडर में 14 घंटे प्रतिदिन निर्वाध विद्युत की आपूर्ति की जाती है।

श्रीमती अनीता : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद । उत्तर तो मिला है लेकिन मैं इसको दोहराना चाहूँगी कि मैंने मांग की थी 24 घंटे प्रतिदिन बिजली आपूर्ति कराने का विचार रखती है यानी पूरे बिहार प्रदेश में किसानों को सिंचाई के लिए विद्युत कृषि फीडर में मात्र 08 घंटे ही बिजली आपूर्ति किए जाने के कारण किसानों को बड़े भू–खण्डों की सिंचाई में कई दिन लग जाते हैं जिससे फसल की ऊपज अच्छे ढंग से नहीं हो पाती है । माननीय मंत्री महोदय यह बतायें और मैं मांग करती हूँ कि किसानों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, 24 घंटा किसान सिंचाई नहीं करता है, सुबह और शाम में ही करता है । इसीलिए चार–चार घंटा, जब अकाल आता है और कम वर्षा होती है तो मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार 18 घंटा तक किया जाता है लेकिन सामान्य तौर पर यही नियम है ।

(व्यवधान)

श्री अजय कुमार : महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहता हूँ कि 24 घंटा किसान खेत नहीं पटाते हैं लेकिन क्या सुबह 08 बजे से लेकर शाम 06 बजे तक किसान के लिए बिजली उपलब्ध है ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, सिंचाई सुबह और शाम में ही होती है, धूप में नहीं होता है । हमलोग भी किसान के बेटे हैं । ऐसा थोड़े ही है कि हमलोगों को मालूम नहीं है ।

श्री अजय कुमार : महोदय, आपने बोला कि सिंचाई 24 घंटा नहीं होता है तो मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि आपके हिसाब से दिन में ही सिंचाई होती है तो दिन में ही कृषि के लिए बिजली दें ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : माननीय सदस्य, आप लिखकर गारंटी दीजिये कि दुरुपयोग नहीं होगा तब हमलोग उस पर विचार करेंगे ।

श्री अजय कुमार : महोदय, दुरुपयोग रोकने के लिए तो बहुत बड़े लंबे–लंबे हाथ आपके हैं, आप रोक सकते हैं ।

अध्यक्ष : अजय बाबू और माननीय सदस्यगण, सरकार के द्वारा 08 घंटा नहीं 14 घंटा बिजली आपूर्ति की जा रही है उत्तर में है ।

(व्यवधान)

कृषि फीडर के बारे में ही मैं कह रहा हूँ । उत्तर में यही आया है ।

अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या–'क'-185, श्रीमती अनीता (क्षेत्र संख्या–239, वारिसलीगंज)

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आपका प्रश्न पर्यटन विभाग में ट्रांसफर हो गया है ।

श्रीमती अनीता : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर हमें नहीं मिला है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, यह प्रश्न ट्रांसफर हुआ है, अगली तिथि में आयेगा ।

श्रीमती अनीता : महादेय, मैं प्रश्न पढ़ सकती हूँ ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, कोई जरूरत नहीं है । जब उत्तर आयेगा तो पढ़ियेगा ।

श्रीमती अनीता : महोदय, एक और तारांकित है, उसके बारे में मैं क्लियर होना चाह रही हूँ, उसका उत्तर मुझे मिला है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, यह प्रश्न पर्यटन विभाग में ट्रांसफर हो गया है । अगली तिथि में आ जायेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या–885, श्री संजय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या–76, सिमरी बख्तियारपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में सहरसा जिलान्तर्गत सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के सिमरी बख्तियारपुर प्रखण्ड के कठडुम्बर

पंचायत में बिजली की आपूर्ति ग्रिड उपकेन्द्र सिमरी बख्तियारपुर से सुचारू रूप से की जा रही है।

33/11 के0वी0 विद्युत शक्ति उपकेन्द्र कठडुम्बर को पूर्व में ऊर्जान्वित किया गया था, परन्तु कोशी नदी में भीषण बाढ़ एवं कटाव के कारण 33 के0वी0 मुख्य लाइन पुनः क्षतिग्रस्त हो गया है। जिसे पुनर्स्थापित करने के लिए 05 अदद नये टावर का निर्माण प्रस्तावित है । संबंधित क्षेत्र में 02 अन्य 11 के0वी0 स्रोत से विद्युत की आपूर्ति सुचारू रूप से की जा रही है।

श्री संजय कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रश्न में यह पूछा हूँ कि सिमरी बख्तियारपुर विधान सभा के कठडुम्बर पंचायत में पावर ग्रिड का निर्माण कई महीनों पूर्व हो चुका है लेकिन वह अभी तक चालू नहीं हुआ है । जवाब मिला है लेकिन उसमें कहा गया है कि विद्युत आपूर्ति चालू है तो मैं चाह रहा हूँ, मंत्री महोदय बतायें कि यह वाला जो पावर ग्रिड बना हुआ है, वह कब तक चालू होगा ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य पूरा नहीं पढ़े हैं ।

श्री संजय कुमार सिंह : महोदय, हम पढ़े हैं ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा हुआ है पावर ग्रिड, हम तो समझ नहीं रहे हैं कि इनका प्रश्न क्या है लेकिन सब स्टेशन की बात है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पावर सब स्टेशन की ही बात होगी ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, 33/11 के0वी0 विद्युत शक्ति उपकेन्द्र कठडुम्बर को पूर्व में ऊर्जान्वित किया गया था, परन्तु कोशी नदी में भीषण बाढ़ एवं कटाव के कारण 33 के0वी0 मुख्य लाइन पुनः क्षतिग्रस्त हो गया है। जिसे पुनर्स्थापित करने के लिए 05 अदद नये टावर का निर्माण प्रस्तावित है । संबंधित क्षेत्र में 02 अन्य 11 के0वी0 स्रोत से विद्युत की आपूर्ति सुचारू रूप से की जा रही है । उसको भी जल्दी हमलोग करवा देंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न सं०–886, श्री विजय कुमार खेमका (क्षेत्र सं०–62, पूर्णियां)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पूर्णियाँ में आई बैंक की स्थापना हेतु कर्णांकित स्थल पर निर्माण से संबंधित कार्य पूरा कर लिया गया है तथा आवश्यक उपकरण एवं मानव बल की उपलब्धता सुनिश्चित करने से संबंधित कार्य प्रक्रियाधीन है ।

तदोपरान्त विहित प्रक्रिया के तहत् कार्रवाई करते हुए उक्त संस्थान को आई बैंक की स्थापना हेतु निबंधन प्रदान कर दिया जायेगा ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, उत्तर आया है, मेरा पूरक है । महोदय, मानीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे यहाँ पूर्व में मेडिकल कॉलेज...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछ लीजिये ।

श्री विजय कुमार खेमका : महोदय, पूरक ही पूछ रहा हूँ । महोदय, पूर्व में मेडिकल कॉलेज खुला है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है लेकिन जो नेत्रहीन दिव्यांग हैं, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकसित भारत और विकसित बिहार देखना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बिहार को देखना चाहते हैं । महोदय, मेरा पूरक है कि हमारे मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो कर्णांकित स्थल है, उस पर निर्माण कार्य पूरा हो गया है लेकिन यह जो कॉर्निया है जिससे कि हमारे यहां दर्जनों नेत्रदानी जो हैं, बगल के हास्पिटल के डॉक्टर के द्वारा लिफ्ट करा कर पटना भेजा जाता है और दधीचि देहदान समिति पूरे बिहार में जो हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिवंगत श्री सुशील मोदी जी, उसको बढ़ाने का काम किये । हमारे क्षेत्र में दर्जनों नेत्रदानी ने कॉर्निया देने का काम किया है लेकिन उनकी कॉर्निया सुरक्षित नहीं रखने के कारण काफी दिक्कत हो रही है । इसलिए मैं पूरक में स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि जो आपने कहा है कि उपकरण और मानव बल की उपलब्धता दोनों प्रक्रियाधीन है तो इसका टेंडर कब तक हो जायेगा और दूसरा पूरक है कि इसका निबंधन एक समय–सीमा बता दें कि कब तक हो जायेगा ताकि कॉर्निया सुरक्षित हो सके और नेत्रदानी को नेत्र का लाभ मिल सके ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : महोदय, अगले तीन माह में हो जायेगा ।

<u>तारांकित प्रश्न सं॰–887, श्री बाबुलाल शौर्य (क्षेत्र सं॰–151, परबत्ता)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि खगड़िया जिलान्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग–31 पर ट्रॉमा सेन्टर स्थापित करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

श्री बाबुलाल शौर्य : अध्यक्ष महोदय, उत्तर से संतुष्ट हूँ लेकिन एक पूरक है कि हम उस फर्किया जहाँ पर ट्रामा सेंटर की बात किये हैं । कटिहार से लेकर बेगूसराय तक के बीच में सैंकड़ों एक्सीडेंट वाले मरीज को हम अपने से हॉस्पिटल ले जाने का काम किये हैं । अगर समयावधि बता देते तो माननीय मंत्री जी का धन्यवाद होता और फर्किया पर भी इनकी पैनी नजर है, इसके लिए माननीय मंत्री जी को साधुवाद है । महोदय, समय–सीमा बता दें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

टर्न–3 / अंजली / 13.02.2026

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : महोदय, ट्रॉमा सेंटर बनाने के लिए, उसको कराने का काम हम करेंगे । मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं विशेष नजर रखूंगा कि वहां शीघ्रातिशीघ्र ट्रॉमा सेंटर स्थापित हो ।

तारांकित प्रश्न सं॰–888 , श्री कुमार सर्वजीत (क्षेत्र सं॰–229, बोधगया, अ॰जा॰)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि गयाजी जिला अंतर्गत प्रखंड फतेहपुर में विद्युत आपूर्ति हेतु 33/11 के0वी0 विद्युत शक्ति उपकेन्द्र, फतेहपुर अवस्थित है जिसकी कुल अधिष्ठापित क्षमता 33.15 MVA (6X5 MVA+ 1X3.15 MVA) है । वर्तमान समय में राज्य योजना अंतर्गत फतेहपुर प्रखंड के गुरपा में नया विद्युत शक्ति उपकेन्द्र का निर्माण किया गया है, जिसकी कुल अधिष्ठापित क्षमता 20 MVA (2X10 MVA) है । उक्त विद्युत शक्ति उपकेन्द्र से तीन अदद नया 11 के0वी0 फीडर नई दिल्ली–कोलकाता ग्रैंड कार्ड रेलवे लाइन को क्रॉसिंग कर रेलवे लाइन के दक्षिण स्थित नौडिहा, झरोग, जगतपुर, चरोखरी सहित अन्य पंचायत को निर्बाध गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति हेतु निर्माण किया जा रहा है जिसे जून, 2026 तक पूर्ण कर लिया जाएगा ।

फतेहपुर रेलवे लाइन के दक्षिण मोहनपुर प्रखंड के बेला मोहनपुर एवं बाराचट्टी प्रखंड के लथुआ में नया 33/11 के0वी0 विद्युत शक्ति उपकेन्द्र निर्माणाधीन है जिसे जून, 2026 तक पूर्ण करते हुए ऊर्जान्वित कर लिया जाएगा ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, उत्तर प्राप्त है । सिर्फ आग्रह कर रहे हैं, चूंकि आप जल्दी गुस्सा जाते हैं, तो बोलने में भी नहीं बनता है । हम सिर्फ आग्रह कर रहे हैं कि झारखंड से सटा हुआ यह पूरा इलाका है, गया से, दिल्ली से, गया–भाया–कलकत्ता रेलवे ट्रैक बनी हुई है, लाइन के इस तरफ 19 पंचायत में 12 पंचायत लाइन के उस तरफ है और बाकी इस तरफ है । बिजली विभाग ऐसे जितने लोग हैं सब परेशान हैं कि सर हमलोगों को बहुत परेशानी हो रही है, आप डिपार्टमेंट से सब–स्टेशन मांगिए और विभाग के आग्रह पर मैंने प्रश्न लाया था कि इस समस्या का समाधान हो जाएगा, अगर संभव है तो गांव में अच्छी विद्युतीकरण के लिए एक सब–स्टेशन बनाया जा सकता है, तो बना दिया जाए महोदय, हम यही आग्रह करते हैं ।

अध्यक्ष : बिजली आपूर्ति को लेकर हैं न ? माननीय मंत्री ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : ठीक है, इनकी बात हम मान लिए हैं ।

अध्यक्ष : मान लिये ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : जी महोदय ।

तारांकित प्रश्न सं॰–889, श्रीमती गायत्री देवी (क्षेत्र सं॰–25, परिहार)

श्रीमती गाायत्री देवी : महोदय, मैं पूछती हूं ।

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सदर अस्पताल, सीतामढ़ी में पदस्थापित स्त्री रोग विशेषज्ञ के द्वारा गर्भवती महिलाओं एवं जिस मरीज का अल्ट्रासाउण्ड कराना आवश्यक लगता है, वैसे मरीज को अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है ।

सदर अस्पताल, सीतामढ़ी में रेडियोलॉजिस्ट के 05 पद स्वीकृत हैं । उपलब्धता के आधार पर रेडियोलॉजिस्ट का पदस्थापन कर चरणबद्ध रूप से राज्य के चिकित्सा संस्थानों में सभी मरीजों के लिए अल्ट्रासाउण्ड की व्यवस्था की जायेगी । महोदय, इसमें माननीय सदस्य को एक जानकारी देना चाहता हूं कि दिनांक–03.10.2025 को एक रेडियोलॉजिस्ट का पदस्थापन सीतामढ़ी में किया गया है, परंतु संबंधित चिकित्सक द्वारा अभी तक योगदान नहीं किया गया है, तो यह कठिनाई है और विभाग प्रयासरत है कि हम वहां पर रेडियोलॉजिस्ट की पदस्थापना शीघ्रातिशीघ्र कर दें ।

श्रीमती गायत्री देवी : अध्यक्ष महोदय,

अध्यक्ष : श्री राम विलास कामत । माननीय मंत्री जी ने तो बताया कि करवा देंगे ।

श्रीमती गायत्री देवी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से एक पूरक है । मैं धन्यवाद देती हूं कि आपके नेतृत्व में चिकित्सा की सुविधा बड़े पैमाने पर बढ़ी है, परंतु मेरा प्रश्न है कि सीतामढ़ी सदर अस्पताल में सिर्फ गर्भवती महिला का अल्ट्रासाउंड होता है, पर अन्य मरीजों का नहीं होता है अर्थात् अन्य मरीजों के लिए कब तक अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था कराने का विचार माननीय मंत्री जी रखते हैं ?

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : महोदय, मैंने जवाब में बताया कि जहां विशेष जरूरत होती है वहां अल्ट्रासाउंड उपलब्ध चिकित्सक के द्वारा किया जा रहा है लेकिन और वहां रेडियोलॉजिस्ट की जरूरत है और इसलिए विभाग ने दिनांक–03.10.2025 को वहां एक रेडियोलॉजिस्ट का पदस्थापना किया था, जिन्होंने योगदान नहीं दिया है, तो दूसरे रेडियोलॉजिस्ट की पदस्थापना वहां किया जाए, इस संदर्भ में विभाग देख रहा है ।

तारांकित प्रश्न सं॰–890, श्री रामविलास कामत (क्षेत्र सं॰–42, पिपरा)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि सिविल सर्जन, सुपौल के पत्रांक–383, दिनांक–05.02.2026 द्वारा सूचित किया गया है कि स्वास्थ्य उपकेन्द्र–सह–हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर, वीणा 05 कमरे के भवन में संचालित है । भवन की स्थिति अच्छी है ।

उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य उपकेन्द्र में चिकित्सक का पद स्वीकृत नहीं होता है । वर्तमान में उक्त स्वास्थ्य उपकेन्द्र में पदस्थापित 01 सी०एच०ओ० एवं 02 ए०एन०एम० द्वारा स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं ।

साथ ही उक्त स्वास्थ्य उपकेन्द्र से लगभग 05–06 कि०मी० की दूरी पर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लौकहा एवं 08 कि०मी० की दूरी पर सदर अस्पताल, सुपौल संचालित है ।

उक्त के आलोक में उपरोक्त स्वास्थ्य उपकेन्द्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में उत्क्रमित किए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री रामविलास कामत : महोदय, पूछता हूं । महोदय, जवाब प्राप्त है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिए ।

श्री रामविलास कामत : महोदय, जवाब में बताया गया है कि स्वास्थ्य उपकेंद्र 5 कमरे में संचालित है महोदय । लेकिन वह जो कमरा है वह बहुत पुराना भवन है, जर्जर है और वहां से जो जवाब आया है उसमें उसको बेहतर बताया गया है । हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी एक बार उसको दिखवा लें, वह जर्जर भवन है, जर्जर भवन में यह स्वास्थ्य उपकेंद्र चल रहा है ।

दूसरा है, बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए हमने वहां पर डॉक्टर की पदस्थापन के लिए आग्रह किया है, तो उसमें बताया जा रहा है कि वह ए0एन0एम0 के सहारे चल रहा है और बहुत बड़ा इलाका स्वास्थ्य से वंचित रह जाता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उसको प्रोन्नति करके वहां डॉक्टर की पदस्थापना किया जाए, यही मेरी मांग है ।

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : महोदय, मैंने जवाब के क्रम में यहां तस्वीर लाया है उस अस्पताल की, यह तस्वीर स्पष्ट करती है कि उस भवन की स्थिति क्या है । मैं माननीय सदस्य को उस भवन का, उस अस्पताल की तस्वीर दिखा देता हूं और मैंने, विभाग ने कहा है कि यह भवन काम करने योग्य है, यह तस्वीर से स्पष्ट से ही होता है, जहां तक चिकित्सक की नियुक्ति का विषय है, तो मैं माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहूंगा कि स्वास्थ्य उपकेंद्र में चिकित्सकों के नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है । वहां पर सी0एच0ओ0 और ए0एन0एम0 के माध्यम से ही स्वास्थ्य सुविधाएं दिए जाने का प्रावधान है ।

<u>तारांकित प्रश्न सं०–891, श्री हरिनारायण सिंह (क्षेत्र सं०–177, हरनौत)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि नगरनौसा प्रखण्ड के ग्राम पंचायत कछियावाँ दरियापुर में स्थित स्वास्थ्य उपकेन्द्र, दरियापुर किराये के भवन में संचालित है। भवन निर्माण हेतु सरकारी जमीन की उपलब्धता संबंधी प्रतिवेदन विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है । प्रश्न में वर्णित भूमि की उपलब्धता एवं उपयुक्तता संबंधी

जांच प्रतिवेदन की मांग समाहर्ता, नालन्दा से विभागीय पत्रांक–281 (10), दिनांक–11.02.2026 द्वारा की गयी है । प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त विहित प्रक्रियानुसार राशि की उपलब्धता के आधार पर उक्त स्वास्थ्य उपकेन्द्र के निर्माण की स्वीकृति दी जायेगी ।

श्री हरिनारायण सिंह : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है । माननीय मंत्री जी से मैं अुनरोध करता हूं कि भूमि भी उपलब्ध है और जांच के लिए समाहर्ता को लिखा गया है और मैं समझता हूं कि जल्द ही जांच रिपोर्ट आ जाएगी, तो क्या अगले वित्तीय वर्ष में स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण करा देंगे ?

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : महोदय, जरूर हो जाएगा ।

तारांकित प्रश्न सं॰–892, श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह (क्षेत्र सं॰–16, कल्याणपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चंपारण जिला के कल्याणपुर प्रखंड में बाँस–बल्ले के सहारे अवस्थित विद्युत संरचनाओं को Revamped Distribution Sector Scheme के तहत 45 कि0मी0 विद्युत संरचना का निर्माण किया जा चुका है और विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से की जा रही है ।

वर्तमान में भुवन छपरा पंचायत के मानसी छपरा मोलनापुर स्कूल के पास तथा अन्य कुछ स्थानों पर बाँस–बल्ला के सहारे विद्युत आपूर्ति हो रही है, जिसके सर्वे का कार्य किया जा चुका है । संचालन एवं संपोषण मद से कार्य को पूरा करने का लक्ष्य मई, 2026 है ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो प्राप्त है लेकिन इस उत्तर में सरकार ने यह कहा है कि वर्तमान में भुवन छपरा पंचायत के मानसी छपरा मोलनापुर स्कूल के पास तथा अन्य कुछ स्थानों पर बांस–बल्ला के सहारे विद्युत आपूर्ति हो रही है, तो स्कूल के पास भी बांस–बल्ला पर विद्युत की आपूर्ति हो रही है और एक बार आग लग जाने से वहां बड़ी परेशानी हो गई थी और इसमें भी सरकार कह रही है कि मई महीने तक इसको कराने का लक्ष्य है, तो हम आपके माध्यम से यह कहना चाहेंगे माननीय मंत्री जी से कि स्कूल सेंसेटिव जगह है, काफी बच्चे वहां पढ़ते हैं, इसको अतिशीघ्र करवा दें । कृपा करें इसको करवाने का, आपके माध्यम से मैं आग्रह करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री । बता दीजिए । खड़े हो जाइए ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : ठीक है । दिखवा लेंगे ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : ठीक है । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न सं॰–893, श्रीमती मीना कुमारी (क्षेत्र सं॰–34, बाबूबरही)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : मधुबनी जिला अंतर्गत खजौली प्रखण्ड के चतरा गबरौड़ा पंचायत में वार्ड नं0–1 से 07 एवं 13 में 20.5 कि0मी0 कभरयुक्त तार लगाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं सुचारू रूप से विद्युत की आपूर्ति की जा रही है । वार्ड नं0–8, 9, 10 एवं 11 में कभरयुक्त तार लगाने का कार्य प्रगति पर है । इसके लिए कुल 114 अदद् विद्युत पोल अधिष्ठापित किया जा चुका है । वार्ड नं0–18 अस्तित्व में नहीं है । कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य मार्च, 2026 है ।

श्रीमती मीना कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी को बहुत–बहुत धन्यवाद । काम चालू हो गया है । पुनः बहुत–बहुत धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न सं॰–894, श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्षेत्र सं॰–15, केसरिया)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत बथनाहा पंचायत के प्रद्युमन छपरा तथा संग्रामपुर के भवनीपुर पंचायत में पकड़ी से संबंधित स्वास्थ्य उपकेन्द्र तथा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में विद्युत कनेक्शन हेतु ऑनलाइन आवेदन स्वास्थ्य विभाग द्वारा नहीं किया गया है ।

बिहार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड 2007 में आवेदन के पश्चात् विद्युत कनेक्शन प्रदान करने का प्रावधान है । ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होते ही प्राथमिकता के आधार पर विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी जायेगी ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर ऊर्जा विभाग से मिला है । मैंने क्वेश्चन किया था कि हमारे क्षेत्र में केसरिया में बथनाहा, संग्रामपुर में पकड़ी सहित 6 स्वास्थ्य उपकेंद्र और एक अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र में अभी तक हैंड ओवर होने के बाद बिजली कनेक्शन भी नहीं दिया गया है, तो ऊर्जा विभाग से उत्तर आया है कि स्वास्थ्य विभाग ने बिजली कनेक्शन अप्लाई नहीं किया है, चूंकि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी यहां पर हैं, तो मैं आग्रह करना चाहती हूं और पूछना चाहती हूं कि क्या यह नियमावली में नहीं है कि जब हैंड ओवर करते हैं तो बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन होना चाहिए । कहीं भी न बिजली कनेक्शन है, न पानी कनेक्शन है, तो चूंकि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बहुत जागरूक मंत्री हैं ।

अध्यक्ष : एक अलग से लिखकर स्वास्थ्य मंत्री जी को आप दे दीजिए । यथाशीघ्र कर देंगे ।

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : महोदय, मैं माननीय सदस्य के इस विषय को अपने ध्यान में आकृष्ट करता हूं और इस संदर्भ में आज ही विभाग में मैं उसको दिखवा लूंगा और निश्चित रूप से अस्पताल में विद्युत कनेक्शन का प्रावधान है ही, किसी

कारण से, क्या दिक्कत है, उस दिक्कत दूर कराकर वहां तुरंत विद्युत कनेक्शन करवाता हूं ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : बहुत–बहुत धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न सं॰–895, श्रीमती देवंती यादव (क्षेत्र सं॰–46, नरपतगंज)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थित यह है कि :

नरपतगंज अंतर्गत कनीय विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रशाखा, नरपतगंज का कार्यालय, 33/11 के०वी० विद्युत शक्ति उपकेन्द्र, नरपतगंज कार्यालय परिसर में कार्यरत है ।

साथ ही, नव सृजित विद्युत आपूर्ति अवर प्रमडल, नरपतगंज कार्यालय का संचालन नरपतगंज अंतर्गत 33/11 के०वी० विद्युत शक्ति उपकेन्द्र, नरपतगंज परिसर में किये जाने हेतु कार्रवाई की जा रही है ।

अध्यक्ष : श्रीमती देवंती यादव । उत्तर मिला है न आपको ?

श्रीमती देवंती यादव : उत्तर मिला है महोदय ।

अध्यक्ष : पूरक पूछ लीजिए ।

श्रीमती देवंती यादव : महोदय, वहां विद्युत पदाधिकारियों की बैठने की जगह नहीं है, हमने पूछा है कि कब तक आप व्यवस्था करवा देंगे ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग । कब तक आप करवा लीजिएगा, यह बता दीजिए ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : ठीक है इसको दिखवा लेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है । श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता ।

तारांकित प्रश्न सं॰–896, श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता (क्षेत्र सं॰–11, सुगौली)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि सिविल सर्जन, पूर्वी चम्पारण के पत्रांक–711, दिनांक–31.01.2026 द्वारा सूचित किया गया है कि पूर्वी चम्पारण जिला के सुगौली विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत रामगढ़वा प्रखंड में स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिपरपाती का भवन अच्छी स्थिति में नहीं है ।

अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिपरपाती के नए भवन के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है तथा निर्माण एजेन्सी (BMSICL) के स्तर पर निविदा प्रक्रियाधीन है । निविदा निष्पादन के पश्चात् निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा ।

अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिपरपाती में एक चिकित्सक एवं एक ए०एन०एम० पदस्थापित हैं । यहाँ से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संचालित सभी कार्यक्रमों यथा–ओ०पी०डी०, दवा वितरण, प्रसव पूर्व जाँच,

परिवार कल्याण कार्यक्रम, नियमित टीकाकरण इत्यादि कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है ।

श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता : महोदय, उत्तर प्राप्त हुआ है । इसमें दिया गया है कि भवन का BMSICL से निविदा प्रक्रियाधीन है जबकि मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं है कि निविदा पिपरपाती के लिए, पिपरपाती उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए कोई ऐसी निविदा हुई है या तो निविदा के प्रोसेस में ? मैं यह जानना चाहूंगा कि निविदा के प्रोसेस है या इसकी निविदा हो चुकी है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता : महोदय, दूसरा भी पूरक साथ–साथ पूछ लेता हूं

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता : इसमें दिया गया है कि यहां एक चिकित्सक है और एक ए0एन0एम0 पदस्थापित हैं । महोदय, यहां कोई ए0एन0एम0 और कोई चिकित्सक समय पर नहीं जाता है कि हम चाहेंगे कि एम0बी0बी0एस0 डॉक्टर की पदस्थापना यहां की जाए ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

टर्न–4 / पुलकित / 13.02.2026

श्री मंगल पांडे, मंत्री : महोदय, मैंने अपने जवाब में स्पष्ट किया है कि बी0एम0एस0आई0सी0एल0 के स्तर पर निविदा प्रक्रियाधीन है । मैं माननीय सदस्य को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आपको शायद जानकारी न हो, लेकिन बी0एम0एस0आई0सी0एल0 के द्वारा इसकी निविदा प्रकाशित कर दी गई है । उस भवन की भी तस्वीर हमने मंगाई है । निश्चित रूप से यहां पुनर्निर्माण की आवश्यकता है और उस पुनर्निर्माण की आवश्यकता के आलोक में ही प्रशासनिक स्वीकृति विभाग के द्वारा दी गई और उस प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में बी0एम0एस0आई0सी0एल0 के द्वारा निविदा प्रकाशित कर दी गयी है। निविदा प्रक्रियाधीन है, निविदा जब पूर्ण हो जाएगी तो निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी ।

श्री राजेश कुमार उर्फ बब्लू गुप्ता : मैं माननीय मंत्री जी को बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूँ ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–897, श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र सं0–75, सहरसा)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि नगर निगम सहरसा अंतर्गत विद्युत शक्ति उपकेन्द्र से निकलने वाले 11 के0वी0 के तार मुख्यतः सड़क के किनारे पर अवस्थित है । कालांतर में शहर में कुछ स्थानों पर लोगों द्वारा विद्युत सरंचना के नीचे या नजदीक घर का निर्माण कर लिया गया है, जिसके कारण

कुछ घरों के उपर से अथवा उनके नजदीक से 11 के0वी0 लाईन गुजर रही है। तकनीकी संभावना एवं फिजिब्लिटी रिपोर्ट के आधार पर इन लाईनों को स्थानांतरण संभव नहीं है ।

विभाग द्वारा समय–समय पर मेनटेनेन्स का कार्य किया जाता है । संवेदनशील जगहों का सर्वेक्षण का कार्य कराया जाता है । तदनुसार संचालन एवं संपोषण मद में प्राथमिकता के आधार पर तार को और ऊंचा करने एवं लाईन के नीचे गार्ड लगाने का कार्य नियमानुसार किया जाता है ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न मेरे विधानसभा क्षेत्र सहरसा नगर निगम के घरों के ऊपर से गुजरते हुए नंगे तारों के सम्बन्ध में था । उत्तर प्राप्त हुआ है विभाग से, इसमें लिखा गया है कि कुछ एक घरों पर है। अभी हाल ही में वहां एक घटना घटी थी, मुझे बुलाया गया था और मैं वार्ड नंबर 26 और 33 में गया था । 80 प्रतिशत की बात मैं कर रहा हूँ, कुछ एक घर की बात नहीं कर रहा । वहां सारे घरों पर हाथ निकाल कर छूने से नंगे तार जा रहे हैं, उसमें रबर पाइप लगा दिया गया है । इसमें जो जवाब आया है, कहा गया कि तकनीकी और फिजिब्लिटी रिपोर्ट के आधार पर इसे करना संभव नहीं है। 11000 के0वी0 एम्पियर का तार है और ये तकनीकी और फिजिब्लिटी क्या होती है ? महोदय, यह घर है और यह रास्ता है, तो घरों के ऊपर से तार हटा कर रास्ते से हम तार गुजार सकते हैं, That is technical और फिजिब्लिटी का मतलब होता है कि पैसा नहीं है । महोदय, हम विकास कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने घर–घर बिजली पहुंचाई है...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप पूरक पूछ लीजिए ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : महोदय, लेकिन विकास और विनाश साथ–साथ नहीं चल सकता । हम विकास इसलिए करते हैं ताकि विनाश को कम कर सकते हैं ।

अध्यक्ष : आप चाहते हैं कि तार हटा दिया जाए ?

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : महोदय, मेरा यही कहना है कि क्या ये तकनीकी रिपोर्ट अवेलेबल है ? और ये कैसे संभव नहीं है ? मैं चाहता हूँ कि अगर ये तकनीकी रिपोर्ट अवेलेबल है तो क्या माननीय मंत्री जी एक टीम बनाकर क्योंकि It is not the problem of Saharsa only, यह हर जगह पूरे बिहार की समस्या है । मैं आग्रह करूंगा कि एक तकनीकी टीम बनाकर दोबारा इनको दिखाएं और उस टीम में हमको भी शामिल करें । अगर आप यह नहीं हटाएंगे क्योंकि मैक्सिमम घरों के ऊपर से बिजली के तार की लाईन गुजरती है । इसलिए मैं चाहता हूँ कि तकनीकी टीम बने और दोबारा देखा जाए और इसको हटाया जाए हुजूर । महोदय, यह संभव है ।

(व्यवधान)

कब तक कमिटी बनेगी, मैं चाहता हूँ कि आप कमिटी बनाएँ । कब तक कमिटी बनाएंगे और कब तक बिजली के तार की लाईन हटेगी । यह मेरा पूरक है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी उत्तर बता दीजिए । कब तक हो जाएगा ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसको मैं खुद देख लूँगा ।

तारांकित प्रश्न सं0–898, श्री रितुराज कुमार (क्षेत्र सं0–217, घोसी)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पांडे, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान में जहानाबाद जिला के हुलासगंज प्रखंड में 20 शैय्यायुक्त एकीकृत आयुष अस्पताल के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

श्री रितुराज कुमार : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त हुआ है। मगर मैं आसन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि हुलासगंज के अगल–बगल के क्षेत्र से भी इसको फायदा होगा अगर इसको एक बार आयुष अस्पताल के लिए वहां पर फिर से विचार कर लिया जाए । क्योंकि वहां पर अभी जो अस्पताल है और जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है, आयुष अस्पताल का मानक भी है कि 5000 की जहां पर जनसंख्या हो वहां पर अस्पताल बन रहा है, कई जगह पर यह बन भी रहा है । एक बार आप उस पर विचार कर लें यही मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन रहेगा ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री मंगल पांडे, मंत्री : महोदय, राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत अभी सभी जिलों में 50 बेड के अस्पताल के निर्माण का कार्य प्रक्रियाधीन है । एक पटना में बन गया है, सात जिलों में और बन रहा है । शेष जिलों में बनने की प्रक्रिया अभी विभाग के अंदर है । माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया, वह प्रखंड के अंदर है । एक बार आयुष अस्पतालों को पहले जिला स्तर पर हम सुदृढ़ कर लें, वहां मानव बल नियुक्त कर दें, उसके बाद ही हम प्रखंड की ओर जा सकते हैं । इसलिए माननीय सदस्य से मेरा आग्रह होगा कि थोड़ा इंतजार करें ।

तारांकित प्रश्न सं0–899, श्री केदार प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र सं0–93, कुढ़नी)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पांडे, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि मुजफ्फरपुर जिला के कुढ़नी प्रखंड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को 30 शैय्या के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में उत्क्रमित कर संचालित किया जा रहा है । सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–676, दिनांक– 09.02.2026 द्वारा सूचित किया गया है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुढ़नी 24×7 क्रियाशील है । उक्त केन्द्र पर ओ0पी0डी0, प्रसव सेवा, एक्स–रे, ई0सी0जी0 आदि की सेवा उपलब्ध करायी जा रही है ।

उल्लेखनीय है कि रेफरल अस्पताल के समतुल्य ही 30 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र होता है । सात निश्चय–3 (2025–2030) अंतर्गत

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को विशिष्ट चिकित्सा केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु कार्रवाई की जा रही है, जिससे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर और भी विभिन्न प्रकार की विशेषज्ञ सेवाएँ उपलब्ध हो सकेगी ।

अतएव सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुढ़नी को रेफरल अस्पताल के रूप में उत्क्रमित किया जाना युक्तिसंगत नहीं है ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है । पूरे बिहार, खासकर मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य से सम्बंधित बहुत काम हुए हैं । सबसे बड़ा काम कैंसर अस्पताल खुला है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पूरक पूछ लीजिए ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : जिससे उत्तर बिहार ही नहीं, नेपाल तक के लोग इसका लाभ उठा रहे हैं । आयुष की एक बड़ी यूनिट खोलने से चमकी वाली बीमारी भी बहुत हद तक खत्म हुई है । बहुत सारे काम हुए हैं, जिसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ । परन्तु कुढ़नी, सी0एच0सी0 से मुजफ्फरपुर 30 किलोमीटर है । कुढ़नी प्रखंड बिहार का 39 पंचायत का सबसे बड़ा प्रखंड है । जिसकी आबादी लगभग 5 लाख से ज्यादा है । जो कि एक सी0एच0सी0 से पूरा उपचार संभव नहीं है । सी0एच0सी0 में ब्लड यूनिट, सिजेरियन ऑपरेशन और भी जरूरत की कई यूनिट नहीं रहने के कारण वहां नागरिकों को बहुत सारा इलाज कराने में दिक्कत होती है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिये ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि कुढ़नी सी0एच0सी0 को रेफरल अस्पताल बना देंगे तो वहां के नागरिकों को काफी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी और 30 किलोमीटर नहीं जाना पड़ेगा । महोदय, मनियारी अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र को सी0एच0सी0 बना देंगे, तो पूर्वी इलाके के 14–15 पंचायतों के लोगों को काफी सहूलियत हो जाएगी । मैं इसके लिए मंत्री जी से अनुरोध करूँगा । माननीय मंत्री जी आपकी बड़ी कृपा होगी, कुढ़नी पर इनकी बड़ी कृपा भी रहती है, मुजफ्फरपुर में।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री मंगल पांडे, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा देने के लिए जो प्रावधान है, उसके तहत सभी प्रखंडों में एक 30 बेड का अस्पताल बनाने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर हुआ और उसका नाम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दिया गया है । आज से 10 वर्ष पूर्व जब अस्पताल 30 बेड के बनते थे, तो उसका नाम रेफरल अस्पताल होता था और रेफरल अस्पताल हो या सी0एच0सी0 हो, दोनों में प्रावधान बिल्कुल एक जैसा है। 30 शैय्या होगा, मानव बल समान होगा और प्रखंड स्तर पर या तो सी0एच0सी0 होगा या रेफरल अस्पताल होगा, दोनों का प्रावधान नहीं है । इसलिए माननीय

सदस्य को मैं यह बताना चाहता हूँ, उनकी चिंता वाजिब है क्योंकि उनका जो प्रखंड है वह बिहार के सबसे बड़े प्रखंडों में से एक है, 39 पंचायतों का प्रखंड है। इसलिए उनकी चिंता जायज है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का जो प्रावधान है, उस प्रावधान के आलोक में एक प्रखंड में हम सी0एच0सी0 भी और रेफरल अस्पताल भी, दोनों सुविधा नहीं दे सकते हैं । अन्य अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में जो माननीय सदस्य ने कहा है, मैं वहां आयुष्मान भारत योजना के तहत कैसे उस संस्थान का और उन्नयन कर सकता हूँ, उसको मैं करवा देता हूँ ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, सी0एच0सी0 में ब्लड यूनिट और सिजेरियन नहीं हो रहा है, कम से कम उसको तो उपलब्ध करा दें और मनियारी अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र को सी0एच0सी0 में उसको परिवर्तन करा दें ।

अध्यक्ष : ठीक है, माननीय मंत्री जी उसको दिखवा लेंगे ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0–900, श्री राधाचरण साह (क्षेत्र सं0–192, संदेश)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पांडे, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि नवनिर्मित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चाँदी के भवन निर्माण के मॉडल प्राक्कलन में चहारदीवारी का प्रावधान नहीं था। राज्य के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अस्पतालों में चरणबद्ध तरीके से चहारदिवारी का निर्माण कार्य कराया जाना है। इस क्रम में निधि की उपलब्धता के आधार पर विहित प्रक्रियानुसार प्रश्नगत स्वास्थ्य केन्द्र के चहारदीवारी का निर्माण कराया जाएगा।

विभागीय राज्यादेश सं०–550(10) दिनांक–11.04.2025 द्वारा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्वास्थ्य कर्मियों के पदस्थापन हेतु पदसृजन किया गया है। चिकित्सक एवं अन्य कर्मियों की उपलब्धता के आधार पर पदस्थापन की कार्रवाई की जा रही है।

श्री राधाचरण साह : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, चाँदी की चहारदीवारी का निर्माण तथा चिकित्सक एवं अन्य कर्मियों का पदस्थापन कब तक कर दिया जाएगा ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री मंगल पांडे, मंत्री : महोदय, मैंने जवाब में लिखा है कि राज्य के सभी स्वास्थ्य केंद्रों एवं अस्पतालों में चरणबद्ध तरीके से चहारदीवारी का निर्माण कार्य कराया जाना है, जो हो रहा है । इस क्रम में निधि की उपलब्धता के आधार पर विहित प्रक्रिया

अनुसार प्रश्नगत स्वास्थ्य केंद्र के चहारदीवारी का निर्माण कराया जाएगा । माननीय सदस्य के अनुरोध पर मैं इसे प्राथमिकता में करा दूँगा ।

तारांकित प्रश्न सं0–901, श्री अखतरूल ईमान (क्षेत्र सं0–56, अमौर)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : 1– स्वीकारात्मक ।

2–नयी सरकार गठन होने के पश्चात् अनुमंडल अनुश्रवण समिति का गठन नहीं हुआ है । अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति के गठन के पश्चात् बैठक की कार्रवाई की जाएगी ।

3–उपर्युक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जवाब दिया है । सरकार चूँकि इंसाफ के साथ तरक्की और कानून का राज चला रही है । अनुमंडल स्तर पर अनुश्रवण समिति का गठन होना सरकार का फैसला है । महोदय, पिछले 5 वर्षों में सरकार ने अनुमंडल स्तर पर अनुश्रवण समिति का गठन नहीं किया । हम लोगों के कहने पर बायसी में एक मर्तबा मीटिंग बुलाई एस0डी0ओ0 ने, उसके बाद आज तक नहीं बुलाई । अनुश्रवण समिति का गठन इसलिए हुआ था कि सरकारी कर्मियों के साथ मतलब जो इंजीनियरिंग सेल है और डिफरेंट डेवलपमेंट के प्रोग्राम हैं, अनुमंडल स्तर पर विधायक लोग उसकी समीक्षा करें। लेकिन सरकार ने नहीं किया । मेरा साफ मानना है कि सरकार काम कराना चाहती है और विधायक उसको सहयोग कराना चाहते हैं । आप सहयोग लें और अबकी बार खंड–2 में मंत्री महोदय ने कहा है कि नई सरकार के गठन होने के बाद नहीं बना है, तो पिछली सरकार में भी नहीं बनाया था । इस सरकार में अगर बनाना चाहते हैं तो बना दीजिये । वरना एक नोटिफिकेशन के जरिये अनुश्रवण समिति का खात्मा कर दीजिये । ताकि नींद भी नहीं तो सपना भी नहीं । मैं माननीय मंत्री से कहूँगा, आदर करूँगा, चूँकि हमारे यहाँ सब को सिखाया गया कि छोटों से प्रेम करो, बड़ों का आदर करो । हम लोग तो सबका आदर करते हैं, मैं सोचता हूँ कि मंत्री जी प्रेम के साथ जवाब देंगे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, पिछले 5 साल में इन्होंने प्रश्न क्यों नहीं किया ?

श्री अखतरूल ईमान : सर मैंने प्रश्न किया है । मैंने प्रश्न किया है सर....

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : ठीक है, अब सुनिए । आप बहुत जागरूक एम0एल0ए0 है। हम आपको व्यक्तिगत तौर से भी जानते हैं । इतने तेज एम0एल0ए0 की जब यह एफिशिएंसी है, तो क्या दुर्भाग्य है इस राज्य का ?

श्री अखतरूल ईमान : सर, मैं चैलेंज कर रहा हूं कि मैंने बिहार विधान सभा के चलते सत्र में प्रश्न किया है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अब सुनिए, नई सरकार....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी का जवाब सुन लीजिए ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : नई सरकार के गठन के बाद प्रक्रिया को किया जाएगा और गठन होगा तो रेगुलर उसकी बैठक होगी ।

श्री अखतरूल ईमान : कब तक होगी सर ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : हम प्रयास करेंगे....

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, एक बात सुन लीजिए । मेरे पास 14 जुलाई, 2023 का मेरा प्रश्न है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अब छोड़िये ।

श्री अखतरूल ईमान : नहीं, आपने कहा कि प्रश्न क्यों नहीं किया था ? सर, मैं आपके आदेश का पालन किया हूँ । आपको याद नहीं है सर ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : ठीक है ।

टर्न–5 / हेमन्त / 13.02.2026

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने कहा है कि कमेटी जल्दी ही गठित कर दी जायेगी।

(व्यवधान)

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि अनुश्रवण समिति का गठन जल्द कर लेंगे।

श्री अखतरूल ईमान : सर, मंत्री जी काफी एक्टिव हैं। फिजिकली कुछ भी हों, लेकिन मेंटली...

श्री प्रमोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, पूरे राज्य पैमाने पर मेरे यहां भी और भी कई माननीय सदस्य हैं, पूछ लिया जाय कि किस–किस अनुमंडल में अनुश्रवण समिति की बैठक हो रही है। पूछ लिया जाय हाथ उठवा कर।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्लीज, शांति–शांति। बिना अनुमति के मत बोलिये।

(व्यवधान)

प्रमोद बाबू, बैठ जाइये। ईमान साहब, बैठ जाइये।

माननीय मंत्री ने कहा है कि अष्टादश विधान सभा...

(व्यवधान)

ईमान जी, आपस में बात न करें। माननीय सदस्य, आपस में बात मत कीजिए।

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि अष्टादश विधान सभा का गठन हुआ है, जल्द अनुश्रवण समिति गठित कर ली जायेगी। उसकी बैठक अब नियमित होगी।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–902, श्री केदार नाथ सिंह (क्षेत्र संख्या–115, बनियापुर)</u>

श्री केदार नाथ सिंह : पूछता हूं।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री मंगल पांडे, मंत्री : महोदय, जवाब दिया हुआ है। मैं पढ़ देता हूं।

वस्तुस्थिति यह है कि वर्तमान व्यवस्था के तहत किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं रेफरल अस्पताल में आईसीयू की व्यवस्था नहीं है। इसी आलोक में यह व्यवस्था प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, मशरख एवं रेफरल अस्पताल, बनियापुर में भी नहीं है। आई0पी0एच0एस0 मानकों में प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य केंद्रों में आई0सी0यू0 का होना आवश्यक नहीं है। गंभीर रूप से बीमार मरीजों, जिन्हें आई0सी0यू0 की आवश्यकता होती है, उन्हें सदर अस्पताल, सारण (छपरा) अथवा आवश्यकतानुसार पटना स्थित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में रेफर कर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई जाती है। राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, रेफरल अस्पताल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उत्क्रमित किए जाने की योजना है। विभागीय राज्यादेश संख्या 550 दिनांक 11.04.25 द्वारा मानक के अनुरूप पद सृजन किया गया है। चिकित्सक एवं अन्य कर्मियों की उपलब्धता के आधार पर पद स्थापन की कार्रवाई भी की जा रही है। साथ ही, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सात निश्चय–3, जो इस सरकार का यह कार्यकाल है उसके अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित करने हेतु कार्रवाई की जा रही है। राज्य के सभी चिकित्सकीय संस्थानों में संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर चिकित्सक, मानव संसाधन/ उपकरण आदि की व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से करते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया जा रहा है। मैं माननीय सदस्य को जरूर यह कहना चाहूंगा कि सात निश्चय–3 के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के अंदर विशिष्ट चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करायी जानी हैं। आगे आने वाले वर्षों में इस प्रकार की सुविधाओं को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर दिया जाए, इस दिशा में मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर विभाग ने विचार करके काम प्रारंभ किया है।

अध्यक्ष : श्री पंकज कुमार मिश्र।

श्री केदार नाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, समय–सीमा बता दी जाय।

अध्यक्ष : उन्होंने बहुत स्पष्ट बताया है। बताया तो है। सरकार प्रयासरत है।

श्री मंगल पांडे, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसमें समय लगेगा। इसकी समय सीमा नहीं बतायी जा सकती, चूंकि यह प्रावधान सभी 534 प्रखंडों के लिए होना है।

तारांकित प्रश्न संख्या–903, श्री पंकज कुमार मिश्र (क्षेत्र संख्या–29, रून्नीसैदपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिला के रून्नीसैदपुर प्रखंड अंतर्गत विद्युत शक्ति उपकेन्द्र रून्नीसैदपुर से निकलने वाली 11 के0वी0 बेलसंड फीडर से औसतन 22 घंटे विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से की जा रही है।

सुरक्षा के दृष्टिकोण से उक्त फीडर का सर्वे कार्य कराया जा रहा है। क्षतिग्रस्त पोल एवं जर्जर तार पाए जाने की स्थिति में प्राथमिकता के आधार पर उक्त विद्युत संरचना को संचालन एवं संपोषण मद में रबी फसल कटाई के बाद बदलने का कार्य करने का लक्ष्य मई, 2026 है।

श्री पंकज कुमार मिश्र : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है। अध्यक्ष महोदय, हमारा कहना है कि यहां लिखा हुआ है कि 22 घंटे बिजली रहती है और जर्जर तार की स्थिति के बारे में लिखा हुआ है, जर्जर तार के लिए हमने 24 में भी लिखा, 25 में लिखा और अभी भी मैं लिख रहा हूं। महोदय, जर्जर तार के कारण कल भी मेरे यहां एक दुर्घटना हुई है। कल भी एक आदमी उस तार के कारण मर गया है। वहां की स्थिति इतनी खराब है कि पूरे क्षेत्र में जर्जर तार से मेरा पूरा क्षेत्र जर्जर स्थिति में है। इसलिए, मैं आग्रह करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि तार जो हमारा जर्जर स्थिति में है, उसको बदलवाने की कृपा की जाए।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, सुन लीजिए। क्या यह बात सही है सीतामढ़ी जिला के रून्नीसैदपुर प्रखंड के अंतर्गत बेलसंड फिडर का, और कहते हैं कि पूरे क्षेत्र में जर्जर तार है। अब दोनों में क्या कहां जाए। उत्तर है, मई, 26 तक इसको करवा दिया जाएगा।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–904, श्री कृष्णनंदन पासवान (क्षेत्र संख्या–13, हरसिद्धि)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : आंशिक स्वीकारात्मक।

मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवक ASV के पैनल का निर्माण फसल कटनी, जीवनांक तथा आर्थिक गणना आदि सांख्यिकी कार्यों के लिए किया गया था।

मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवक ASV के पैनल निर्माण हेतु प्रकाशित विज्ञापन में स्पष्ट उल्लेखित है कि ''पैनल में चयनित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे तथा सरकारी सुविधा के हकदार नहीं होंगे। किसी भी समय बिना कारण बताये उन्हें कार्य मुक्त किया जा सकता है।''

साथ ही, विज्ञापन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उनसे कार्य लिये जाने की स्थिति में उनके द्वारा किये गये कार्य के विरूद्ध निर्धारित पारिश्रमिक का भुगतान मात्र किया जाएगा यानि समय–समय पर निर्धारित किये गये कार्यो के विरूद्ध पारिश्रमिक के आधार पर भुगतान किया जायेगा एवं मासिक रूप से किसी राशि के भुगतान किये जाने का प्रावधान नहीं किया गया है।

समीक्षोपरांत राज्य मंत्रिपरिषद् द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–1459 दिनांक–26.07.2016 द्वारा अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा पैनलबद्ध मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयंसेवकों का पैनल तत्काल प्रभाव से रद्द किया गया है।

विभागीय अधिसूचना संख्या–1459 दिनांक–26.07.2016 के विरूद्ध मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयं सेवकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No–11550/2016 दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सम्यक विचारोपरांत दिनांक–24.01.2017 को अंतिम आदेश पारित किया जा चुका है।

पुनः मान्यता प्राप्त सांख्यिकी स्वयं सेवकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा CWJC No–11550/2016 में पारित आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में LPA No.- 535/2017 दायर किया गया, जिसे माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–17.04.2018 को पुनः खारिज किया जा चुका है।

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय में सांख्यिकी स्वयंसेवक का पद नियमित रूप से स्वीकृत नहीं है। इनको विशेष समयावधि के लिए विशेष कार्य के विरूद्ध पारिश्रमिक पर रखा गया था।

ऐसी स्थिति में सांख्यिकी स्वयं सेवकों के समायोजन पर विचार किया जाना प्रासंगिक नहीं है।

श्री कृष्णनंदन पासवान : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है। माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में न्यायालय का जिक्र किए हैं। न्यायालय का मामला तो सर्वोपरि है, लेकिन मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं यह शुद्ध रूप से बेरोजगारी की बात है, इसमें सांख्यिकी स्वयंसेवक से सरकार ने काम भी लिया है। कई एक प्रकार के काम लिए हैं पिछले दिनों में, तो मैं माननीय मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि बेरोजगारी को देखते हुए, सरकार भी एक करोड़ नौकरी देने के लिए कटिबद्ध है। उसी दिशा में बेरोजगारी को देखते हुए क्या मंत्री जी ऐसे बेरोजगार युवक को न्याय देने का काम करेंगे ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : माननीय सदस्य जो कह रहे हैं उस पर समुचित विचार करने की जरूरत है। अगर होगा, तो हम इसको देखेंगे, लेकिन उत्तर समुचित दे दिया गया है।

श्री कृष्णनंदन पासवान : धन्यवाद सर।

श्री संदीप सौरभ : महोदय, मेरा भी एक सवाल था।

अध्यक्ष : पूछ लीजिए।

श्री संदीप सौरभ : महोदय, जो जवाब आया हुआ है। जवाब में सरकार कह रही है कि जब हम बहाली लिए थे, तभी हमने कह दिया था कि कभी भी बिना कारण

बताए आपको हटा दिया जा सकता है। महोदय, 2012–13 में ये बहाली हुई थी। बकायदा विभाग ने विज्ञापन जारी करके नौजवानों से फॉर्म भरवाया, उसकी परीक्षा ली, प्रशिक्षण दिया, पैनल तैयार हुआ और 1–2 साल काम लेने के बाद, उसी काम के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री को अवार्ड भी मिला, बिहार को गणना से संबंधित कार्य के लिए और महोदय, 2014 के बाद से उनसे काम नहीं लिया गया। 2016 में अचानक से कह दिया गया कि हम पैनल रद्द कर रहे हैं। तो सवाल मंत्री महोदय से यह है कि जिस कार्य के लिए, जिस गणना और सांख्यिकी कार्य के लिए उनको नियुक्त किया गया था, क्या सरकार का वह काम खत्म हो गया? क्या गणना और सांख्यिकी से संबंधित कार्य अब नहीं होते हैं बिहार के अंदर, ये हमको जानना था। अगर होते हैं, तो उसी काम को महोदय, कार्यपालक सहायक से और शिक्षकों से करवाने का क्या मतलब है, जबकि उसी काम के लिए स्वयंसेवक की नियुक्ति सरकार ने की थी, तो उनको सरकार बहाल कैसे करेगी ? ये हम लोग जानना चाहते हैं।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : समय–समय पर सरकार नीतिगत निर्णय लेती है इसीलिए।

तारांकित प्रश्न संख्या–905, श्रीमती बिनिता मेहता (क्षेत्र संख्या–238, गोविन्दपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पांडे, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि राज्य स्वास्थ्य समिति के पत्रांक–4367, दिनांक 21.11.2024 द्वारा नवादा जिले के कौआकोल में 30 शय्या के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है। तत्पश्चात् निर्माण एजेन्सी (BMSICL) द्वारा निविदा को निष्पादित करते हुए संवेदक का चयन किया जा चुका है तथा एकरारनामा प्रक्रियाधीन है। शीघ्र ही विदित प्रक्रियानुसार निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाएगा।

श्रीमती बिनिता मेहता : महोदय, उत्तर प्राप्त है। धन्यवाद करना चाहती हूं माननीय मंत्री जी का। मैं आग्रह भी करती हूं मंत्री जी से कि इस प्रखंड का स्वास्थ्य उपकेंद्र काफी जर्जर अवस्था में है, जिससे रोगियों को जान का खतरा बना रहता है। यह इलाका काफी पिछड़ा है। यहां अनुसूचित जाति एवं जनजाति की आबादी अधिक है। गरीबी चरम पर होने के कारण लोग पूरी तरह सरकारी अस्पतालों पर ही आश्रित हैं। अतः माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करती हूं कि राशि विमुक्त करने का कष्ट करें ताकि जल्द से जल्द कौआकोल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन सके।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री मंगल पांडे, मंत्री : महोदय, उसकी प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। राशि भी उसके लिए उपलब्ध है। टेंडर भी हो गया है। अब जिसको वर्क अवार्ड हुआ है, उससे एकरारनामा की प्रक्रिया है। वह प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद कार्य शुरू हो जाएगा। मैंने जवाब में लिखा है और मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि इसको मैं स्वयं भी दिखवाऊंगा।

तारांकित प्रश्न संख्या–906, श्री बिजय सिंह (क्षेत्र संख्या–68, बरारी)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या–907, श्री नागेन्द्र चन्द्रवंशी (क्षेत्र संख्या–211, नोखा)

श्री नागेन्द्र चन्द्रवंशी : महोदय, पूछता हूं।

अध्यक्ष : उत्तर मिला है ?

श्री नागेन्द्र चन्द्रवंशी : महोदय, उत्तर अप्राप्त है।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

टर्न–6 / संगीता / 13.02.2026

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि 211 नोखा विधान सभा के प्रखंड नोखा एवं नासरीगंज के उपभोक्ताओं को विद्युत्त आपूर्ति 33 / 11 के0वी0 विद्युत्त शक्ति उपकेन्द्र, नोखा, जबरा, अगरेर, बिक्रमगंज, नासरीगंज, राजपुर, कछवा से सुचारू रूप से की जा रही है। विद्युत्त शक्ति उपकेन्द्र, नोखा, जबरा, बिक्रमगंज, नासरीगंज, कछवा को 33 के०वी० विद्युत्त आपूर्ति 132 / 33 के०वी० ग्रीड, बिक्रमगंज, विद्युत शक्ति उपकेन्द्र, अगरेर को सासाराम ग्रीड तथा विद्युत्त शक्ति उपकेन्द्र, राजपुर को मथुरापुर ग्रीड से विद्युत आपूर्ति की जा रही है। उक्त 33 के०वी० लाईनों का नियमित अंतराल पर अनुरक्षण एवं रख–रखाव किया जाता है एवं ब्रेकडाउन होने पर त्वरित दोष का निराकरण कर विद्युत्त आपूर्ति बहाल कर दी जाती है। वर्तमान समय में उक्त सभी क्षेत्रों में सुचारू रूप से विद्युत्त आपूर्ति की जा रही है ।

गुणवत्तापूर्ण विद्युत्त आपूर्ति हेतु नोखा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्रीड शक्ति उपकेन्द्र निर्माण हेतु प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है ।

अध्यक्ष : श्री अरूण सिंह ।

श्री नागेन्द्र चंद्रवंशी : अध्यक्ष महोदय, यह 132 / 33 के०वी० का है चूंकि वहां 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर दूरी हो जाती है जो वहां सप्लाई आता है तो बराबर फॉल्ट लगा रहता है । इसकी वजह से...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने कहा है प्रक्रियाधीन है, काम होगा ।

श्री नागेन्द्र चंद्रवंशी : अध्यक्ष महोदय, उसी से संबंधित एक पूरक पूछ लेता हूं । महोदय, सभी जगहों पर एक समस्या आ रही है । हमारे क्षेत्रों में जहां 10 साल पहले, 15 साल पहले आबादी के हिसाब से, कंज्यूमर के हिसाब से ट्रांसफर्मर लगाया गया है लेकिन आज आबादी दोगुनी–तिगुनी हो गई है । जहां 63 के0वी0 का ट्रांसफर्मर लगा है वहां लोड ज्यादा हो गया है, कंज्यूमर ज्यादा हो गए हैं और उसके चलते बराबर ट्रांसफर्मर जला रहता है, लोग परेशान रहते हैं तो हर जगह एक सर्विस करा करके क्षमता के हिसाब से वहां ट्रांसफर्मर लगाया जाए ताकि लोगों को समुचित रूप से बिजली की आपूर्ति हो सके ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, समीक्षा करवा दीजिए, समीक्षा करवा करके करवा दीजिए ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : जी ।

श्री नागेन्द्र चंद्रवंशी : इसके लिए माननीय मंत्री जी को बहुत–बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : श्री अरूण सिंह ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–908, श्री अरूण सिंह (क्षेत्र संख्या–213, काराकाट)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक ।

वस्तुस्थिति यह है कि रोहतास जिलान्तर्गत 213, काराकाट विधान सभा में प्रखंड संझौली के संझौली उत्तर पट्टी, संझौली मोतिहारी पथ लगभग 12 फीट चौड़ी ग्रामीण सड़क है जिसमें विद्युत पोल सड़क के किनारे अधिष्ठापित है । कालांतर में उक्त ग्रामीण पथ का सुदृीढ़ीकरण एवं कंक्रीटींग होने के कारण दो अदद विद्युत पोल वाहनों के आवागमन में बाधक हो गए हैं । सुरक्षा के दृष्टिकोण से उक्त पोल के रोड किनारे व्यवस्थित करने हेतु सर्वे कार्य करा लिया गया है जिसे पूर्ण करने का लक्ष्य मार्च 2026 है ।

श्री अरूण सिंह : अध्यक्ष महोदय, उत्तर तो आया है और सरकार ने जवाब भी दिया है और प्रश्न था कि पुल हटाने के संबंध में । सरकार ने कहा है कि मार्च तक हटा देंगे तो हम चाहेंगे कि मार्च तक हो जाए ।

अध्यक्ष : इससे बढ़िया और क्या बात होगी । श्री कलाधर प्रसाद मंडल ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–909, श्री कलाधर प्रसाद मंडल (क्षेत्र संख्या–60, रूपौली)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पांडे, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि पूर्णिया जिलान्तर्गत प्रखंड भवानीपुर में राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, बलिया वर्तमान में सर्वोदय आश्रम संस्थान के पुराने भवन में संचालित है जहां एक आयुर्वेदिक चिकित्सा पदाधिकारी पदस्थापित एवं कार्यरत है जबकि डुमरिया टोला मैनीद में राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय स्वीकृत नहीं है अपितु वहां स्वास्थ्य उपकेन्द्र संचालित है।

राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय, बलिया के भवन निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता के संबंध में जिला पदाधिकारी, पूर्णियां से प्रतिवेदन की मांग की गयी है । भूमि उपलब्धता का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्राक्कलन तैयार करने हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड को निदेशित किया जाएगा ।

श्री कलाधर प्रसाद मंडल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर से संतुष्ट हूं लेकिन एक चीज मैं ज्ञात कराना चाहता हूं कि जहां पर यह स्वास्थ्य केंद्र है वह सर्वोदय आश्रम के भवन में चलता है और उसके बगल में ही बिहार सरकार की भूमि पर्याप्त है, उसमें जल्द से कार्रवाई करके बनवाने की कृपा की जाए ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री मंगल पांडे, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जिला पदाधिकारी को लिखा गया है । उनका प्रतिवेदन प्राप्त होते ही अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी ।

अध्यक्ष : श्री विनय कुमार सिंह ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या–910, श्री विनय कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या–122, सोनपुर)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सारण जिला अंतर्गत दिघवारा प्रखंड के संबंधित पंचायतों में लगभग 500 पोलों का तार की चोरी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किया गया है । चोरी की इन घटनाओं के लिए थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है ।

उक्त विद्युत संरचना की पुनर्स्थापना के लिए सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है । उक्त कार्य के लिए कार्यान्वयन हेतु स्वीकृति की कार्य योजना प्रक्रियाधीन है । निधि की उपलब्धता के आलोक में शीघ्र ही उक्त कार्य को पूर्ण करा लिया जायेगा ।

श्री विनय कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है और यह बात स्वीकार किया है कि 500 पोलों के तार की चोरी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किया गया है । चोरी की इन घटनाओं के लिए थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है । हुजूर, यही मेरा सवाल था कि 500 पोल की चोरी हो गई, दिघवारा प्रखंड के सभी पंचायत उससे प्रभावित हैं, 10 पंचायत का प्रखंड है और सभी पंचायत प्रभावित हो गया है । किसान को सिंचाई में परेशानी हो रही है तो मैं आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कब तक इन्होंने कहा है जवाब में कि विद्युत संरचना की पुनर्स्थापना के लिए सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है । उक्त कार्य के लिए कार्यान्वयन हेतु स्वीकृति की कार्य योजना प्रक्रियाधीन है तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि विभाग ने कब एफ0आई0आर0 किया एक बात और दूसरी बात कि कब तक

क्या इस वित्तीय वर्ष या अगले 2026–27 वित्तीय वर्ष में यह काम को प्राथमिकता के आधार पर कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : निश्चित रूप से इस वित्तीय वर्ष में इसको करा दिया जाएगा ।

अध्यक्ष : श्री नंद किशोर राम ।

तारांकित प्रश्न संख्या–911, श्री नंद किशोर राम (क्षेत्र संख्या–02, रामनगर (अ0जा0))

(लिखित उत्तर)

श्री नंद किशोर राम : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री पर्यटन विभाग यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पश्चिम चंपारण जिला अंतर्गत रामनगर प्रखंड के गोबर्धना वन क्षेत्र में स्थित सोमेश्वर धाम पर्यटन स्थल है, क्या यह बात सही है...

अध्यक्ष : आप पूरक पूछ लीजिए । प्रश्न तो आया हुआ है आपका, उत्तर मिला है न आपको ?

श्री नंद किशोर राम : जी नहीं, उत्तर नहीं मिला है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पर्यटन विभाग ।

श्री संजय सिंह 'टाईगर', मंत्री : अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह प्रश्न पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिर्वतन विभाग से संबंधित था इसलिए उसको संबंधित विभाग में हस्तांतरित कर दिया गया है।

अध्यक्ष : ठीक है । अगले बार आ जाएगा । श्री मुरारी मोहन झा ।

तारांकित प्रश्न संख्या–912, श्री मुरारी मोहन झा (क्षेत्र संख्या–86, केवटी)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पांडे, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि दरभंगा जिलान्तर्गत केवटी विधानसभा क्षेत्र के प्रखंड केवटी में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, केवटी में 01 शिशु रोग विशेषज्ञ, 01 मूर्च्छक, 03 सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, 01 दन्त चिकित्सक, 01 आयुष चिकित्सक, 04 स्टाफ नर्स एवं 04 लैब टेक्नीशियन वर्तमान में पदस्थापित है, जिनके द्वारा मरीजों को समुचित चिकित्सीय सुविधा मुहैया कराया जा रहा है । इसके अतिरिक्त उक्त संस्थान में विभागीय अधिसूचना संख्या–249(2), दिनांक– 06.02.2026 द्वारा 01 विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (जेनरल सर्जन), विभागीय अधिसूचना संख्या–250 (2) दिनांक–06.02.2026 द्वारा 01 विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग) एवं विभागीय अधिसूचना संख्या–211(2), दिनांक–03.02.2026 द्वारा 01 सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी का नियुक्ति–सह–पदस्थापन किया गया है ।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिंघवारा में 01 स्त्री रोग विशेषज्ञ, 01 शिशु रोग विशेषज्ञ, 05 सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, 01 दन्त चिकित्सक, 01 आयुष चिकित्सक, 05 स्टाफ नर्स, 01 लैब टेक्नीशियन एवं 01 नेत्र सहायक वर्तमान में पदस्थापित है जिनके द्वारा मरीजों को समुचित चिकित्सीय सुविधा मुहैया कराया जा रहा है । इसके अतिरिक्त उक्त संस्थान में विभागीय अधिसूचना संख्या–249(2), दिनांक–06.02.2026 द्वारा 01 विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (जेनरल सर्जन) का नियुक्ति–सह–पदस्थापन किया गया है ।

अध्यक्ष : आपको जवाब मिल गया है ?

श्री मुरारी मोहन झा : जी, जवाब मिल गया है महोदय ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछ लीजिए ।

श्री मुरारी मोहन झा : अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक है कि कब तक वहां उपलब्ध हो जाएगा चिकित्सक, बहुत हमलोगों को परेशानी है महोदय, इतना लोगों का सुनना पड़ता है, न गायनी है, न सर्जन है, कोई डॉक्टर वहां नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ।

श्री मुरारी मोहन झा : चिट्ठी भी, पत्र भी हम मंत्री महोदय को पहले दिए हुए हैं ।

अध्यक्ष : जवाब सुन लीजिए ।

श्री मुरारी मोहन झा : जी महोदय ।

श्री मंगल पांडे, मंत्री : महोदय, मैंने अपने जवाब में स्पष्ट किया है अभी कुछ दिन पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विशेषज्ञ चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है और उसी नियुक्ति के तहत दिनांक–06 फरवरी को आज से सात दिन पहले जो माननीय सदस्य का प्रश्न है उसके आलोक में केवटी प्रखंड में 01 जनरल सर्जन, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ और 01 सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी की पदस्थापना की गई है तो सात दिन पहले वहां पदस्थापित कर दिया गया है जिसकी चिन्ता माननीय सदस्य ने जाहिर की है । इसके अलावे केवटी में 01 शिशु रोग विशेषज्ञ पहले से हैं, ये सब स्पेसिफिक डॉक्टर का बोल रहा हूं मैं महोदय, 01 मूर्च्छक हैं, 03 सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी हैं, 01 दंत चिकित्सक हैं, एक आयुष चिकित्सक हैं, 04 स्टाफ नर्स हैं और 04 लैब टेक्नीशियन पूर्व से हैं तो ये इतना मानव बल है और जो 03 विशेष विभाग की बात उन्होंने की थी, जनरल सर्जरी, गायनी और 01 जी0एम0ओ0 की, वहां पर उनकी पोस्टिंग कर दी गई है । दूसरा, सिंघवाड़ा के संदर्भ में भी माननीय सदस्य ने ध्यान आकृष्ट कराया है तो सिंघवाड़ा में भी ये नई नियुक्ति के तहत 01 जनरल सर्जन की नियुक्ति सिंघवाड़ा में भी कर दी गई है ।

अध्यक्ष : श्री संजय कुमार, श्री संजय कुमार ।

तारांकित प्रश्न संख्या–913, श्री संजय कुमार (क्षेत्र संख्या–183, कुम्हरार)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : श्रीमती अनीता ।

तारांकित प्रश्न संख्या–914, श्रीमती अनीता (क्षेत्र संख्या–239, वारिसलीगंज)

(लिखित उत्तर)

श्री मंगल पांडे, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में सरकारी एवं निजी प्रक्षेत्र में ए0एन0एम0, जी0एन0एम0, बी0एस0सी0 नर्सिंग, फार्मेसी एवं पारा मेडिकल संस्थानों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें पर्याप्त संख्या में सीटें उपलब्ध है, जिसकी विवरणी निम्नवत हैः–

(क) नर्सिंग पाठ्यक्रमः–

| क्र0 | पाठ्यक्रम का नाम | सरकारी/निजी | संस्थानों की कुल संख्या | स्वीकृत सीटों की कुल संख्या | कुल सीटों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ए0एन0एम0 | सरकारी | 82 | 5070 | 18103 |
| | | निजी | 226 | 13033 | |
| 2 | जी0एन0एम0 | सरकारी | 30 | 1778 | 11233 |
| | | निजी | 140 | 9455 | |
| 3 | बी0एस0सी0 नर्सिंग | सरकारी | 09 | 540 | 7490 |
| | | निजी | 99 | 6950 | |
| 4 | एम0एस0सी0 नर्सिंग | निजी | 23 | 1299 | 1299 |
| 5 | पोस्ट बेसिक नर्सिंग | निजी | 44 | 2890 | 2890 |

(ख) फार्मेसी संस्थानः–

| क्र0 | पाठ्यक्रम का नाम | सरकारी/निजी | संस्थानों की कुल संख्या | स्वीकृत सीटों की संख्या | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | डी0 फार्म | बी0 फार्म | एम0 फार्म |
| 1 | फार्मेसी | सरकारी | 5 | 300 | 100 | 21 |
| | | निजी | 86 | 5100 | 6820 | 00 |
| | | कुलः–– | 91 | 5400 | 6920 | 21 |

(ग) पारा मेडिकल संस्थान–

| क्र0 | पाठ्यक्रम का नाम | सरकारी/निजी | संस्थानों की कुल संख्या | सीटों की कुल संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | पारा मेडिकल | सरकारी | 42 | 3321 |
| | | निजी | 86 | 29850 |

अतः राज्य में नर्सिंग, फार्मेसी एवं पारा मेडिकल पाठ्यक्रम में पर्याप्त संख्या में सीटें उपलब्ध है, जिसपर नामांकन लेकर छात्र/छात्राओं द्वारा अध्ययन किया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा सात निश्चय कार्यक्रम के तहत प्रत्येक अनुमंडल स्तर पर 01 ए0एन0एम0 संस्थान, प्रत्येक जिला स्तर पर 01 जी0एन0एम0 नर्सिंग संस्थान तथा 01 पारा मेडिकल संस्थान या फार्मेसी संस्थान एवं प्रत्येक सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में बी0एस0सी0 नर्सिंग संस्थान के स्थापना का निर्णय लिया गया है।

वर्त्तमान में प्रखण्ड स्तर पर सरकारी स्तर पर इन संस्थानों के स्थापना का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

श्रीमती अनीता : धन्यवाद सर । बिहार प्रदेश के सभी प्रखंडों में पारा मेडिकल, फार्मेसी एवं नर्सिंग कॉलेज नहीं है जिसके कारण छात्र–छात्राओं को मेडिकल, प्रयोगशाला, ए0एन0एम0, जी0एन0एम0, बी0 फार्मा, डी0 फार्मा, बी0एस0सी0 नर्सिंग जैसे कोर्स की पढ़ाई करने में काफी परेशानी होती है । ए0एन0एम0, जी0एन0एम0, बी0 फार्मा, डी0 फार्मा, बी0एस0सी0 नर्सिंग की पढ़ाई...

अध्यक्ष : जवाब मिला है न आपको ?

श्रीमती अनीता : जवाब मिला है सर, लेकिन संतुष्ट नहीं हैं ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछ लीजिए ।

श्रीमती अनीता : महोदय, क्या सरकार पूरे प्रदेश में प्रखंड स्तर पर पारा मेडिकल या फार्मेसी या नर्सिंग कॉलेजों में कोई एक–एक संस्थान खुलवाना चाहती है । अध्यक्ष महोदय, खास करके गरीब छात्र–छात्राओं को इस महंगाई में गांव से जिला स्तर पर या अनुमंडल स्तर पर जाकर पढ़ाई करने मे इस महंगाई के दौर में संभव नहीं हो पाता । प्रखंड स्तर पर कॉलेज की स्थापना होने से सिर्फ गरीब छात्र–छात्राएं ही नहीं...

अध्यक्ष : बैठ जाइए, आपका विषय का गया है, आप जवाब सुन लीजिए ।

श्रीमती अनीता : जी ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री मंगल पांडे, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने जवाब में बहुत विस्तार से संस्थानों की जानकारी दी है । ए0एन0एम0 के कुल राज्य के अंदर 308 संस्थान हैं, जी0एन0एम0 का कुल 170 संस्थान है, बी0एस0सी0 नर्सिंग का कुल 108

संस्थान है, एम0एस0सी0 नर्सिंग के कुल 23 संस्थान हैं, पोस्ट बेसिक नर्सिंग के कुल 44 संस्थान हैं और फार्मेसी के कुल 91 संस्थान हैं, पारा मेडिकल के कुल 128 संस्थान हैं तो इतने संस्थान हैं महोदय और राज्य में नर्सिंग फार्मेसी एवं पारा मेडिकल पाठ्यक्रम में पर्याप्त संख्या में सीटें उपलब्ध हैं जिसमें नामांकन लेकर छात्र–छात्राओं द्वारा अध्ययन किया जा रहा है । राज्य सरकार द्वारा सात निश्चत कार्यक्रम के तहत प्रत्येक अनुमंडल स्तर पर 01 ए0एन0एम0 संस्थान, प्रत्येक जिला स्तर पर 01 जी0एन0एम0 नर्सिंग संस्थान तथा एक पारा मेडिकल संस्थान या फार्मेसी संस्थान एवं प्रत्येक सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में बी0एस0सी0 नर्सिंग संस्थान के स्थापना का निर्णय भी लिया गया और उसे बनवाया भी गया । वर्त्तमान में प्रखण्ड स्तर पर सरकारी स्तर पर इन संस्थानों के स्थापना का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है महोदय ।

टर्न–7 / यानपति / 13.02.2026

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ ।

जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिये जायं ।

<u>सभा मेज पर कागजात का रखा जाना</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं ''बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)(संशोधन) नियमावली, 2025''; बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि नियमावली, 2024''; ''बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि (संशोधन) नियमावली, 2025'' एवं ''बिहार प्रशासनिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2025'' की एक–एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, ऊर्जा विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम 2013 की धारा–395 के तहत् बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2018–19, एवं 2019–20 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं ''बिहार राज्य कर्मचारी सेवा–शर्त (रूपांतरित सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना) नियमावली, 2025'' की हिन्दी एवं अंग्रेजी की एक–एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, समाज कल्याण विभाग ।

श्री मदन सहनी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा–23(2) एवं बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियमावली, 2010

के नियम–21(3) के तहत् बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग का वर्ष 2024–25 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष : अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जायेगी ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक–13 फरवरी, 2026 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है । श्री कुमार सर्वजीत, स0वि0स0, श्री अरूण सिंह, स0वि0स0, श्री अमरेन्द्र कुमार, स0वि0स0, श्री संदीप सौरभ, स0वि0स0, श्रीमती सावित्री देवी, स0वि0स0 एवं श्री अजय कुमार, स0वि0स0 ।

आज दिनांक–13 फरवरी, 2026 को सदन में वित्तीय वर्ष 2026–27 के आय–व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर वाद–विवाद एवं मतदान निर्धारित है ।

अतः बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली के नियम–172(3) एवं 47(2) के तहत् नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है ।

श्री कुमार सर्वजीत : महोदय, पढ़वा लिया जाय ।

अध्यक्ष : पढ़ लीजिए ।

श्री कुमार सर्वजीत : अध्यक्ष महोदय, यह इतना इंपॉर्टेंट है । बिहार राज्य में सामाजिक न्याय की जड़ों को मजबूत करने हेतु वर्ष 2023 में जातीय आधारित गणना कराई गई थी, जिसके आधार पर आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65 प्रतिशत किया गया था। सवर्णों के 10 प्रतिशत (EWS) आरक्षण को जोड़कर कुल सीमा 75 प्रतिशत पहुंच गई थी । किंतु केंद्र सरकार द्वारा इसे भारतीय संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने में विलंब और उदासीनता के कारण राज्य के पिछड़े एवं वंचित वर्गों को इसका पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा है ।

तमिलनाडु राज्य में 69 प्रतिशत आरक्षण पिछले 35 वर्षों से नौवीं अनुसूची के संरक्षण के कारण सुरक्षित और प्रभावी है, जिससे स्पष्ट है कि यदि इच्छाशक्ति हो तो आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जा सकता है । बिहार की वर्तमान सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति को देखते हुए यह अत्यंत आवश्यक है कि आरक्षण की इस सीमा को अब 65 प्रतिशत से बढ़ाकर 85 प्रतिशत किया जाए ।

अतः दिनांक–13.02.2026 के सारे पूर्व के निर्धारित कार्यक्रम को स्थगित कर सरकार अविलंब 85 प्रतिशत आरक्षण का नया विधेयक सदन में लाए और इसे दोनों सदनों से पारित कराकर भारत सरकार के माध्यम से संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल कराने हेतु जैसे अति लोक महत्व के विषय पर विमर्श हो ।

अध्यक्ष : अब शून्यकाल लिये जायेंगे । श्री शुभानंद मुकेश ।

श्री शुभानंद मुकेश : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलांतर्गत अनुमंडल अस्पताल, कहलगांव में आपातकालीन स्थिति में मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध नहीं हो पाने से

गंभीर परेशानी होती है । दुर्घटना, प्रसव एवं अन्य आपात मामलों में जान का जोखिम बढ़ जाता है ।

अतः यहां ब्लड बैंक की स्थापना करने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं ।

श्री विष्णु देव पासवान : अध्यक्ष महोदय, सिवान जिलांर्गत दरौली विधान सभा के दरौली प्रखंड, पंचायत दोन बाजार में सड़क के दोनों किनारों पर नाला नहीं होने से जल निकासी के अभाव में जनता, दुकानदारों और राहगीरों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, दोन बाजार में नाला निर्माण कराने हेतु सरकार से मांग करता हूं ।

श्री रोमित कुमार : अध्यक्ष महोदय, गरीबों के प्रेरणास्रोत पर्वत पुरुष दशरथ मांझी एवं बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू के अतुलनीय योगदान को देखते हुए बिहार सरकार से मांग करता हूं कि केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजकर दोनों महान विभूतियों को भारत रत्न सम्मान प्रदान कराया जाए, ताकि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर उचित सम्मान मिल सके ।

श्रीमती संगीता देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, बलरामपुर विधान सभा अंतर्गत बारसोई प्रखंड में स्थित पीएचसी अस्पताल जो वर्तमान में छोटे से कार्यालय में संचालित होने के कारण मरीजों को समुचित उपचार उपलब्ध नहीं करा पा रहा है।

अतः जगह चिन्हित कर सीएचसी भवन के शीघ्र निर्माण की मांग करती हूं ।

श्रीमती बिनिता मेहता : अध्यक्ष महोदय, नवादा जिलांतर्गत भीखमपुर, छनौन, कोशीरुखी, बुधौली, कबला, पाण्डेयगौंगट, नावाडीह और केवाली पंचायत प्रखंड मुख्यालय 14 कि0मी0 दूर जाना पड़ता है, जिससे किसान एवं छात्रों को दिन भर प्रखंड मुख्यालय जाने में समय बर्बाद हो जाता है । रुपौ को प्रखंड बना दिया जाय तो सब पंचायत की दूरी मात्र 03 कि0मी0 हो जायेगी ।

अतः सरकार से मांग करती हूं कि रुपौ को प्रखंड बनाया जाय।

श्री उदय कुमार सिंह, अध्यक्ष महोदय, शेरघाटी विधान सभा अंतर्गत डोभी प्रखंड के पंचायत अमारूत में उप स्वास्थ्य केन्द्र कई वर्षों से किराए के मकान में संचालन किया जा रहा है जिसके कारण ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

अतः मैं सरकार से जनहित में पंचायत अमारूत में उप स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण करवाने का मांग करता हूं ।

श्री कृष्णनंदन पासवान : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चंपारण जिलान्तर्गत हरसिद्धि प्रखंड स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय (10+2) मठलोहियार में करीब 500 छात्र/छात्राओं की संख्या है, विद्यालय के पास कक्षा भवन नहीं होने से छात्र/छात्राओं को खुले स्थान अथवा अस्थायी व्यवस्था में पढ़ाई करनी पड़ती है ।

उक्त विद्यालय में भवन एवं चारदिवारी निर्माण कराने का सरकार से मांग करता हूं ।

श्री प्रमोद कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत मदनपुर प्रखंड के आँजन एवं देवजरा में नये थाना का उद्घाटन होने के बावजूद थानाध्यक्ष व पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति नहीं होने से उपयोगिता नगण्य है व आपराधिक मामलों में वृद्धि हो गयी है ।

अतएव आँजन एवं देवजरा थाना भवन में अविलंब थानाध्यक्ष के साथ पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जाय ।

श्री ललन राम : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिला के नवीनगर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पाण्डु के सामने रजवारडीह के समीप होलया नदी पर पुल नहीं होने से ग्रामीण जनता को आवागमन में काफी कठिनाई होती है, सरकार से पुल बनाने की मांग करता हूं ।

श्री विमल राजवंशी : अध्यक्ष महोदय, रजौली विधान सभा अंतर्गत सिरदला मोड़ से खनवां तक मुख्य मार्ग शीघ्र चौड़ीकरण कराया जाए तथा किनारे में नाला, स्ट्रीट लाइट, शौचालय, बस स्टॉप जैसी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था हेतु सरकार से मांग करता हूं ।

श्री राकेश रंजन : अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिले के शाहपुर विधान सभा अंतर्गत बिहिया प्रखंड में कोई भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है जिससे छात्र–छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु घर से लंबी दूरी तय करनी पड़ती है ।

अतः बिहिया प्रखंड में डिग्री कॉलेज स्थापित करने हेतु सरकार से मांग करता हूं ।

टर्न–8 / मुकुल / 13.02.2026

श्री इन्द्रदेव सिंह : अध्यक्ष महोदय, सिवान जिलान्तर्गत पचरूखी में पूर्व से चीनी मिल चल रहा था, जो अभी बंद पड़ा हुआ है । अतः पचरूखी चीनी मिल को पुनः चालू कराने की मांग करता हूं ।

श्रीमती कविता देवी : अध्यक्ष महोदय, कोढ़ा विधान सभा क्षेत्र के फलका प्रखण्ड अंतर्गत हथवाड़ा में बरंडी नदी के कटाव से प्रतिवर्ष लगभग 100 एकड़ उपजाऊ भूमि नष्ट हो रही है । कोलवा, बालू टोला एवं दो आदिवासी बस्तियों का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा कटाव की चपेट में आ चुका है । अतः कटाव रोकने हेतु स्थायी सुरक्षात्मक की मांग करती हूं ।

श्रीमती निशा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य के बिजली वितरण कम्पनी में सबसे ज्यादा जोखिम उठाकर कार्य करने वाले मानवबल को निजी ठेकेदारों से मुक्त कर सीधी भर्ती की जाय, तथा कार्य के दौरान मृत्यु होने पर

परिजनों की नौकरी एवं सम्मानजनक मुआवजा देने की मांग मैं सरकार से करती हूं ।

प्रो0 नागेन्द्र राउत : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिलान्तर्गत मरहा नदी बेलहिया, मकनोहिया, राधाउर, भुजौलिया एवं अन्य गांव के चौड़ से गुजरती है । नदी में अत्यधिक गाद (बालू) होने के कारण पानी का फैलाव बारहों महीने रहने से हजारों एकड़ भूमि में खेती नहीं होने से किसान परेशान हैं । मैं उक्त नदी की उड़ाही की मांग करता हूं।

श्रीमती छोटी कुमारी : अध्यक्ष महोदय, छपरा के हजारों वृद्धों के उंगलियों के निशान घिस जाने और आयुजनित कारणों से आइरिस स्कैन न होने के कारण बायोमैट्रिक सत्यापन नहीं हो पा रहा है । इससे जीवन प्रमाण–पत्र नहीं बन रहा और महीनों से पेंशन बंद है । भौतिक सत्यापन की वैकल्पिक व्यवस्था कर पेंशन शीघ्र चालू करे ।

श्री आनन्द मिश्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, बक्सर उप–विकास आयुक्त के प्रशिक्षण में चले जाने के कारण जिला परिषद मद षष्टम् एवं 15वीं वित्त की राशि निकासी नहीं होने से पूर्व की भांति इस वर्ष भी विकास कार्य बाधित है । वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही राशि निकासी कराकर कार्य कराने की मांग करता हूं ।

श्री भरत बिन्द : माननीय अध्यक्ष महोदय, कैमूर जिला के रामपुर प्रखंड के बेलावं स्थित स्टेडियम में जमीन समतल नहीं होने के कारण खिलाड़ियों को विभिन्न प्रकार के खेल खेलने में काफी कठिनाई होती है । अतः उक्त स्टेडियम को समतल कराने की मांग सरकार से करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, रोहित पाण्डेय जी शून्यकाल का जो, सभी सदस्य जान जाए कि 50 शब्द में ही देना है, आपने 88 शब्द में दिया है, उसके बाद आगे से ऐसी गलती न हो इसका आगे ख्याल रखियेगा ।

श्री रोहित पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, आगे से हम इसका ध्यान रखेंगे । अध्यक्ष महोदय, भागलपुर सहित राज्य में सूखा नशा गंभीर संकट बन गया है। किशोर एवं युवा स्मैक, ब्राउन शुगर, नशीली गोलियां एवं कफ सिरप की चपेट में आ रहे हैं, जिससे उनका भविष्य एवं सामाजिक वातावरण प्रभावित हो रहा है । इसके कारण आपराधिक घटनाओं में भी वृद्धि हो रही है, जो अत्यंत चिंताजनक है । अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि विशेष टास्क फोर्स का गठन कर सघन अभियान चलाया जाए, अवैध नशा कारोबार पर कठोर कार्रवाई की जाए तथा व्यापक नशामुक्ति जागरूकता अभियान संचालित किया जाए ।

श्री बीरेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, रोसड़ा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत फुलहारा पंचायत के प्राथमिक विद्यालय, फुलहारा (अनुसूचित जाति) भवन के लिए जमीन उपलब्ध है । अंचल से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त है । उक्त भूमि पर विद्यालय भवन बनवाने की मांग करता हूं ।

श्रीमती देवंती यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज स्थित बियाडा में निर्मित स्टार्च फैक्ट्री जो कि मक्का आधारित क्षेत्र में स्थित है 2013 में बना था परन्तु आज तक चालू नहीं हुआ है । वहां के किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए स्ट्रार्च फैक्ट्री को यथाशीघ्र चालू कराने हेतु मांग करती हूं ।

श्री नागेन्द्र चंद्रवंशी : अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिला अंतर्गत 211–नोखा विधान सभा सहित पूरे जिले में एंटीरेबीज वैक्सीन की कमी होना गंभीर विषय है । क्योंकि रेबीज जैसे बीमारी का समय पर वैक्सीन नहीं लगने पर जानलेवा हो सकता है । अतः एंटीरेबीज वैक्सीन तत्काल उपलब्ध कराने की मांग मैं सरकार से करता हूं ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के केसरिया विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत संग्रामपुर और कल्याणपुर प्रखंडों में बच्चों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने हेतु आई0टी0आई0 कॉलेज की स्थापना करने की मांग करती हूं ।

श्री मंजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, गोपालगंज जिला के बरौली थानान्तर्गत ग्राम बलहां निवासी दो बच्चे विकास कुमार (13 वर्ष) एवं रेहान अली (12 वर्ष) दिनांक–06.02.2026 की सुबह से लापता है, जिसका बरौली थाना केस नं0–44/26 दर्ज है के शीघ्रातिशीघ्र बरामदगी की मांग सरकार से करता हूं।

श्री मोहम्मद मुर्शिद आलम : अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया प्रमंडल में छात्र–छात्राओं को बी0एड0 की डिग्री प्राप्त करने हेतु कोई भी सरकारी महाविद्यालय नहीं है जिससे उक्त प्रमंडल के गरीब छात्र–छात्राएं उक्त डिग्री प्राप्त करने से वंचित हैं । प्राईवेट कॉलेज में बच्चों को 1,60,000 देना पड़ता है । अतः उक्त डिग्री महाविद्यालय अररिया में खोलने की मांग करता हूं ।

श्री कलाधर प्रसाद मंडल : अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिला के रूपौली प्रखंडन्तर्गत पंचायत–नाथपुर सुदूर बाढ़ प्रभावित एवं अति पिछड़ा क्षेत्र है, यहां छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में काफी कठिनाई होती है । कन्या उच्च विद्यालय के लिए 8 एकड़ भूमि उपलब्ध है । अतः नाथपुर पंचायत में कन्या उच्च विद्यालय निर्माण कराने की मांग करता हूं ।

श्री मुरारी पासवान : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत पीरपैंती प्रखण्ड में ताप विद्युत परियोजना की स्थापना के क्रम में आवासित पहाड़िया जनजाति के 100 घर परियोजना में चला गया है । उन्हें अन्य स्थानों पर चिन्हित कर पुनर्स्थापित करते हुए कब्रिस्तान की भी भूमि उपलब्ध कराने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं ।

श्री संदीप सौरभ : अध्यक्ष महोदय, पटना जिलान्तर्गत पालीगंज प्रखंड में डीहपाली से लेकर खपुरा और लालंगज सेहरा होते हुए लक्ष्मीटोला तक के पइन की

उड़ाही नहीं होने से हजारों एकड़ की खेती जल–जमाव को कारण बर्बाद हो रही है । अतः तत्काल डीहपाली से लक्ष्मीटोला तक के पइन की उड़ाही की मांग करता हूं ।

श्रीमती ज्योति देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, गया जी जिला–अन्तर्गत प्रखण्ड–मोहनपुर–पंचायत लखैपुर केन्दुआरी में तथा पंचायत बुमुआर के लहथुआ चनहुआंजागीर में पावर ग्रिड का निर्माण मानक के अनुरूप नहीं किया जा रहा है । घटिया सामग्री लगायी जा रही है । समुचित जांचकर पदाधिकारी एवं संवेदक पर उचित कार्रवाई की मांग करती हूं ।

श्री अरूण सिंह : अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत काराकाट प्रखंड से इटढ़िया ग्राम में काव नदी पर फॉल में लगे फाटक सड़ चुके हैं जो पानी रोकने में सक्षम नहीं है । उक्त फॉल में लगे फाटकों का जीर्णोद्धार/मरम्मति कार्य कराने की सदन के माध्यम से मांग करता हूं ।

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, सड़क दुर्घटना को देखते हुए शून्यकाल प्रश्न के माध्यम से सदन से मांग करता हूं कि सारण जिलांतर्गत एस0एच0–90 सांढ़ा–कृषि–बाजार (छपरा) से मशरक को 2–लेन सड़क से 4–लेन में चौड़ीकरण, दिघवारा–भेल्दी–अमनौर–तरैंया–सिमरी एस0एच0–104 एवं सिवान–बसंतपुर–मशरक–तरैंया–मढ़ौरा–शीतलपुर एस0एच0–73 को Two Lane with Paved Sholder के रूप में उन्नयन करने से सड़क दुर्घटना में कमी, आम लोगों के जीवन–यापन तथा व्यापार में सुविधा हेतु स्वीकृत करावें।

टर्न–9/सुरज/13.02.2026

श्री साम्रीद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, सिकटा में स्थित प्राचीन 'दूधहा मठ' एक महान धार्मिक धरोहर है । सीमावर्ती क्षेत्र में होने के कारण इसका बहुत महत्व है । इस ऐतिहासिक मठ का सरकारी सर्वे कराकर इसे धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए । ताकि इस क्षेत्र की गरिमा और पहचान और बढ़ सके ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण सूचनाएँ ली जायेंगी और ध्यानाकर्षण के उपरांत समय बचने पर अगर सदन की सहमति हो तो शेष शून्यकाल की सूचनाएँ ली जायेंगी ।

अब ध्यानाकर्षण सूचनाएँ लिये जायेगे । माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान अपनी सूचना को पढ़ें ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री अखतरूल ईमान, संदीप सौरभ एवं अन्य छः सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार (स्वास्थ्य विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री अखतरूल ईमान : माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत कई वर्षों से सीमांचल क्षेत्र में कैंसर रोगियों की संख्या अत्यधिक बढ़ती जा रही है । जिसका मुख्य कारण Ground Level Water में आर्सेनिक और यूरेनियम की अधिक मात्रा है । विशेषकर Mouth, Breast और Lever Cancer के मरीजों की संख्या दिन–ब–दिन बढ़ती जा रही है ।

विगत दिनों महावीर कैंसर संस्थान, पटना के रिपोर्ट से इसकी पुष्टि हो रही है । बिहार में सर्वाधिक कैंसर मरीज सीमांचल के जिला (अररिया, पूर्णियां, कटिहार, किशनगंज एवं सुपौल) है जो चिंता का कारण बना है ।

अतः सीमांचल में कैंसर अस्पताल स्थापित करने तथा बढ़ती कैंसर रोगियों के संबंध में विशेष शोध कराने, आर्सेनिक एवं यूरेनियम जैसी घातक धातु से करोड़ों की जनसंख्या को बचाने एवं क्षेत्रीय आपदा मानकर पीड़ितों को सरकार स्तर से मुफ्त इलाज कराने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं ।

श्री मंगल पांडे, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में कैंसर मरीजों के समुचित ईलाज हेतु सरकार द्वारा चिकित्सकीय व्यवस्था को निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है । इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना सं0–687, दिनांक–23.05.2025 के द्वारा बिहार कैंसर केयर एवं रिसर्च सोसायटी का गठन किया गया है । जिसका उद्देश्य राज्य में कैंसर रोग की रोकथाम, समुचित ईलाज, दीर्घकालिक प्रबंधन एवं कैंसर चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है । साथ ही महावीर कैंसर संस्थान एवं अनुसंधान केन्द्र पटना द्वारा यूरेनियम संबंधी शोध भी किये गये हैं । राज्य में कैंसर रोग के स्क्रीनिंग एवं कीमोथेरेपी की सुविधाएं आम जनमानस को सुलभ कराने के उद्देश्य से वर्ष 2022 में होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर एवं राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के मध्य द्विपक्षीय एकरारनामा हस्ताक्षरित किया गया है । जिसके तहत तीनों प्रकार के सामान्य कैंसर मुंह, स्तन एवं गर्भाशय की स्क्रीनिंग, प्रारंभिक जांच एवं उसके बचाव हेतु आम जनमानस में जागरूकता उत्पन्न करने का कार्य किया जा रहा है। आर्सेनिक एवं यूरेनियम संबंधी शोध कार्य को बढ़ावा देने हेतु आई0जी0आई0एम0एस0, पटना स्थित स्टेट कैंसर इंस्टीच्यूट, एम्स पटना, एच0बी0सी0एच0 एंड आर0, मुजफ्फरपुर एवं महावीर कैंसर हॉस्पीटल एंड रिसर्च इंस्टीच्यूट के साथ समन्वय करते हुये एक कोर ग्रुप का गठन किया गया है । सरकार द्वारा सीमांचल क्षेत्र के सभी जिलों अररिया, पूर्णियां, कटिहार, किशनगंज, सुपौल में कैंसर स्क्रीनिंग, डे–केयर कैंसर सेंटर, पॉली एक्टिव केयर, बायोप्सी तथा कीमोथेरेपी की सुविधाएं उपलब्ध करायी जा

रही हैं । इन सभी जिलों में कोल्पोस्कोपी मशीन भी कैंसर जांच के लिये लगायी है । इन केंन्द्रों के माध्यम से जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क परामर्श जांच तथा कैंसर की दवाईयां उपलब्ध करायी जा रही है । साथ ही प्रारंभिक स्तर पर कैंसर की पहचान एवं उपचार को सुदृढ़ करने हेतु नियमित स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन भी किया जा रहा है । अक्टूबर 2022 से जनवरी 2026 तक की अवधि में इस क्षेत्र के विभिन्न जिलों में की गयी प्रारंभिक जांच स्क्रीनिंग तथा डे–केयर संबंधी विवरण निम्नवत है :

ओरल स्क्रीनिंग– अररिया में 68,700, कटिहार में 71,667, किशनगंज में 75,771, पूर्णियां में 90,890, सुपौल में 83,030 ।

ब्रेस्ट स्क्रीनिंग – अररिया 29,646, कटिहार 28,315, किशनगंज 25,308, पूर्णियां 32,730, सुपौल 46,509 ।

सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग, जिसे हम गर्भाशय का कैंसर कहते हैं– अररिया 5,189, कटिहार 4,111, किशनगंज 4,175, पूर्णियां 7,453, सुपौल 7,208।

महोदय, इसमें से जो कंफर्म केसेज आये अररिया में 74 केस कंफर्म आया टोटल, कटिहार में 103, किशनगंज में 71, पूर्णियां में 323 और सुपौल में 75 ।

महोदय, जो डे–केयर डाटा है उसको भी मैं पढ़ देना चाहता हूं । डे–केयर प्रोसिज्योर होता है वहां पर, डे–केयर ओ0पी0डी0 ओरल, ब्रेस्ट, सर्वाइकल अदर सबके होते हैं और पूर्णियां जिले में डे–केयर प्रोसिज्योर 686 हुआ, ओ0पी0डी0 ओरल 635 हुआ, ब्रेस्ट ओ0पी0डी0 722 हुआ, सर्वाइकल का ओ0पी0डी0 95 हुआ । वैसे ही अदरस डे केयर ओ0पी0डी0 964 हुआ और कीमोथेरेपी 457 लोगों की करायी गयी । आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत वर्ष 2020 से वर्ष 2026 तक की अवधि में सीमांचल क्षेत्र के उपर्युक्त वर्णित जिलों में अररिया, पूर्णियां, कटिहार, किशनगंज एवं सुपौल में कुल 22,217 कैंसर मरीजों के ईलाज हेतु कुल 58,10,35,800/– रुपया व्यय किया गया है । सीमांचल क्षेत्र के इन जिलों के कैंसर मरीजों को जनवरी 2020 से दिसंबर 2025 तक की अवधि में मुख्यमंत्री चिकित्सा कोष से दी गयी सहायता राशि एवं मरीजों की संख्या का जिलावार विवरण निम्नवत है :

महोदय, पहले जो मैंने बताया वह प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का था । यह जो है यह मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से है जो यहां पटना से दी जाती है ।

अररिया में 2049 मरीजों को 13,85,75,000/– रुपये दिये गये । कटिहार में 1945 मरीजों को 13,00,70,000/– रुपये दिये गये । किशनगंज में 938 मरीजों को 6,14,29,000/– रुपये दिये गये । पूर्णियां में 407 मरीजों को

16,27,90,000/– रुपये दिये गये । सुपौल में 2309 मरीजों को 16,11,60,000/– रुपये दिये गये । महोदय, कुल संख्या 9648 है और 65,40,24,000/– रुपये इन पांच जिलों के मरीजों को कैंसर के ईलाज के लिये मुख्यमंत्री चिकित्सा कोष से दिया गया है ।

मैंने विस्तार से माननीय सदस्य को बताया है कि उस सीमांचल के क्षेत्र में कैंसर के मरीजों के लिये किस प्रकार से सरकार काम कर रही है और सभी जिलों में, जो माननीय सदस्य का प्रश्न था कि जांच हो, स्क्रीनिंग हो, ट्रीटमेंट हो । यह सभी जिलों में जो हो रहा है उसका भी विस्तार से मैंने डाटा बताया है कि कहां कितना हुआ है और माननीय सदस्य को मैं जरूर कहना चाहता हूं कि इसके अतिरिक्त भी कुछ सुझाव माननीय सदस्य और सेवा को बेहतर करने के लिये देंगे तो मैं उनके सुझाव का स्वागत करूंगा और उसका अनुपालन करने का प्रयास करूंगा ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, मैं बड़ा आभारी हूं माननीय मंत्री जी का कि बहुत ही विस्तार पूर्वक उन्होंने जवाब दिया है और इस चिंता का भी जिक्र किया गया है कि सीमांचल के क्षेत्र में मरीजों की तादाद बहुत ज्यादा है और यह स्क्रीनिंग वगैरह का काम वहां करा रहे हैं । हालांकि सीमांचल में ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, उसके लिये लोग यहां पर महावीर में आते हैं, आई0जी0आई0एम0एस0 में आते हैं या टाटा जाते हैं । मैं यह कहता हूं कि दो चीजें हैं एक है लगी हुई आग को बुझाना और दूसरी बात है आग लगने नहीं देना । तो हमारे यहां कैंसर की बीमारी हो रही है उसका ईलाज ये करा रहे हैं । कैंसर की बीमारी न हो और कैंसर की बीमारी क्यों हो रही है इस पर एक शोध कराया जाए । चूंकि वहां सी0जी0डब्लू0बी0 (सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड) के मुताबिक वहां पर आयरन की मात्रा जो 634 सैंपल लिये गये हैं, उसमें कहीं 15 पी0पी0एम0 हैं, कहीं 30 पी0पी0एम0 हैं । यूनिवर्सिटी मानचेस्टर और महावीर कैंसर का एक ज्वाइंट रिसर्च हुआ । यूरेनियम के कारण किडनी, थायराइड, बोन न्यूरो, डिप्रेशन और ब्लड कैंसर की बीमारी बढ़ रही है, इनका ज्वाइंट रिसर्च हुआ, उसमें भी उस इलाके को बताया गया । बी0बी0सी0 के अनुसार बिहार के 6 जिलों के दुध पिलाने वाली महिलाओं के 35 सैंपल लिये गये ।

(क्रमशः)

टर्न–10/धिरेन्द्र/13.02.2026

....क्रमशः....

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, और एन॰आई॰पी॰ई॰आर॰ (नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च)...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सुझाव दे दीजिये ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, वैशाली में है, उसका टेस्ट हुआ, सुन कर हैरत होगी कि दूध पिलाने वाली 35 औरतों के दूध में 70 परसेंट बच्चों के खून में यूरेनियम पाया गया और सबसे ज्यादा यूरेनियम की मात्रा थी वह 0 से लेकर...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार शोध कराने के बारे में कही है ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, 5.25 तक और 5.25 यूरेनियम पाया गया वह कटिहार की दूध पिलाने वाली महिलाओं में तो हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय है । इसलिए हम माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहे हैं कि वहाँ आपदा है, गरीब हैं, वहां से आता है, महोदय, हमारे यहां चलिये, पूरे सीमांचल के क्षेत्र में, हमारे यहां पेसेंट से भरा रहता है....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछ लीजिये । कहानी नहीं बनाइये, पूरक पूछ लीजिये।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, एक मिनट । महोदय, 20 में से 10 पेसेंट कैंसर का है तो हम यह चाहते हैं कि वह गरीब क्षेत्र है, दूर है 400–500 किलोमीटर की दूरी पर तो वहां पर महावीर कैंसर अस्पताल की तरह या भाभा को जिस तरह से इन्होंने साईन किया है, उस तरह का शोध संस्थान और एक ट्रीटमेंट हॉस्पिटल कायम करने की कृपा करें तो वहां के गरीबों के लिए बड़ी मेहरबानी होगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण.....

(व्यवधान)

श्री मंगल पाण्डे, मंत्री : महोदय, एक मिनट । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने जवाब में लिखा है कि आर्सेनिक एवं यूरेनियम संबंधी शोध कार्य को बढ़ावा देने हेतु आई॰जी॰आई॰एम॰एस॰, पटना स्थित स्टेट कैंसर इंस्टीच्यूट, एम्स, पटना और होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, मुजफ्फरपुर और महावीर कैंसर हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च इंस्टीच्यूट के साथ समन्वय करते हुए एक कोरग्रुप का गठन किया जा चुका है और वह कोरग्रुप ऑलरेडी उस पर कार्य कर रही है। महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि इस राज्य में आज से एक दशक पूर्व, किसी जिले का छोड़िये इस राज्य के कुछ प्रमुख शहरों में स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था नहीं होती थी, आज सभी जिलों में स्क्रीनिंग की व्यवस्था है । कैंसर के बारे में कहा जाता है कि मरीज को जितना जल्दी पहचान लेंगे, उसका जीवन हम उतना लंबा कर सकते हैं तो इस सोच के साथ सरकार काम कर रही है और जो माननीय सदस्य का आर्सेनिक और यूरेनियम के बारे में चिंता है तो हमारे राज्य के चार बड़े संस्थान जो हैं उनको साथ में को–ऑर्डिनेशन कर काम करने के लिए कोरग्रुप बन गया है और जो जल में यूरेनियम और आर्सेनिक के बारे में माननीय सदस्य ने ध्यान आकृष्ट कराया है, वह पी॰एच॰ई॰डी॰ विभाग से जुड़ा हुआ विषय है लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है कि पी॰एच॰ई॰डी॰ विभाग भी इस विषय को लेकर बहुत गंभीर है और वहाँ भी इसकी निरंतर जाँच करायी जाती है और जिन क्षेत्रों में आर्सेनिक, यूरेनियम या ऐसे तत्व जो शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं, वहाँ उन लोगों के बचाव के प्रयास पी॰एच॰ई॰डी॰ के

माध्यम से भी किए जाते हैं और स्वास्थ्य विभाग भी यदि कोई मरीज बन जाता है तो उसका उपचार करता है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, शेष ध्यानाकर्षण की सूचनाएं अगली तिथि को ली जायेगी।

अब सभा की कार्यवाही 02.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न–11 / अंजली / 13.02.2026

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब वित्तीय कार्य लिये जायेंगे ।

<u>वित्तीय कार्य</u>

माननीय सदस्यगण, आज राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अनुदान की मांग पर वाद–विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है । इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा :–

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, ध्यानाकर्षण के बारे में कहा गया था ।

अध्यक्ष : सोमवार को होगा । घोषणा कर दिए थे, आप ध्यान नहीं दिए होंगे ।

| | |
|---|---|
| भारतीय जनता पार्टी | – 66 मिनट |
| जनता दल यूनाइटेड | – 63 मिनट |
| राष्ट्रीय जनता दल | – 18 मिनट |
| लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) | – 14 मिनट |
| इंडियन नेशनल कांग्रेस | – 04 मिनट |
| हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा | – 04 मिनट |
| ए॰आई॰एम॰आई॰एम॰ | – 04 मिनट |
| राष्ट्रीय लोक मोर्चा | – 03 मिनट |
| सी॰पी॰आई॰ (एम॰एल॰)(एल॰) | – 01 मिनट |
| सी॰पी॰आई॰ (एम॰) | – 01 मिनट |
| बहुजन समाजवादी पार्टी | – 01 मिनट |
| इंडियन इंक्लूसिव पार्टी | – 01 मिनट |

.....

कुल = 180 मिनट

.....

माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 2190,15,01,000 / – (दो हजार एक सौ नब्बे करोड़ पन्द्रह लाख एक हजार) रुपए से अनधिक राशि प्रदान की जाए ।''

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : इस मांग पर माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार, श्री आलोक कुमार मेहता, श्री मो॰ कमरूल होदा एवं श्री अखतरूल ईमान जी से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, ये सभी व्यापक हैं जिन पर सभी माननीय सदस्य विचार–विमर्श कर सकते हैं । माननीय सदस्य, श्री राहुल कुमार जी का प्रस्ताव प्रथम है । अतएव माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री राहुल कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''इस शीर्षक की मांग 10/– रुपए से घटाई जाए ।''

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, श्रीमती अनीता । अपना पक्ष रखें । आपके पास 10 मिनट का समय है ।

श्रीमती अनीता : माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, आभार । मैं सबसे पहले अपने नेता प्रमुख माननीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूं और पूरे बिहार की जनता मालिकों का धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूं । मुंगेर लोकसभा की जनता मालिकों और नवादा जिला के वारिसलीगंज विधान सभा क्षेत्र की जनता मालिकों का धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से कटौती प्रस्ताव पेश कर रही हूं । राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जर्जर, जटिल और जन विरोधी व्यवस्था पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं । यह विभाग सीधे तौर पर किसानों, भूमिहीनों, गरीबों और आम नागरिकों के जीवन से जुड़ा है लेकिन दुर्भाग्य से आज यही विभाग भ्रष्टाचार, देरी और अव्यवस्था का पर्याय बन गया है । जमीन का न्यायपूर्ण बंटवारा, भूमिहीनों को अधिकार और सामाजिक समानता की स्थापना इस भूमि सुधार का उद्देश्य था लेकिन आज हालत यह है कि दशकों से बंटवारे के मुकदमे लंबित पड़े हैं । पर्चाधारियों को जमीन पर वास्तविक कब्जा नहीं मिल रहा, सीलिंग की जमीन का सही वितरण नहीं हुआ, भू–माफियाओं का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जमीनी सच्चाई यह है । राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की हालत ऐसी है कि आम नागरिक एक साधारण दाखिल खारिज या म्यूटेशन के लिए महीनों चक्कर काटता है । ऑनलाइन व्यवस्था के नाम पर तकनीकी त्रुटियां और सर्वर की समस्या हमेशा रहती है । अंचल कार्यालयों में दलालों का बोलबाला चरम है, कर्मचारी और पदाधिकारियों की भारी कमी है, नापी और सीमांकन के मामलों में वर्षों की देरी होती है । आम जनता पूछ रही है क्या यह विभाग जनता की सेवा के लिए है या जनता को परेशान करने के लिए । डिजिटलीकरण का ढोल जमीनी विफलता है । सरकार डिजिटलीकरण का ढोल पीटती है लेकिन कई जमीनों का रिकॉर्ड अभी भी गलत या अधूरा है । जमाबंदी में त्रुटियां आम बात है । गलत प्रविष्टियों के कारण किसान बैंक से

ऋण नहीं ले पा रहे हैं, यदि डेटा ही गलत है तो डिजिटल होने का क्या लाभ महोदय । हम आलोचना नहीं कर रहे, बल्कि समाधान भी दे रहे हैं । सभी लंबित दाखिल खारिज और बंटवारा मामलों के लिए विशेष अभियान चलाया जाए, अंचल स्तर पर पर्याप्त कर्मचारियों की नियुक्ति हो । डिजिटल रिकॉर्ड का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए, भू–माफियाओं पर कठोर कार्रवाई हो और अवैध कब्जे हटाए जाएं । समय–सीमा में कार्य न करने वाले अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई अनिवार्य हो । भूमिहीन परिवारों को वास्तविक जमीन वितरण सुनिश्चित किया जाए । सामाजिक न्याय का प्रश्न है भूमि केवल संपत्ति नहीं है, यह सम्मान और अस्तित्व का प्रश्न है । यदि गरीब को जमीन का अधिकार नहीं मिलेगा, तो सामाजिक न्याय केवल भाषण बनकर रह जाएगा । महोदय, यह विभाग अगर सुधर गया तो लाखों गरीबों की जिंदगी बदल सकती है, लेकिन यदि इसी तरह यह चलता रहा तो यह व्यवस्था भी शोषण का सबसे बड़ा माध्यम बन जाएगा । सरकार से मेरा आग्रह है घोषणाओं से बाहर निकलकर धरातल पर सुधार करें, भूमि सुधार को सचमुच सुधार बनाएं, न कि फाइलों का खेल । जनता को राहत कब मिलेगी ?

अब आज मैं इस सदन में बिहार के खेल विभाग की गिरती हुई स्थिति पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं । महोदय, सरकार बार–बार दावा करती है कि खेल को बढ़ावा दिया जा रहा है लेकिन मैं पूछना चाहती हूं क्या बदहाल मैदान, खाली पद और पलायन करते खिलाड़ी ही खेल विकास की पहचान हैं । महोदय, आज बिहार के अधिकांश जिलों में खेल मैदान जर्जर है, स्टेडियम खंडहर बन चुके हैं, कहीं लाईट नहीं, कहीं शौचालय नहीं, कहीं जिम नहीं, कहीं प्रशिक्षण हॉल नहीं, कागजों में करोड़ों खर्च हो जाते हैं लेकिन जमीन पर सिर्फ गड्ढे और अव्यवस्था दिखाई देती है । सबसे चिंताजनक बात यह है कि कई खेल केंद्रों में प्रमाणित कोच नहीं हैं, न फिटनेस ट्रेनर, न फिजियोथेरेपिस्ट, न आधुनिक खेल विज्ञान की व्यवस्था, ऐसे में बिहार का खिलाड़ी आगे कैसे बढ़े, नतीजा यह है कि हमारा टैलेंट हरियाणा, पंजाब, रेलवे, आर्मी और निजी अकादमियों में चला जाता है । जब वही खिलाड़ी मेडल जीतते हैं, तो बिहार का नाम पीछे छूट जाता है । विकास के दावों और जमीनी हकीकत के बीच के अंतर को दिखाना चाहूंगी–

''तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है,
मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है,
जरा बाहर निकलकर देखिए, जमीन की रंगत,
यहां हर शख्स के चेहरे पर अब भी बेहिसाबी है ।''

मैं इस सदन का ध्यान पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी के कार्यकाल की एक ऐतिहासिक योजना की ओर दिलाना चाहती हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति, शांति बनाए रखें ।

श्रीमती अनीता : 'मेडल लाओ, नौकरी पाओ', उस योजना ने बिहार के खेल जगत में नई ऊर्जा भर दी थी । गांव के गरीब और पिछड़े परिवार के बच्चों को यह भरोसा मिला था कि अगर वह मेहनत करेंगे और मेडल जीतेंगे तो उनका भविष्य सुरक्षित होगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कृपया शोरगुल न करें ।

टर्न–12 / पुलकित / 13.02.2026

श्रीमती अनीता : खिलाड़ियों को सम्मान मिला । रोजगार की गारंटी मिली, युवाओं में विश्वास पैदा हुआ । यह सिर्फ योजना नहीं थी, यह खेल प्रतिभा के सम्मान का प्रतीक था । मैं राजगीर खेल विश्वविद्यालय– बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना और राजगीर में अंतरराष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम व स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के काम में तेजी लाना, तेजस्वी जी के प्रमुख विजन में से एक रहा है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति बनाये रखें ।

श्रीमती अनीता : खिलाड़ियों का सम्मान और प्रोत्साहन के लिए बिहार के इतिहास में पहली बार बड़े पैमाने पर खेल सम्मान समारोह आयोजित किए गए, जहां करोड़ों रुपये की पुरस्कार राशि सीधे खिलाड़ियों के खाते में भेजी गई । उन्होंने बुनियादी ढांचा मजबूत किया । प्रखंड स्तर पर स्टेडियम निर्माण की योजनाओं को प्राथमिकता दी गई ताकि ग्रामीण प्रतिभाओं को अभ्यास के लिए दूर न जाना पड़े । तेजस्वी जी ने खिलाड़ियों की समस्याओं को प्रशासनिक स्तर से उठाने का प्रयास किया । उनका संकल्प, माननीय तेजस्वी जी के संकल्प और काम को मैं सैल्यूट करते हुए मैं कहूंगी– ध्यान से सुनिए आप लोग, आप सभी के लिए अच्छा है । ध्यान से सुनिए–

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कृपया शांति बनाये रखिये । आपस में शोरगुल न करें ।

श्रीमती अनीता : ''बदलेगी तस्वीर बिहार की, जब मैदानों में मेला लगेगा,
अब हुनर को पहचान मिलेगी, न कोई खिलाड़ी अकेला रहेगा।
हमने मेडल के बदले नौकरी का जो सम्मान दिया है,

मिट्टी के लालों का भविष्य अब और भी सुनहरा रहेगा ।।''

''सिर्फ कागजों पर नहीं, अब मैदानों में काम दिखेगा,
बिहार का खिलाड़ी अब पूरी दुनिया के मुकाम पर दिखेगा।
राजगीर की वादियों में जो खेल का सूरज उगाया है आपने,
उसकी चमक में अब हर युवा का नाम दिखेगा ।।''

''हमने खेल को मनोरंजन सिर्फ नहीं, सम्मान बनाया था,
पसीने की हर बूंद का, हमने वाजिब दाम चुकाया था।
तर्क आप भी दीजिए, मगर आंकड़ों को देखकर,
हमने बिहार को खेलों का नया केंद्र बनाया था।।''

महोदय, एक और सवाल है । अगर अन्य राज्य अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट करा सकते हैं, तो बिहार क्यों नहीं ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, कृपया संक्षिप्त करें ।

श्रीमती अनीता : पटना, गया, दरभंगा, मुंगेर, नवादा और सभी तमाम जिलों में आधुनिक स्टेडियम विकसित किए जाएं, मैं मांग करती हूं सरकार से । अंतरराष्ट्रीय मैच...

अध्यक्ष : माननीय सदस्या कृपया संक्षिप्त करें । आपका समय समाप्त हुआ ।

श्रीमती अनीता : महोदय, एक मिनट दिया जाए । हमारा सरकार से पांच स्पष्ट प्रश्न हैं । हर जिले में कितने प्रमाणित कोच कार्यरत हैं ? गरीब एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए विशेष खेल योजना क्या है ?

महोदय, मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी प्रभावी योजना को क्यों कमजोर किया गया ? हर पंचायत में अखाड़ा निर्माण की क्या योजना है ? बिहार में अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन कब होंगे ? देश के महान फुटबॉल खिलाड़ी मेवालाल, नवादा जिले के दौलतपुर गांव में एक महादलित परिवार में उनका जन्म हुआ था ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या अनीता जी, आपका समय समाप्त हुआ । बैठ जाएं । माननीय सदस्य श्री मनोज कुमार ।

श्रीमती अनीता : मैं उनके लिए सम्मान की बात...

(व्यवधान)

श्री मनोज कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको, सदन को और अपने पार्टी के नेताओं को और विशेषकर अरवल की जनता को धन्यवाद देता हूँ । महोदय, विशेषकर अरवल की जनता का कि आज के वाद–विवाद में मुझे पार्टी की तरफ से बोलने का मौका मिला ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्या कृपया बैठ जाएं । आपकी बात प्रोसीडिंग में नहीं जा रही है। कृपया बैठ जाएं । माननीय सदस्य श्री मनोज बाबू आप बोलिये ।

(व्यवधान)

अनीता जी, कृपया बैठ जाएं । आपका समय समाप्त हो चुका है, कृपया बैठ जाएं । मनोज बाबू, आप बोलिये ।

श्री मनोज कुमार : आज राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अनुदान मांग पर हम चर्चा के लिए खड़े हैं । माननीय सदस्य राहुल जी ने 10/– रुपये का कटौती प्रस्ताव रखा है और आदरणीय माननीय सदस्या अनीता जी अपना समय समाप्त होने के बाद भी लगातार बोल रही हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति बनाये रखियें ।

श्री मनोज कुमार : मैं इनकी व्यथा को समझ सकता हूं । राजस्व विभाग पर इन्हें बोलना था, राजस्व विभाग को छूकर ये सीधे खेल विभाग की तरफ चली गईं । राजस्व विभाग क्या महत्वपूर्ण नहीं है ? इतना बड़ा राजस्व महाअभियान सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, क्या इस पर सार्थक चर्चा नहीं होनी चाहिए ? खेल के विषय में तो मैं इतने दावे से कह सकता हूं कि मेरा युवा भारत अभियान जो भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है, प्रत्येक जिला में एक युवा खेल पदाधिकारी यू0पी0एस0सी0 के माध्यम से नियुक्त किया गया है । एक बजट है, केवल उन कार्यक्रमों की समीक्षा कीजिए, गांव–गांव स्तर से खेल की प्रतिभा निकलेगा, मैं आपको यह विश्वास से कहता हूं ।

अब मैं महोदय, राजस्व विभाग पर आता हूं । एक ऐसा विभाग जो सीधे जनता से जुड़ा हुआ है । एक ऐसा विभाग जो मुगल काल से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो हम नए–नए सुधार लाए हैं, उस विभाग के बारे में आज हम चर्चा करने के लिए यहां खड़े हैं ।

महोदय, राजस्व विभाग का भू–कर संग्रह करना ही मुगल काल में एकमात्र लक्ष्य था । मुगल काल में उन्होंने एक परगना मनसब और पटवारी वगैरह व्यवस्था करके भू–राजस्व को वसूल करते थे एक निश्चित रैयतों से, लगान के माध्यम से । उसके बाद में ब्रिटिश राज आया । ब्रिटिश राज ने एक टैक्स कलेक्टर सिस्टम को यहां पर स्थापित किया । चूंकि ब्रिटिश राज का मुख्य उद्देश्य केवल किसानों से टैक्स कलेक्शन करना था, जो कि बहुत ही निर्दय तरीके से की जाती थी । जिसका परिणाम हुआ कि वह जब जमींदारी व्यवस्था लाए, वह रैयतवारी व्यवस्था लाए, वह महालवाड़ी व्यवस्था लाए, तो जबरदस्ती और निर्दयतापूर्वक लगान टैक्स कलेक्शन के कारण में रैयतों को अपनी भूमि नीलाम करनी पड़ी ।

इसी कारण इस बिहार की धरती पर स्वामी सहजानंद जी ने किसान आंदोलन चलाया । ये असमान जो रेवेन्यू कलेक्शन की प्रक्रिया थी, जो जमींदारी की प्रक्रिया थी, उसके खिलाफ में आवाज बुलंद की और जिसका परिणाम हुआ कि बिहार में पहली बार जमींदारी उन्मूलन हुआ स्वतंत्रता प्राप्ति

के बाद । इसलिए आज मैं सदन के माध्यम से उस किसान आंदोलन को सलाम करता हूं । जो इस पूरे देश को ये राह दिखाई, जो कि अंग्रेजों हम पर थोप कर गए थे ।

महोदय, अब मैं यह बात कहता हूं 1950 के बाद जब जमींदारी उन्मूलन हुआ, तो हमने लैंड रेवेन्यू व्यवस्था को जन–केंद्रित बनाने का प्रयास इस राज्य में किया और जिसका सबसे बड़ा उदाहरण 2018 में जो डिजिटलीकरण किया जा रहा है, कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं ।

हां, मैं यह मानता हूं कि इस डिजिटल करने की प्रक्रिया में कई त्रुटियां हुई हैं, कई अशुद्धियां हुई हैं । लेकिन सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। सरकार ने उसको लगातार परिमार्जन की तरफ से, परिमार्जन प्लस की तरफ से सुधार प्रक्रिया में है । चूंकि ये डिजिटल अभी शैशवावस्था में है, बाल्यावस्था में है । सौ साल के बाद भूमि सर्वे के जो कागजात हैं उनको हम दुरुस्त करने के लिए बैठे हैं अंग्रेजों के समय में आज के सौ साल हो गए । यह प्रक्रिया करने में अंग्रेजों को भी दस साल लगे थे, पूरे कागजात को बनाने में, संग्रह करने में और इन वर्षों में किसी सरकार ने इसकी सुध नहीं ली ।

अब ठीक है, हम डिजिटल किए हैं, उसमें अशुद्धियां आई हैं, उसमें हम उसका निवारण भी कर रहे हैं । लेकिन क्या पहले की सरकार का यह दायित्व नहीं बनता था ? ठीक है हम भी 20 साल रहे, आप भी 15 साल रहे, इसके पहले कांग्रेस रही, लगातार कांग्रेस सरकार रही । क्या उन वर्षों में अभिलेखागार में, आज आप देखेंगे अंचल के अभिलेख, चाहे वह जिला का अभिलेखागार हो, कोई भी जो पुराने दस्तावेज हैं, सही सलामत नहीं हैं । या तो नष्ट हो गए हैं, या तो विलुप्त हो गए हैं, या तो खो गए हैं और भू–स्वामियों के पास में भी जो अभिलेख हैं, जो कागजात हैं, वह भी अच्छे तरीके से नहीं हैं । जिसका परिणाम यह हो रहा है कि जब हम डिजिटल में, जब हमने 2018 में सभी अभिलेखों को डिजिटल किया, तो कई त्रुटियां हैं। हम त्रुटि को सुधार करने जा रहे हैं, तो कागजात नहीं होने के कारण वे आवेदन रिजेक्ट भी हो रहे हैं । हमारे रैयतों में असंतोष भी आ रहा है, लेकिन सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है ।

अब जो ऑनलाइन दाखिल–खारिज कर रहे हैं, इसमें हम लोगों ने समय अवधि भी फिक्स कर दी । सरकार ने बोला 35 दिन और अगर विवादित मामला है तो अधिकतम 73 कार्य दिवस में इसको स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाए । मैं तो माननीय मंत्री जी को देख रहा हूं कि ये लगातार राजस्व महाअभियान में जो आवेदन आ रहे हैं, जो आवेदन लंबित हैं, सभी को पारदर्शी तरीके से उसका निपटारा कर रहे हैं । जिसका एक उदाहरण हाल में ही पूर्णिया में एक मुस्लिम महिला ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस के सामने

वीडियो पर उसने बोला और मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी को यह वीडियो सभी सदस्यों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए । उसने कहा कि इस राजस्व महाअभियान से जो सुनवाई हुई, जो वे बरसों से भटक रही थी, उसका उनको त्वरित न्याय मिला । मैं इसलिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, विभाग को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो ये राजस्व महाअभियान चल रहा है जिला स्तर पर, उसको लगातार किया जाए और इससे जनता को काफी खुशी है, जनता को काफी राहत मिल रही है ।

महोदय, अब जो सबसे अधिक हमको समस्या आ रही है राजस्व रिकॉर्ड को रखने में । राजस्व रिकॉर्ड को रखने में जो समस्या आ रही है, इसमें है– राजस्व कागजात है, जमाबंदी पंजी है, खतियान नक्शा है, चालू खतियान है । लेकिन अगर इन जमाबंदियों को पुनर्गठित कर विधिवत ऑनलाइन जल्दी से नहीं किया गया, तो समस्याएं और आगे आ सकती हैं ।

(क्रमशः)

टर्न–13 / हेमन्त / 13.02.2026

(क्रमशः)

श्री मनोज कुमार : इसलिए मैं एक आग्रह बिहार के नागरिक होने के नाते भी, एक आग्रह है इसको विधिवत और जल्दी इन कार्यों में लाया जाय। भूमि स्वामी–पत्र, प्रमाण–पत्र में भी जो विसंगतियां आती हैं, इसी डिजिटल कारण से ही आ रही हैं। तो सारा का सारा जो जोर होना चाहिए, वह परिमार्जन पर होना चाहिए। परिमार्जन पर क्या हो रहा है, परिमार्जन पर, इस पोर्टल पर हम जो आम जनों को लाभ दिला रहे हैं, इसमें जो मूल समस्या है सभी जमाबंदियों को परिमार्जित करने की । अब जो दस्तावेज उपलब्ध हैं, एक तो अंचल के पास में दस्तावेज होने चाहिए थे या जिला में होने चाहिए थे। अब दस्तावेज भू–स्वामी को उपलब्ध कराना पड़ रहा है, इसके कारण जो विसंगतियां आ रही हैं। मैं एक बात और बोलता हूं कि भूमि पुनर्वास और पुनर्व्यवस्था, ये विस्थापित परिवारों के लिए जो विभाग कर रहा है, यह एक लोक कल्याणकारी योजना है और इसमें जो क्षतिपूर्ति का भुगतान सरकार कर रही है, उसके लिए भी मैं सरकार का धन्यवाद देता हूं। अब जो भूमि मापी हो रही है, भूमि मापी में भी ई–भूमि की व्यवस्था लाई गई है, इसका भी लाभ जनता को सीधे तौर पर कम समय में मिल रहा है, अब जनता परेशान नहीं है अपनी भूमि मापी करवाने के लिए। महोदय, साथ–साथ हम ये भी कहते हैं कि जो राजस्व महाअभियान चल रहा है, राजस्व महाअभियान में जो स्पेशल ड्राइव लिया जा रहा है, मैं सर्वत्र घूमता हूं, सर्वत्र जनता से जब राय एकत्रित करता हूं, तो इस राजस्व अभियान से, जो वर्तमान की सरकार है, जनता काफी खुश है। हां, राजस्व कर्मचारियों में, राजस्व अधिकारियों में कुछ असंतोष आया था, जिसका परिणाम हमने देखा कि

हमारे सभी सी0ओ0 हड़ताल पर गए, 3–4 दिन की हड़ताल पर गए। माननीय मंत्री जी के आश्वासन से, उनसे वार्ता करके, उनको हड़ताल से काम में वापस लाया गया, लेकिन अभी के दिनों में कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। अब ये कर्मचारी चुनाव के पहले भी हड़ताल पर गए थे। इनकी मांग है कि हमारा वेतनमान बढ़ाया जाए। इन समस्याओं पर भी सरकार को देखने की जरूरत है कि क्या उनके वेतन को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है, क्योंकि जो रिक्त पद हैं, हमारे यहां जितने रिक्त पद हैं, इन रिक्त पदों पर, जो हमारे राजस्व कर्मचारी हैं, उनका रिक्त पद 8000 से ऊपर है। जो अमीन है, उनके रिक्त पद 1300 से ऊपर है। इस तरह से अगर रिक्त पदों की भी जल्दी से भर्ती कर ली जाए, तो मैं समझता हूं कि समाज के अंदर और सरकार के अंदर दोनों में काम करने की जो व्याख्या हम लोग करना चाहते हैं, उसको और स्पष्ट तरीके से कर पाएंगे।

अब मैं सरकार का ध्यान कुछ खास बातों पर आकर्षित करना चाहता हूं बकास्त भूमि के लगान निर्धारण को लेकर। अब क्या है कि रैयतीकरण पर जनता में भ्रम की स्थिति है। विभाग के स्पष्ट निर्देश के बाद भी मैंने राजस्व कर्मी और पदाधिकारियों के बारे में बात की। उनको भी व्याख्या करनी चाहिए कि इस बारे में जनता के बीच में क्या व्याख्या करें, उनको स्पष्ट करना चाहिए और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, सर, गैर मजरुआ मालिक भूमि के संबंध में । अब सरकार और विभाग के द्वारा समय–समय पर स्पष्ट आदेश निर्गत किया गया है। जमींदारी उन्मूलन के पूर्व जमींदारों द्वारा गैर मजरुआ मालिक भूमि की जमींदारी हुकुमनामा, रिटर्न एंड कंपनसेशन के माध्यम से सुयोग्य श्रेणी के रैयतों को कृषि कार्य और अन्य प्रयोजन हेतु भूमि की बंदोबस्ती की गई है, जो जमींदारी उन्मूलन के बाद भी, गैर मजरुआ मालिक भूमि की बंदोबस्ती बिहार सरकार द्वारा आज तक सुयोग्य श्रेणियों के बीच में की जा रही है। परंतु अंचल कार्यालय में जमींदारी उन्मूलन के बाद एवं पूर्व के वर्षों का रैयतों के साथ की गई पुराने बंदोबस्ती का अभिलेख और पंजी उपलब्ध नहीं है । अब अधिकांश पंजियों और बंदोबस्ती अभिलेख अंचल के पास सही रखरखाव नहीं होने के कारण या तो नष्ट हो गए हैं या गायब हो गए हैं। मात्र रैयतों के पास उस भूमि से संबंधित कुछ पुरानी रसीद है और रैयत के पास बंदोबस्ती परवाना अपरिहार्य कारणवश खो गए हैं। भू–धारीगण करीब 50 वर्षों से अधिक समय से भूमि पर जोत कर आबाद कर रहे हैं, उस भूमि को आबाद कर रहे हैं और गरीब लोगों का वही एकमात्र जीवकोपार्जन का साधन बचा है। जब भू–धारी द्वारा अंचल कार्यालय में या सर्वे में उस भूमि को ऑनलाइन अपने नाम करने हेतु परिमार्जन प्लस पोर्टल पर आवेदन दिया जाता है, तो सर्वे कर्मी, पदाधिकारी द्वारा उससे हुकूमत और बंदोबस्ती परवाना की मांग की जाती है। नियमतः अंचल कार्यालय एवं जिला अभिलेखागार में इसे संरक्षित होना चाहिए

था। इसके पहले भी मैं कई बार इस बात का जिक्र कर चुका हूं, परंतु अंचल कार्यालय एवं जिला अभिलेखागार में बंदोबस्ती से संबंधित कागजात, पूरे रिटर्न, हुकुमनामा, कंपनसेशन केस तथा बंदोबस्ती परवाना एवं रिकॉर्ड खतियान उपलब्ध नहीं है। इस स्थिति में रैयत अपनी भूमि के बंदोबस्ती से संबंधित कागजातों की नकल और सत्यापित प्रति उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। फलतः अंचल में हो या सर्वे में हो, उनके दावों को खारिज कर भूमि को बिहार सरकार के नाम पर दर्ज कर दिया जाता है, जिससे रैयतों में असंतोष है। इस बात को भी संज्ञान में लेने की जरूरत है।

अब मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय नीतीश कुमार जी ने पिछले कई वर्षों से जो भूमि सर्वे का अभियान चलाया है और बार–बार संबंधित अधिकारियों से भी उन्होंने आग्रह किया कि यह मेरी सबसे महत्वकांक्षी योजना है और बिल्कुल बहुत बड़ा साहसिक निर्णय है, महोदय। इतना बड़ा साहसिक निर्णय राजस्व विभाग का, माननीय उप–मुख्यमंत्री का, माननीय मुख्यमंत्री का कि हम वह काम हाथ में लिए हैं जिसमें हमें मालूम है कि हमारा हाथ भी जल सकता है। क्योंकि 100 साल के रिकॉर्ड को दुरुस्त करना यह कोई आम बात नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने विशेष सर्वे अमीनों को भी कॉन्ट्रैक्ट पर लिया, गांव–गांव में शिविर लगवाया। अब जो भी विसंगतियां आ रही हैं, उन विसंगतियों को दूर करने का भी प्रयास किया जा रहा है। आज के दिन में जनता में भ्रम की स्थिति नहीं है, क्योंकि चुनाव पूर्व इस कार्य की शुरुआत की गई थी। लोगों ने एक भ्रम फैलाया था कि इससे जनता में काफी असंतोष व्याप्त हो रहा है, लेकिन चुनाव के नतीजे बताते हैं कि जनता को पूर्ण विश्वास है कि जो यह सर्वे अभियान चलाया जा रहा है, जो जमीन की मापी करवाई जा रही है और तो और जमीन की मापी तो हम सेटेलाइट से करवा चुके। सारा ग्राम का नक्शा सेटेलाइट से मैपिंग हो गया, मेढ़ बना दिए गए। अब उसमें प्लॉटीकरण करना है, उसमें नंबर दर्ज करना है। लेकिन अब यह जो विशेष सर्वे अभियान चल रहा है और अनवरत पहले इसकी एक समय सीमा तय की गई थी, लेकिन किसानों में भय व्याप्त हुआ, तो किसानों ने कहा कि इसकी समय सीमा और बढ़ाई जाए। उसके आगे भी समय सीमा बढ़ायी गयी। अब लगातार निरंतर यह प्रक्रिया चालू है। माननीय मंत्री जी का भी आश्वासन है और जनता आश्वस्त भी है कि जो यह विशेष सर्वे का काम कर रहा है, यह मेरी सारी परेशानियों का एक हल निकालेगा और हम उस रास्ते की ओर बढ़ चले हैं। हम उस रास्ते की ओर बढ़ चले हैं, क्योंकि कई बार जो हुआ है, पारिवारिक बंटवारा हुआ है। वंशावली पूर्णतः स्पष्ट नहीं है। पारिवारिक बंटवारा के बाद में हम लोगों ने मौखिक तौर पर खेतों का बंटवारा कर लिया और 50–100 वर्षों से उसी खेत में हम आबाद हैं। अब ये त्रुटियां होने के कारण यह सर्वे आज की वक्त की जरूरत थी, इसे हो जाना चाहिए था आज से 50

साल पहले। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी ने, माननीय विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में विभाग जो साहसिक निर्णय के साथ में इस सर्वे अभियान को आगे बढ़ा रहा है, उसके लिए सदन के माध्यम से मैं विभाग को और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कहना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, खेल विभाग के बारे में कुछ बातें आई थीं। मैं खेल विभाग के बारे में भी बात करना चाहता हूं। क्या है कि हमारी 14 करोड़ की आबादी है। 14 करोड़ की आबादी में हमारे लगभग 60 प्रतिशत युवा हैं और 60 प्रतिशत युवाओं में से 50 प्रतिशत ऐसे युवा हैं, जिनमें किसी न किसी खेल में खेलने की क्षमता और संभावना है। अब हम उन टैलेंट हंट, मैं कहता हूं कि हमें टैलेंट हंट करना है और उस टैलेंट हंट को खोजना है। हमारे गांव में, हमारे खलिहानों में, हमारे खेतों में, हमारे गांव की गलियों में, हमारे शहरों में एक से एक प्रतियोगी खेलों में सफल होने वाले बच्चे हैं। अब मेरा भारत अभियान, मैंने काफी नजदीक से इसको देखा है सर। मेरा भारत अभियान में ऐसे बच्चों की तलाश की जा रही है। गांव स्तर पर, अंचल स्तर पर टूर्नामेंट कराए जा रहे हैं। फिर अंचल स्तर पर टूर्नामेंट, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर टूर्नामेंट कराए जा रहे हैं। अनीता जी बोल रही थीं कि स्टेडियम की बात नहीं हो रही है। 2010 के बाद में ही नीतीश कुमार जी ने प्रत्येक प्रखंड में एक स्टेडियम खोलने की घोषणा की थी और अधिकांश प्रखंडों में स्टेडियम बन भी चुका है तो यह इस कार्य के लिए सरकार जो कार्य कर रही है, यह सभी को देखना होगा। विपक्ष के सदस्यों को विशेष तौर पर समझना होगा और कटौती प्रस्ताव लाए हैं, अच्छी बात है। अगर कटौती प्रस्ताव नहीं लाते, तो यह वाद विवाद ही नहीं होता। मैं तो यह कहूंगा कि आप पूरे प्रस्ताव में पूरे वाद विवाद को सुनें, माननीय मंत्री जी का उत्तर भी सुनें और इसलिए भी सुनें, इसलिए भी सुनें कि माननीय मंत्री जी के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है,..

अध्यक्ष : कृपया समाप्त की कीजिए।

श्री मनोज कुमार : वह एक सफलतम अभियान है, जनता के प्रति लोकप्रिय अभियान है। इसलिए विपक्ष को भी माननीय मंत्री जी का पूरा भाषण सुनना चाहिए और उसके बाद इस प्रस्ताव को पारित कर देना चाहिए सर्वसम्मति से और इसी के साथ में मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहूंगा। बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : श्री अभिषेक आनंद। आपका समय दस मिनट है।

श्री अभिषेक आनंद : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सम्मानित साथियों, मैं आज इस गरिमामयी सदन में खड़ा होकर माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय सिन्हा जी द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार बजट हेतु सरकार के प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन करता हूं। आज मैं जिस विषय पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, वह विषय बिहार के हर परिवार से जुड़ा हुआ है, जमीन और बिहार में जमीन की चर्चा हो और उसमें माहौल थोड़ा भावुक न हो, थोड़ा हास्यास्पद न हो, थोड़ा राजनीतिक

न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं पूरे आत्मविश्वास और पूरे व्यंग्यबाणों के साथ आज इस गरिमामयी सदन में खड़ा होकर माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय सिन्हा जी द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार बजट हेतु सरकार के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने आया हूं।

(क्रमशः)

टर्न–14 / संगीता / 13.02.2026

(क्रमशः)

श्री अभिषेक आनंद : अध्यक्ष महोदय, पिछले 2 दशकों में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में कई सारे महत्वपूर्ण कार्य किए हैं । लगभग 24 अलग–अलग योजनाओं और कार्यों के तहत और सतत् प्रयासों के तहत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आज पहले की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में है । मैं उनमें से कुछ कार्यों का जरूर उल्लेख करना चाहूंगा । बिहार सरकार के सौ दिनों के कार्य योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में भूमि सुधार, जनकल्याण संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं । इसमें जन–समस्याओं का समयबद्ध पारदर्शी और विधिसम्मत कार्रवाई की जाती है । राज्य के सभी 537 अंचलों में ऑनलाईन दाखिल–खारिज की व्यवस्था की गई है और याचिकाओं का लगातार निष्पादन किया जा रहा है । अब तक ऑनलाइन माध्यम से दाखिल–खारिज हेतु लगभग 1 करोड़ 47 लाख याचिकाएं दायर की गई हैं और यह बताते हुए खुशी है कि 1 करोड़ 44 लाख 76 हजार मामलों का निष्पादन किया जा चुका है जो कि लगभग 98.35 परसेंट है । इतने बड़ी संख्या में अगर याचिकाओं का निष्पादन ऑनलाईन तरीके से हो रहा है तो यह अपने–आप में बिहार सरकार की उपलब्धि बताती है । महोदय, परिमार्जन–प्लस के माध्यम से डिजिटाईज्ड जमाबंदी पंजियों में कतिपय अशुद्धियों तथा जैसे कि रैयतों के नाम, खाता–खेसरा, रकबा, लगान इत्यादि की त्रुटियों में सुधार के लिए प्राप्त शिकायतों में से लगभग 20 लाख शिकायतों का निपटारा भी किया जा चुका है । राज्य के सभी 537 अंचलों को ऑनलाईन भू–लगान भुगतान हेतु अधिसूचित किया जा चुका है । अब तक 52 लाख 46 हजार भू–लगान रसीद निर्गत किए गए हैं जिसके तहत कुल 1 अरब 74 करोड़ 86 लाख 18 हजार रुपये राशि भू–लगान के रूप में सरकार को प्राप्त हुई है । अभियान बसेरा कार्यक्रम के अंतर्गत बास भूमि विहिन परिवारों को बास भूमि उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा वर्तमान में अभियान बसेरा–2 कार्यक्रम संचालित है । इस योजना के तहत सुयोग्य श्रेणी के सभी वर्गों को बासभूमि विहिन परिवारों को सर्वेक्षित कर बंदोवस्ती प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है । इस योजना के तहत अब तक कुल 69 हजार 191 परिवारों को बासभूमि उपलब्ध करायी जा चुकी है । अप्रैल, 2025 से दिसंबर, 2025 तक

विभिन्न केंद्रीय एवं राजकीय परियोजनाओं हेतु विभिन्न विभागों, संस्थानों को लगभग कुल 770 एकड़ भूमि विभिन्न जिलों को हस्तांतरित की गई है । उक्त के अतिरिक्त सरकारी भूमि के अंतर्विभागीय 3 एकड़ तक निःशुल्क हस्तांतरण की शक्ति समाहर्ता को एवं 5 एकड़ की शक्ति प्रमंडलीय आयुक्त में निहित है । जिसके अंतर्गत विभिन्न विभागों को सरकारी भूमि का निःशुल्क हस्तांतरण प्रमंडल एवं जिला स्तर पर किया जाता है । बिहार राजस्व सेवा अंतर्गत मूल कोटी के पद राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड में कुल स्वीकृत बल 1684 है । बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं, 71वीं एवं 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षाफल के आधार पर 697 पदों की अधियाचना प्रेषित की जा चुकी है । पटना सदर अंचल को विभाजित कर अब 4 अंचलों– पटना सदर अंचल, पाटलिपुत्र अंचल, पटना सिटी अंचल और दीदारगंज अंचल को सृजित करते हुए उक्त अंचलों में अंचल अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी के पदों का सृजन किया गया है । बिहार राजस्व कर्मचारी के 3303 नए पदों का सृजन किया गया है । बिहार अमीन के रिक्त पदों का रोस्टर क्लियरेंस कर नियमित नियुक्ति हेतु वर्ष 2025 में कुल 765 पदों की अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को प्रेषित की जा चुकी है । बिहार राज्य के सभी 38 जिलों के कैडेस्ट्रल मानचित्रों एवं 24 जिलों के डिविजनल मानचित्रों तथा 18 जिलों के चकबंदी मानचित्रों के अतिरिक्त कैडेस्ट्रल, म्यूनिसिपल, डिविजनल, म्यूनिसिपल अंचल मानचित्र, सिंचाई मानचित्र एवं जिला मानचित्रों की उपलब्धता के अनुसार कुल 1 लाख 52 हजार 8 राजस्व मानचित्रों का डिजिटाइजेशन कार्य पूरा कर लिया गया है । राज्य के राजस्व पदाधिकारियों, कर्मचारियों को आधुनिक उपकरणों एवं आधुनिक तकनीकी का प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु शास्त्री नगर, पटना में 60 बेड वाले राजस्व प्रशिक्षण संस्थान के छात्रावास भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कर उपस्कर एवं आधुनिक उपकरण की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन की कार्रवाई की जा चुकी है तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है और आधुनिक तकनीक से तैयार किए गए भू–अभिलेख डेटा का अंचल स्तर पर संधारण करने के लिए कुल 534 अंचल कार्यालयों में से लगभग 456 अंचलों में डेटा केंद्र–सह–आधुनिक अभिलेखागार भवन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है तो पिछले 2 दशकों में हम देखते हैं कि बहुत सारे कार्य जो कि किए जा चुके हैं और यह विकास सतत् प्रक्रिया के तहत चल रहा है । माननीय अध्यक्ष महोदय, 1990 से 2005 का जो दौर था, उसमें जो शासन रहा, मैं बड़े आदर के साथ कहूंगा उस समय जमीन का रिकॉर्ड सिस्टम इतना रहस्यमय था कि सी0बी0आई0 भी हार मान जाए, उस दौर में अगर किसी को अपनी जमीन की जमाबंदी चाहिए होती थी तो प्रक्रिया कुछ ऐसी थी, पहले आवेदन दीजिए फिर बाबूजी को खोजिए, फिर फाइल खोजिए, फिर व्यवस्था कीजिए, फिर उम्मीद छोड़ दीजिए । म्यूटेशन की फाइल

ऐसे घूमती थी जैसे बिहार की राजनीति कब कहां पहुच जाए किसी को पता नहीं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कृपया बैठे–बैठे न बोलें ।

(व्यवधान)

श्री अभिषेक आनंद : सर्किल ऑफिस जाना एक तीर्थयात्रा की तरह था...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कृपया बैठे–बैठे मत बोलिए, सुनिए तो । आपलोगों को मौका मिला था न, शांति बनाए रखिए ।

श्री अभिषेक आनंद : सुबह जाइए, शाम को लौट आइए और निष्कर्ष यही है कि कल पुनः आइए। रजिस्टर इतने मोटे और धूलभरे थे कि लगता था पुरातत्व विभाग की धरोहर हो, नक्शे ऐसे थे कि खेत और नदी का फर्क समझने में पूरा पंचायत लग जाए...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : कृपया बैठे–बैठे मत बोलिए । सुनिए ।

श्री अभिषेक आनंद : उस समय डिजिटल शब्द का मतलब केवल था डिजिटल घड़ी । आज हम उस स्थिति में हैं जहां माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राजस्व विभाग ने क्रांतिकारी बदलाव किया है । पहले लोग पूछते थे, हमारी जमीन कहां है अब लोग पूछते हैं सर पोर्टल का लिंक भेज दीजिए, यह फर्क है महोदय । पहले रिकॉर्ड अलमाड़ी में बंद रहता था अब रिकॉर्ड सर्वर पर सुरक्षित रहता है । पहले आवेदन का स्टेटस जानने के लिए चक्कर लगाते थे अब मोबाइल पर संदेश आ जाता है, यह बदलाव सिर्फ तकनीकी नहीं है महोदय, यह बदलाव मानसिकता का भी है ।

(इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जमाबंदी ऑनलाइन है, दाखिल–खारिज ऑनलाइन है, नक्शों का डिजिटलीकरण हो रहा है, जी0आई0एस0 आधारित सर्वे हो रहे हैं, पहले नक्शा देखने जाओ तो लगता था जैसे किसी कलाकार ने आधुनिक कला प्रदर्शनी लगा दी हो । आज स्पष्ट वैज्ञानिक तरीके से नक्शे तैयार हो रहे हैं । पहले सर्वे टीम आती थी तो लोग डर जाते थे कि अब क्या गड़बड़ होगी, आज लोग कहते हैं सर, हमारा भी सुधार करवा दीजिए । पहले फाइलें गायब होती थीं, अब फाइल गायब होती है तो सर्वर पर लॉग में देखकर पता चल जाता है कि आखिर लास्ट में फाइल किसने खोला । ऑनलाइन ट्रैकिंग एवं समयबद्ध सेवा ने बिचौलियों की दूकान बंद कर दी है और जो बची–खुची अधिकारियों से संबंधित समस्या रही है इसके लिए हमारे माननीय उपमुख्यमंत्री जी लगातार अधिकारियों की क्लास

लगा रहे हैं । यह बात तो आज सभी को पता है । बिहार में जमीन विवाद कभी–कभी पारिवारिक परंपरा होती थी, दादा ने केस किया तो पोता जाकर के फैसला देखेगा, आज रिकॉर्ड स्पष्ट है, प्रक्रियाएं समयबद्ध है, मॉनिटरिंग है, विकास परियोजनाएं वर्षों तक जमीन विवाद में नहीं अटकती हैं । सुदृढ़ रिकॉर्ड का असर राजस्व संग्रह पर भी पड़ा है । पहले राजस्व रिसाव होता था जैसे मॉनसून में छत टपकती है, अब डिजिटल प्रविष्टियों से नियंत्रण है । यह बजट राजस्व को मजबूत करेगा और मजबूत राजस्व से मजबूत बिहार बनेगा । यह बजट सुनिश्चित करेगा लंबित सर्वे का समापन, यह बजट सुनिश्चित करेगा डिजिटल अवसंरचना का विस्तार, स्टाफ सुदृढ़ीकरण, भूमि विवाद निपटाने में तेजी और गंगा कटाव प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष उपाय । अगर उद्योग लाना है तो स्पष्ट भूमि रिकॉर्ड चाहिए, अगर किसान को सुरक्षा देनी है तो स्पष्ट अधिकार चाहिए, अगर गरीब को सम्मान देना है तो पारदर्शी व्यवस्था चाहिए । माननीय महोदय, हमने वह दौर देखा है जब जमीन का रिकॉर्ड ढूंढना खजाना खोजने जैसा था । आज वह दौर है जब मोबाइल पर जमीन देख सकते हैं, पहले जमीन ढूंढते–ढूंढते इंसान बूढ़ा हो जाता था, अब सिस्टम कहता है ओ0टी0पी0 डालिए । पहले लालटेन के उजाले में रजिस्टर पलटते थे, आज लैपटॉप की स्क्रीन पर नक्शा खुलता है । हम अतीत का सम्मान करते हैं पर अव्यवस्था को वापस नहीं बुला सकते हैं...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : आप बैठ जाएं ।

श्री अभिषेक आनंद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : आपको भी वक्त मिलेगा, बैठ जाएं ।

श्री अभिषेक आनंद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने विधान सभा क्षेत्र चेरिया बरियारपुर...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : आपको भी वक्त मिलेगा । बगैर आसन के आदेश के नहीं बोलें ।

(व्यवधान)

कृपया आप बैठ जाएं ।

श्री अभिषेक आनंद : जिला बेगूसराय की कुछ समस्याओं की ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । चेरिया बरियारपुर विधान सभा के अंतर्गत मंझौल सब–डिविजन के चार पंचायत और पहसारा महेश्वारा को मिलाकर के यह नगरीय क्षेत्र है महोदय...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कृपया आसन ग्रहण करें ।

श्री अभिषेक आनंद : माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे इसे नगर परिषद बनाने की मांग करता हूं। हमारे क्षेत्र की एक और समस्या है माननीय मंत्री महोदय का ध्यान

आकर्षित करना चाहूंगा कि एक गोंड नाम की जनजाति हमारे क्षेत्र में रहती है जिनका जाति प्रमाण पत्र किसी कारण से 2022 के बाद से बनना बंद हो गया है । माननीय मंत्री महोदय, आप इसपर ध्यान आकर्षित करते हुए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस पर ध्यान दिया जाए और यह बनना शुरू हो जाए ।

टर्न–15 / यानपति / 13.02.2026

उपाध्यक्ष : अब आप, बैठ जायं, माननीय सदस्य आसन ग्रहण करें । माननीय सदस्य, श्री मनोहर प्रसाद सिंह, आप अपना पक्ष रखें, आपके पास में 4 मिनट का वक्त है ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की वर्तमान कार्यप्रणाली, उनकी कमियों और इससे हो रही आम जनता को परेशानी के बारे में कहना चाहता हूं और इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । महोदय, यह विभाग सीधे गरीबों, भूमिहीनों, पटाईदारों, दलितों, महादलितों और पिछड़े वर्गों और आम जनता के जीवन से जुड़ा हुआ है । निश्चित रूप से यह बहुत महत्वपूर्ण विभाग है लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इसी विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, लापरवाही है और अव्यवस्था है । महोदय, चूंकि इस विभाग को भी माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को समर्पित किया गया है उनसे कुछ आशाएं हैं, उनके जो कड़े फैसले लेने की प्रवृत्ति है उससे कुछ आशाएं हैं । तो हमलोग आशा कर सकते हैं कि इसमें कुछ सुधार हो । क्योंकि इसमें ऐसी बहुत सी छोटी–छोटी त्रुटियां हैं जिससे उसको आसानी से दूर किया जा सकता है । जैसे परिमार्जन की बात है, परिमार्जन एक मिनट का सवाल है, एक मिनट में परिमार्जन होता है लेकिन इसको इतना लेंदी बना दिया जाता है, लोग महीनों घूमते रहते हैं, परिमार्जन नहीं होता है । छोटी सी भूल हो गई, नियम में कुछ परिवर्तन हो गया, किसी टाइटल में परिवर्तन हो गया, कुछ रकबा में परिवर्तन हो गया और उसके लिए घूमते रहते हैं, इसलिए इसमें सुधार करने की जरूरत है । दूसरी बात है कि हम सभी लोग परिचित हैं और इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते हैं और मैं इसकी आलोचना भी नहीं कर रहा हूं कि बिना चढ़ावा दिए अंचल विभाग से कोई फाइल भूमि की निकलती ही नहीं है । यह सर्वविदित तथ्य है । इसमें किसी को भी आलोचना की बात नहीं है...

(व्यवधान)

श्री राजू तिवारी : आप आई0पी0एस0 रह चुके हैं और चढ़ावा की बात करते हैं तो कम से कम इनको कंप्लेन करके पकड़वाना चाहिए । सरकार तो ऐसे लोगों को खोज रही है ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मनोहर बाबू, अपना भाषण जारी रखें । माननीय सदस्य, राजू तिवारी जी आप आसन ग्रहण करें ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : मैं सच्चाई बता रहा हूं और इस सच्चाई से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता है । इसलिए...

(व्यवधान)

महोदय, रसीद लेने के लिए...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : शांति बनाएं, माननीय सदस्य शांति बनाएं ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : महोदय, जनता को रसीद लेने के लिए महीनों दौड़ना पड़ता है, यह सर्वविदित है । रसीद लेना है तो, तभी आपको रसीद मिलेगी । महोदय, जमाबंदी में कुछ रकबा बेच दिया जाता है लेकिन उस रकबा से इस जमाबंदी से यह रकबा हटाया नहीं जाता है । इसका परिणाम क्या होता है कि फिर उसी जमीन को लोग रजिस्ट्री कर देते हैं और जो भू माफिया हैं उसका लाभ उठाते हैं । रजिस्ट्री की हुई जमीन की फिर रजिस्ट्री करवा लेते हैं । इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है । महोदय, जमीनों का जो पंजीकरण होता है, फर्जी रूप से कर दिया जाता है उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है । दूसरी बात है कि भूमि विवाद का जो निस्तारण होता है उसमें बहुत देर हो जाती है इसलिए इसके चलते विवाद बढ़ता है और अपराधी बढ़ते हैं और मैं समझता हूं कि अपराध में 60 प्रतिशत अपराध वैसे हैं जो भूमि से संबंधित हैं । इसलिए यदि भूमि के विवाद को ठीक से कर दिया जाय तब अधिक से अधिक अपराध खत्म हो सकते हैं । महोदय, ऑनलाइन की व्यवस्था तो...

उपाध्यक्ष : अब आप कृपया बैठ जायं, आपका वक्त हो गया है मनोहर बाबू ।

श्री मनोहर प्रसाद सिंह : महोदय, एक मिनट । मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सरकार जो अंचल कार्यालय को ऑनलाइन सिक्योरिटी देनी चाहिए जो लंबित समीक्षा है, लंबित की समीक्षा जिला के स्तर पर किया जाना चाहिए । सर्वे की त्रुटि हो रही है उसको सुधार किया जाना चाहिए । महोदय, धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, श्रीमती संगीता देवी । आपके पास 7 मिनट का वक्त है ।

श्रीमती संगीता देवी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बजट पर सदन में अपने विचार को रखने का अवसर प्रदान किया । मैं अपने दल लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को भी हृदय से धन्यवाद देती हूं, कोटि–कोटि धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने मुझे आर्शीवाद देकर, सदन में आज उनकी वजह से मुझे बोलने का मौका मिला है और साथ ही मैं अपने 65 बलरामपुर विधान सभा क्षेत्र की देवतुल्य जनता को सादर नमन करती हूं धन्यवाद देती हूं जिन्होंने मुझे उनकी सेवा के लिए, अपने क्षेत्र के लिए आज मुझे जो सदन में अवसर

मिला है यह जो 65 बलरामुपर की जो जनता है उनके आर्शीवाद से हुआ है । मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उपमुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी एवं श्री विजय कुमार सिन्हा जी और विधायक दल के नेता हमारे श्री राजू तिवारी जी को भी इस जनकल्याणकारी बजट के लिए मैं उनको भी धन्यवाद देती हूं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भूमि एवं राजस्व विभाग के इस बजट का पूर्ण समर्थन करती हूं और सरकार तथा माननीय मंत्री जी को बधाई देती हूं । भूमि व्यवस्था किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है । यह किसानों के अधिकार, गरीबों के सम्मान और ग्रामीण विकास की मजबूत नींव है । आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार में पारदर्शिता, सुशासन और विकास के नए मानक स्थापित कर रही है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष के बजट का कुल आंकड़ा 3.47 करोड़ है जो 2004–05 बजट के मुकाबले लगभग 10 गुणा अधिक है । अब तक सबसे अधिक बजट है इतनी विशाल राशि का प्रावधान यह दर्शाता है कि हमारी सरकार बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए संकल्पित है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे राजस्व एवं भूमि सुधार के माननीय मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी के द्वारा जो लगातार हर जिला में भूमि से संबंधित विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए जनता के बीच जा रहे हैं वह काफी सराहनीय और सकारात्मक है । आज उनके नेतृत्व में सभी अंचलों में बिचौलियों का दबदबा खत्म हो रहा है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस सीमांचल क्षेत्र के अंतर्गत बलरामपुर विधान सभा से जीतकर आई हूं जहां तीन दिशाओं से बंगाल की सीमा सटा हुआ है और वहां विकास के नाम पर कुछ खास नहीं हुआ है । हमसे पहले जो यहां विधायक थे वह सिर्फ सदन में आकर हंगामा करते थे और अपनी भाषणबाजी करते थे लेकिन विकास से संबंधित कोई भी मुद्दा विधान सभा में नहीं उठाते थे । यहां तक कि...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : शांति–शांति ।

श्रीमती संगीता देवी : बलरामपुर अंचल एवं बारसोई अंचल के पदाधिकारियों की मनमानी जो है वह बढ़ाकर रखे हुए थे । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगी कि बलरामपुर विधान सभा के दोनों अंचलों को सख्त निर्देश देने की जरूरत है कि जनता को कोई भी समस्या न हो और उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार की जनता के हित में लगातार जो है आगे बढ़ रहा है । अभियान बसेरा कार्यक्रम के तहत गरीबों एवं भूमिहीन परिवारों को बंदोबस्त प्रमाण पत्र निर्गत किए जा रहे हैं वहीं दूसरी ओर

विपक्ष के नेता हैं जो रोजगार के नाम पर जमीन ही लेने का काम करते थे । भूमिहीनों के संदर्भ में अब तक 1,37,855 परिवारों का सर्वेक्षण किया जा चुका है, जिसमें से 59,191 परिवारों को बसने हेतु भूमि उपलब्ध भी करा दी गई है । साथ ही शेष सर्वेक्षित परिवारों को भी बसने के लिए भूमि उपलब्ध कराने की कार्रवाई निरंतर की जा रही है । मेरे 65 बलरामपुर विधान सभा क्षेत्र में भी कई ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके पास आज तक अपनी भूमि नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी से भी आग्रह करूंगी कि गरीब और भूमिहीन परिवार जो हैं उनको भूमि उपलब्ध कराकर उन्हें बसाने की कृपा की जाय । साथ ही मैं भू माफियाओं पर सख्त लगाम लगाने की भी मांग करती हूं । जो गरीबों की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं । इससे न केवल गरीबों को न्याय मिलेगा, बल्कि समाज में कानून का विश्वास भी मजबूत होगा ।

(क्रमशः)

टर्न–16 / मुकुल / 13.02.2026

क्रमशः

श्रीमती संगीता देवी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज पूरे बिहार में परिमार्जन एवं परिमार्जन प्लस के माध्यम से डिजिटल एंट्री जमाबंदियों में अशुद्धियों एवं रैयतों के नाम खाता, खसरा, रकबा लगान इत्यादि त्रुटियों को सुधार के लिए भी कार्य किया जा रहा है, अब तक 20 लाख 83 हजार 118 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है तथा डिजिटाइजेशन जमाबंदी छूटे हुए जमाबंदी के लिए कुल प्राप्त 11 लाख 78 हजार 893 शिकायतों में से 9 लाख 44 हजार 496 विगत वर्षों में निटारा कर दिया गया है और शेष शिकायत निष्पादन प्रक्रिया में है यह सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान में विशेष सर्वेक्षण के माध्यम से भूमि विवादों को समाप्त करने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा भूमि सर्वेक्षण कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है । प्रथम चरण में 20 जिलों में सर्वेक्षण कार्य अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है, जबकि दूसरे चरण में 18 जिलों में सर्वेक्षण कार्य आरंभ किया जा चुका है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करती हूं कि भूमि सर्वेक्षण कार्य में और अधिक गति लाई जाए, ताकि भूमि विवादों का शीघ्र समाधान हो सके और आम जनता को राहत मिल सके । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज अपने प्रेरणास्रोत स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी को स्मरण करना चाहती हूं । उनका एक नारा था ''मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं, जहां सदियों से अंधेरा है।'' मेरे पार्टी के नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का जो विजन है ''बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट'' का विजन, विकसित बिहार के संकल्प को आगे बढ़ाता है ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, टोका–टोकी नहीं । माननीय सदस्या को बोलने दिया जाए ।

श्रीमती संगीता देवी : जो हमारे एन0डी0ए0 सरकार के विकसित कार्यों में से मिलता–जुलता है एक महत्वपूर्ण विजन है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक महिला प्रतिनिधि होने के नाते जब अपने गांव घूमती हूं, बलरामपुर क्षेत्र में घूमती हूं तो महिलाओं में जो खुशी देखने को मिलती है क्योंकि भूमि पंजीकरण में मिली छूट के कारण अब महिलाएं भी संपत्ति की मालकिन बन रही हैं । इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है और वे नई ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ रही हैं । जहां एन0डी0ए0 सरकार ने महिलाओं को सम्मान देने का काम कर रही है वहीं दूसरी ओर हमारे विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष ने महिलाओं को बिकाऊ कहकर अपमान करने का काम किया है ।

(व्यवधान)

यही रवैया के कारण इस बार महिलाओं ने 2025 में जो अभी गिनी–चुनी महिलाएं नजर आ रही हैं ।

उपाध्यक्ष : शांति–शांति ।

श्रीमती संगीता देवी : कहीं ऐसा न हो कि यही रवैया रहा तो 2025 में 25 पर ले आये हैं और 2030 में फिनिश करने काम करेगी हमारी बिहार की जनता ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, अब आप बैठ जाएं ।

श्रीमती संगीता देवी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोलना चाहती हूं कि :

''नारी कोई कमजोर नहीं बदलाव की पहचान है,
जब नारी आगे बढ़ती हैं तभी देश महान है ।''

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, अब आप आसन ग्रहण करें । माननीय सदस्य, श्री अखतरूल ईमान साहब ।

श्रीमती संगीता देवी : ''नारी कमजोर नहीं बदलाव की पहचान है ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, अब आप बैठ जाएं, आपका वक्त हो गया है ।

श्री अखतरूल ईमान : डिप्टी स्पीकर साहब, इस अहम मौके पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : शांति बनाइये, बैठे–बैठे मत बोलिए ।

श्री अखतरूल ईमान : और मैं कटौती प्रस्ताव के ताल्लुक से अपने इजहारे–ख्याल के लिए खड़ा हुआ हूं और सौभाग्य है कि हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर तीन–तीन मंत्रालय के प्रभारी मंत्री हैं, रेवेन्यू के भी, माइंस के भी और नगर विकास के भी । मैं सबसे पहले हरचंद कि मैं कटौती प्रस्ताव के फेवर में खड़ा हुआ हूं लेकिन सच्चाई का एतराफ करता हूं कि वर्षों से लगी हुई आग को बुझाने के लिए यकीनन है कि प्रभामयी मंत्री ने जो काम किया है उसकी सराहना होनी

चाहिए, मैं मुबारकबाद देता हूं । मैं इसलिए मुबारकबाद देता हूं कि इनका जो संकल्प है वह दृढ़ है, ये काफी मजबूत इरादे के आदमी हैं । सर, आपकी कुर्सी पर बैठकर इन्होंने जो ऐतिहासिक काम किया है, पुरानी तारीख रही है कि शत–प्रतिशत सवालों के जवाब कभी नहीं आते थे और ये सौभाग्य उनका की इन्होंने तय किया और करके दिखाया । मैं उम्मीद करता हूं कि बिहार की गरीब जनता जो आज रेवेन्यू के मामले में परेशान है, परेशान बड़े लोग नहीं हैं सर, हम जैसे लोग नहीं हैं, पढ़े–लिखे लोग नहीं हैं, गरीब, बेवा, यतीम, मजदूर ये परेशान हैं, लूटे जा रहे हैं और पहले अगर भूमि सुधार करना है तो सबसे पहले सुधार करना पड़ेगा सर, भूमि सुधार से जुड़े हुए कर्मियों को, इनका सौभाग्य है राज्य स्तर की टीम भी अच्छी है, जिला का भी शिकवा उतना नहीं है लेकिन सबसे बड़ी खराबी अगर है तो कर्मचारी हैं, कर्मचारी के दलाल हैं, सी0ओ0 हैं और आर0ओ0 हैं जिन लोगों ने लूटकर आपके बिहार को बर्बाद कर दिया है सर । मैं मिसाल के तौर पर हरचंद कि मैं बिहार की चंद बातों को आपके सामने में रखूंगा, दो मिसाल मैं देता हूं परिमार्जन इन्होंने किया । एक तो इनकम्पिटेंट लोगों के जरिए से आपने ऑनलाइन करवाया और उन्होंने गलती कि और उस गलती का मामला रैयत को भुगतना पड़ रहा है, किसी का पिता का नाम गलत, रकबा गलत, प्लॉट नम्बर गलत, खाता गलत और नतीजा यह हुआ खेत खाए गदहा, मार खाए जोलहा, काम किया उसका टेंडर लिया जिसने, भेंडर की गलती और रैयत परेशान हो रहे हैं । इस पर रैयतों को आफियत देने का काम इनको करना चाहिए । सर, मैं दो मिसाल बता रहा हूं, मेरे अमौर में अभी राबिया खातून नाम की, पठान टोली की, मौजा पठानटोली की एक महिला है 27.01.2025 को डीड नम्बर–1989 के जरिए से जमीन खरीदती है और म्यूटेशन के लिए जब देती है, पैसा नहीं देने के नतीजे में उनको रिजेक्ट किया जाता है और कहा जाता है कि 20 साल पुराना केवाला है । एक साल के केवाला को 20 साल किया जा रहा है, अब वहीं पर देखिए फैयाज अंसारी की जमीन 70 साल से उसपर पॉजिशन है, 5 लाख रिश्वत मांगे गये, रिश्वत नहीं दिया तो लिख दिया गया कि नहीं फलां का, फैयाज का पॉजिशन नहीं है दूसरे का पॉजिशन है यह कर दिया गया सर । यह जो डकैती हो रही है, इन डाकुओं से जब तक नहीं निपटिएगा आप सुधार नहीं सकियेगा । आप मजबूत इरादे के आदमी हैं, मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि इनपर काबू पाने की जरूरत है । दो–तीन बातें यही कहूंगा कि अकलियत के लोग गरीब हैं, नौकरी में हिस्सेदारी कम है सर, इसपर जरा रहम कीजिए । आप झंझारपुर में मिथिला हाट बना रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं, रोजगार से जोड़िए उसमें आप देखेंगे कि वहां पर पहले दक्षिण तरफ की जमीन ली गयी थी लेकिन अब माइनॉरिटी के लोगों

की जमीन ली जा रही है सर और वह बेचारे दो बिगहा, तीन बिगहा वाले हैं और यहां नीतीश मिश्रा साहब हैं इनके पास लगभग 100 लोग आ गये थे, मुझको भी ले जा रहे थे, मैंने कहा कि नहीं मैं माननीय मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि उनको मेन रोड की तरफ है सर इनके बाल–बच्चों के लिए वह जमीन बचाई जाए सर । समस्तीपुर में भारत माला परियोजना के तहत शाहपुर बघौनी में और मोहिउद्दीनपुर रजवाड़ा में सड़क बननी है और ये 1956 का हाइवे एक्ट है, गाइडलाइन है कि जहां घनी आबादी हो, धार्मिक स्थली हो वहां बचाकर निकल जाना चाहिए । लेकिन सर, वहां मस्जिद है, ईदगाह है और कब्रिस्तान है और उसपर वे लोग बनाने के लिए तूले हुए हैं, बेचारे गरीब दौड़ रहे हैं उसकी कोई नहीं सुन रहा है सर । बायसी सिविल कोर्ट बन रहा है हमारे वहां, सिविल कोर्ट बनना है लोग जमीन देना चाह रहे हैं, जमीन देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पर भू–अधिग्रहण करते हुए कितनी बेईमानी हुई सर, खाता नं–214, एक प्लॉट है प्लॉट नं–386, उसी प्लॉट का जिसने पैसा दिया उसका वैल्यूएशन 1 लाख 45 कर दिया और जिसने पैसा नहीं दिया उनका 6800 कर दिया ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो रहा है ।

श्री अखतरूल ईमान : आप बताइये सर, एक ही जमीन है और एक ही मौजा है और ये किया गया सर ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना भाषण कन्क्लूड करें ।

श्री अखतरूल ईमान : सर, एक मिनट । खानकाह मौजिबिया की जमीन पर कब्जा हो रहा है और सोफी सर्किट बना रही है सरकार और हजरत मोहीयोद्दीन यहया मुनैरी बड़े सूफी हैं सर उनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया आप आसन ग्रहण करें ।

श्री अखतरूल ईमान : सर, मैं एक बात सिर्फ कहूंगा कि खनन के मंत्री भी हैं और माननीय मंत्री जी ने गरीबों के दर्द को समझा है कि निजी कार्य के लिए मिट्टी काटने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, निजी कार्य पर इनके माइंस के लोग पकड़ रहे हैं, दरोगा पकड़ रहा है....

उपाध्यक्ष : अब माननीय सदस्य, आप बैठ जाएं ।

श्री अखतरूल ईमान : लेकिन वहीं सर धारिवाल कम्पनी के द्वारा महानंदा नदी में मिट्टी का कटाव हो रहा है, करोड़ों की क्षति हो रही है, पी0डब्ल्यू0डी0 सड़कें 100 मीटर की दूरी पर महानंदा में, बगलबाड़ी में, नूनियाटोली में, कुट्टी में धड़रले से मिट्टी काटी जा रही है, इस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रहे हैं, यह काम आपको करना चाहिए । उपाध्यक्ष महोदय, एक मुद्दा है, चूंकि ये नगर विकास के भी प्रभारी मंत्री भी हैं, सर आपने अमौर को आपने बना दिया, नोटिफाई कर दिया.....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कृपया बैठ जाएं ।

श्री अखतरूल ईमान : लेकिन हमारे यहां एग्जीक्यूटिव नहीं हैं, एग्जीक्यूटिव दे दिया जाए । मैं समझता हूं कि आप गंभीरता से इसको सुधार करने का प्रयास करेंगे । हमलोग आपके सहयोग के लिए तैयार हैं ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री संदीप सौरभ । आप गागर में सागर भरिए, आपके पास एक मिनट का वक्त है ।

श्री संदीप सौरभ : उपाध्यक्ष महोदय, आपके संरक्षण में सरकार को दो सुझाव और एक मांग रखना चाहता हूं । सरकार कह रही है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जो है वह बहुत पारदर्शी बनाने की कोशिश हो रही है और पूरा बिहार जानता है कि वहां भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है तो सरकार उसको पारदर्शी बना दे । अंचल के अंदर जो दाखिल–खारिज है, जमाबंदी है, परिमार्जन है सब चीज का रेट लिस्ट लगवा दे सरकार कि जनता को किस काम के लिए कितना पैसा देना चाहिए, एक तो हम यह मांग करेंगे । दूसरी मांग है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से भूमि सुधार को हटा लेना चाहिए, अगर सरकार बिहार के लाखों भूमिहीनों को 5–5 डिसीमिल जमीन देने के वायदे के बावजूद 2001 की जनगणना के मुताबिक बिहार में 34 लाख परिवार ऐसे हैं जो वासगित पर्चा रहित हैं । अभी माननीय सदस्यों ने कहा सत्तापक्ष के कि 69 हजार लोगों को वासगित पर्चा मिला है तो आप नाम हटा लीजिए क्योंकि Bihar privileged person homestead tanancy एक्ट के तहत जमींदारों की जमीन पर जो बसे हैं उनको भी और जो जमीन का स्वरूप बदल गया है उन दोनों को सरकार को पर्चा देना चाहिए, नहीं दे रही है सरकार तो नाम बदल ले और महोदय, एक मांग कहना चाहूंगा वह खनन विभाग से संबंधित है, माननीय मंत्री जी हैं । महोदय, कल की घटना है बहुत ज्यादा गंभीर मामला है, पालीगंज प्रखंड में सिगौरी गांव है, बहुत घनी आबादी है, तकरीबन 12 हजार की आबादी है महोदय ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री संदीप सौरभ : महोदय, हम आधा मिनट का समय और चाहेंगे, घनी आबादी है पुनपुन के किनारे पहली बार 2023 में सरकार ने वहां खनन का बंदोबस्ती कर दिया ।

क्रमशः

टर्न–17 / सुरज / 13.02.2026

(क्रमशः)

श्री संदीप सौरभ : महोदय, गांव में बड़ा उसका विरोध है और वहां दो–दो छठ घाट है, खेलने का मैदान है, आबादी सटा हुआ है...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया आसन ग्रहण करें ।

श्री संदीप सौरभ : गांव के लोग उठाने नहीं दे रहे हैं बालू और बालू का सरकार ने टेंडर कर दिया है । ये उसकी तस्वीर हम लाये हैं महोदय...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री संदीप सौरभ : हम सरकार से बस यही मांग करेंगे कि उस बंदोवस्ती को सरकार रद्द कर दे । सिगोड़ी गांव है पालीगंज प्रखंड का...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सतीश कुमार सिंह यादव जी । एक मिनट का वक्त है आपके पास ।

श्री संदीप सौरभ : पर बालू निकालने लायक वह जगह नहीं है तो उसको रद्द करवा दे हम यही मांग करते हैं सरकार से ।

उपाध्यक्ष : सतीश जी आपके पास एक मिनट का वक्त है ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा 2018–19 में ऑनलाईन दाखिल खारिज चालू किया गया । ऑनलाईन प्रक्रिया से कायम होने वाली जमाबंदी लॉक हो जाती है । अगर कोई त्रुटि हो जैसे नाम, चौहद्दी, खाता, खेसरा सुधार के लिये, परिमार्जन के लिये साइट नहीं खुलता है, जिससे रैयतों को बहुत परेशानी होती है । ऑनलाईन जमाबंदी में जो लॉक है जमाबंदी, उसको खोलने का काम किया जाए, मैं इसकी मांग करूंगा । साथ ही, हमारे विधान सभा के बहुत से मौजों की चकबंदी फाइनल है, चक संपुष्ट है लेकिन अभी तक उनके मौजों का नक्शा और खतियान ऑनलाइन नहीं हुआ है, न ही नक्शा बना है । जैसे रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के प्रखंड दुर्गावती के मौजा बिछिया, पथेलखी, कमलासपुर, कोरसा, अटरिया, तिरोजपुर मंसुरपुर, गिभिया, मदनपुरा, मछलहट्टा एवं रामगढ़ के भरगांवा, अनंतपुरा, जंदाहा तथा नुआंव प्रखंड के गोडसरा, माओपतपुर । महोदय, इन गांवों का नक्शा और किसी–किसी गांव का खतियान अभी तक ऑनलाइन नहीं हुआ है, जिससे रैयतों को बहुत परेशानी होती है और चकबंदी से पहले, पिछले सर्वे का उसी नक्शे पर नापी होती है । जिसके कारण आये दिन विवाद उत्पन्न होता है । महोदय, साथ ही, दाखिल खारिज और परिमार्जन के लिये सबसे ज्यादा गरीब परेशान होता है । माननीय मंत्री जी के बहुत कड़े फैसले के चलते पूरे बिहार के लोगों को अपेक्षा है माननीय मंत्री जी से, तो जो नीचे के स्तर के जो कर्मचारी हैं...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री सतीश कुमार सिंह यादव : उन पर और नकेल कसनी होगी क्योंकि बिना पैसे के दाखिल खरिज और परिमार्जन नहीं हो रहा है, यह सच्चाई है पूरे प्रखंडों की । धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजय कुमार । एक मिनट का वक्त है ।

श्री अजय कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग पर चर्चा हो रही है । मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हूं...

उपाध्यक्ष : अच्छा सुझाव भी दीजियेगा अजय बाबू ।

श्री अजय कुमार : महोदय, बहुत कम समय है और उसी कम समय में मैं दो–तीन बात ही कहना चाहता हूं । एक तो पहली बात कहना चाहता हूं कि 09.09.1970 को सीलिंग एक्ट कानून देश में लागु हुआ, पूरे देश में । बंगाल में 16 लाख एकड़ जमीन बांटी गयी, केरल में 3 लाख एकड़ जमीन बांटी गयी, 95 हजार एकड़ जमीन त्रिपुरा में जो सिर्फ एक छोटा सा राज्य है वहां बांटी गयी । शेष देश के हिस्सों में 01 लाख 25 हजार एकड़ जमीन बांटी गयी । बिहार में जमीन नहीं बांटी गयी । अभी नेता सदन नहीं हैं, उन्होंने डी0 बंदोपाध्याय आयोग का गठन किया था । उसमें कहा गया कि 22 लाख एकड़ जमीन हमारे पास में है जिसको बांट दो, 22 लाख परिवार के पास 50 पैसा खर्च नहीं होगा, क्यों नहीं बांटा गया ? वह आयोग तो मैं गठन नहीं किया था, सी0पी0आई0(एम) ने गठन नहीं किया था, नेता सदन के नेतृत्व में गठन हुआ था । अगर उसको बांट दिया जाता तो बिहार के अंदर भी 22 लाख भूमिहीन लोगों को भी जमीन मिल गयी होती । मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि सी0ओ0 बेलगाम हो गया है, उसका एक नमूना मैं दे रहा हूं । हमारे सामने बैठे हुये हैं महेश्वर हजारी जी दिशा की बैठक में इन्होंने उठाया था कि रोसड़ा के कबीर मठ की 13 एकड जमीन को भू–माफिया ने गलत तरीके से, फर्जीवाड़ा करके रजिस्ट्री कराया और सी0ओ0 उसका म्यूटेशन कर दिया गलत तरीके से । उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी कि नहीं ? सरकारी जमीन, मठ की जमीन । मठ और मंदिरों के रक्षक ये लोग हैं और उस जमीन को लूट करके, ले करके चला गया और उसकी रक्षा करने के लिये । दूसरा, मैं आपके माध्यम से मांग कर रहा हूं कि अभी विभूतिपुर में 29 पंचायत हैं और कर्मचारी कितना है सिर्फ 15 । 15 कर्मचारी है और 29 पंचायत होगा तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर दबाव होगा और तब भ्रष्टाचार का रास्ता खुलता है । चूंकि वह कहता है वहां बैठते हैं, कोई कहता है वहां बैठते हैं और वह कहीं नहीं बैठता है, वह अपने घर पर बैठ करके काम करता है । अंत में एक मांग मैं करना चाहता हूं...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अब बैठ जाएं ।

श्री अजय कुमार : खेल मंत्रालय से कि हमारे क्षेत्र में कोई स्टेडियम नहीं है...

उपाध्यक्ष : आपका समय हो गया माननीय सदस्य । आप कृपया आसन ग्रहण करें ।

श्री अजय कुमार : जो स्टेडियम है वह नाकाफी है । इसलिये तरूंइया में एक मैदान है, बड़ा मैदान है, पर्याप्त जमीन है एक स्टेडियम वहां दे दीजिये ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता जी ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : महोदय, मैं अपनी एक चिंता और एक सुझाव आपके माध्यम से इस सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं । हुजूर इस देश में...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : टोका–टोकी नहीं ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : इस देश में अगर कभी सिविलवार हुआ Even I don't wish and support to Civil war happen to in india लेकिन अगर होगा तो दो ही कारण से हो सकता है । एक ये कि भू–माफिया और राजस्व विभाग के कर्मचारी की सांठ–गांठ से जो लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहे हैं, जो गरीबों के जमीन को लेटिगेट करते हुये उसको छीना जा रहा है, एक कारण तो वह होगा । 60 परसेंट मर्डर और जेलों में जो लोग हैं, इसकी वजह से हो रहा है । दूसरा, चाय के दुकान, पान के दुकान से होता हुआ ड्रग्स धीरे–धीरे शिक्षण संस्थान, आपके, हमारे घरों में जा रहा है, उसकी वजह से हो सकता है । इसके खिलाफ में माननीय मंत्री जी ने जो जेहाद छेड़ा, जो क्रांति छेड़ी मैंने इनको फोन करके धन्यवाद भी दिया था कि सर आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं । लेकिन इन्हीं के पार्टी वाले और एन0डी0ए0 वाले सभी मिलकर इनके नियत को, इनकी कार्यशैली को भीतर से दबाने की कोशिश किया । लेकिन सर आप दबिये नहीं लखीसराय वाला, जमुई वाला कभी दबता है ? श्रेयसी जी भी हमारे साथ सहमत हैं कि जमुई और लखीसराय वाला कभी किसी से दबते नहीं है, आप भी नहीं दबिये और आपने जो जेहाद छेड़ा है उसको अंतिम तक आपको पूरा देश और दुनिया देख रही है, आप जरूर कीजिये । लेकिन एक मांग हम आपसे करना चाहते हैं...

(व्यवधान)

हां, मैं आप ही के मंत्री महोदय का बड़ाई कर रहा हूं । पूरी दुनिया देख रही है लेकिन आप ही लोग सब मिलकर...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आसन की ओर देखें ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : और मंत्री जी के नियत को दबाने वाले यही लोग हैं सर । लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब सारा सदन हमारे साथ सहमत होगा । यह जो राजस्व कर्मचारी है वह दो आदमी रखता है गांव वाला, उसको मुंशी भी बोलते हैं और जो भी रखता है गांव वाला लठैत होता है, दबंग होता है...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आसन की ओर देखें ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : महोदय, देख लेते हैं बेचारा कोई नहीं देखता है, हमलोग देखते हैं आपस में । तो सरकारी डॉक्यूमेंट उसके हाथ में जाता है और यह एक बड़ा अपराध है । मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कुछ कीजिये इसके ऊपर में । वह एक इतना बड़ा कलेक्शन मास्टर है...

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी गंभीर हैं, सुन रहे हैं आपकी बातों को ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : एक जिला को दो आदमी चलाता है एक जे0ई0 चलाता है और ये दो कलेक्शन मास्टर चलाता है और एक अंतिम बात सर । गांव में जब हमलोग थे तो गांव में महिलाएं...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अब आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : लड़ती थी तो ताली बजाते थे । अभी जब इधर खड़ी होती है तो उधर की बहनें लड़ने जाती हैं इधर से...

उपाध्यक्ष : कृपया आसन ग्रहण करें गुप्ता जी ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता : लेकिन मजा आ रहा है, कंटीन्यू रखिये इसको । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री आलोक कुमार सिंह जी । आपके पास 03 मिनट का वक्त है।

श्री आलोक कुमार सिंह : महोदय, थोड़ा सा 1 मिनट बढ़ा दीजियेगा उपाध्यक्ष महोदय । कल भी हम अपनी बात नहीं रख पाये थे । सदन में हमलोग पहली बार आये हैं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा की तरफ से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अनुदान मांगों पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । सबसे पहले धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को, सम्राट चौधरी जी को और विजय सिन्हा जी को । जब हम विधायक बनकर आये थे तो सबसे ज्यादा समस्या मुझे सी0ओ0 के द्वारा मिला । सारी जनता दिनारा विधान सभा की जनता बोल रही थी कि आलोक भैया सबसे पहले ब्लॉक स्तर पर आप देखिये । तो मैं आंकड़ों के साथ जब गया ब्लॉक पर तो देखा वहां कि 2017 से राज्य के द्वारा म्यूटेशन की प्रक्रिया चालू हुई तो कुछ में ऐसा पाया गया कि जहां मैं उस संदर्भ के दौरान में अंचलाधिकारी के बारे में, जय सिंह जी सामने बैठे हुये हैं । मैं उनसे भी मिला था अंचलाधिकारी जी बहुत अच्छी–अच्छी बात करते हैं लेकिन दिनारा विधान सभा में खास करके दिनारा प्रखंड, सुरजपुरा और दावत । जब हमलोग विधान सभा में जाते हैं और प्रत्येक रविवार को क्षेत्र में रहते हैं तो सी0ओ0 का शिकायत बहुत मिला । तो माननीय राजस्व मंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि आपका काम हमने गया में देखा कि जिस तरह से आपने एक्शन एक आवेदन पर तत्काल गयाजी के अंचलाधिकारी को संस्पेंड किया, हमलोग इच्छा रखते हैं कि रोहतास जिला में भी आपका कैंप लगे, आपका प्रोग्राम हो । चूंकि एन0डी0ए0 गठबंधन से हमलोग जीतकर आये हैं और बार–बार लोग यही कहता है कि सबसे ज्यादा जनता अगर दिनारा विधान सभा की खास करके मैं अपने विधान सभा की बात रखता हूं कि सबसे ज्यादा समस्या आती है तो अंचलाधिकारी की । इसके बाद आज सरकार की तरफ से अपनी पार्टी की तरफ से मैं खड़ा हुआ हूं ।

(क्रमशः)

टर्न–18 / धिरेन्द्र / 13.02.2026

...क्रमशः...

श्री आलोक कुमार सिंह : महोदय, वर्ष 2017 में इसकी शुरूआत हुई । अंचलाधिकारी समस्या को बहुत जल्दी खत्म भी करते हैं और आंकड़े के अनुसार हमलोग संतुष्ट भी हैं । वर्ष 2023–24 में 32 लाख आवेदन राज्य में प्राप्त हुए, अब तक

कुल 130.8 लाख आवेदन दर्ज हुए जिसमें से 124.1 लाख का निष्पादन हो चुका है, लगभग 95 प्रतिशत डिस्पोजल हुआ है लेकिन इसमें मेरा एक सुझाव और आग्रह रहेगा कि जो मोटेशन होने लायक है, जो नियमसंगत है, अंचलाधिकारी को निर्देश दिया जाय, मैं सदन के माध्यम से आज राजस्व विभाग के ऊपर, बजट अनुदान के ऊपर मैं बोलने के लिए खड़ा हूँ । सरकार का आंकड़ा मेरे पास है और आपकी तरफ से पूरी कार्रवाई भी होती है लेकिन जमीनी स्तर पर थोड़ा–सा आप रोहतास जिला में खासकर जरूर कार्यक्रम लगायें ताकि हर विधायक, हमलोग सबसे ज्यादा ग्रसित रहते हैं तो अंचलाधिकारी से, टेलीफोन भी करते हैं इसके बाद उचित उत्तर मिलता है कि हाँ विधायक जी हम कर देंगे लेकिन दिनारा विधान सभा में जिस तरह से हमलोग ग्रसित हैं उससे हम आपसे इच्छा रखेंगे कि उन पर तत्काल कार्रवाई हो...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप आसन ग्रहण करें, आपका समय हो गया है ।

श्री आलोक कुमार सिंह : महोदय, एक मिनट । लास्ट में मैं अपनी पार्टी की तरफ से और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय सिन्हा जी को मैं सदन के माध्यम से धन्यवाद देता हूँ कि आप इसी तरह से एक्शन लेते रहिये, हम सारे एन॰डी॰ए॰ गठबंधन के लोग उत्साहित हैं । गर्व से कहते हैं कि कोई भूमि सुधार राजस्व मंत्री हुए हैं श्री विजय सिन्हा जी, जिन्होंने तत्काल गया में एक अंचलाधिकारी की लापरवाही का पब्लिक ने शिकायत की और आप उसे तत्काल सस्पेंड किये, इसी तरह....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया आप बैठ जाएं ।

श्री आलोक कुमार सिंह : महोदय, बहुत–बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री ललन राम जी । आपके पास चार मिनट का वक्त है ।

श्री ललन राम : महोदय, हम महादलित हैं तो हमें थोड़ा ज्यादा समय दिया कीजिये । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के 78–79 साल होने वाले हैं, कितनी सरकार बिहार में आयी और गयी लेकिन किसी का साहस नहीं हो पाया कि भूमि सुधार के लिए इतना बड़ा कदम उठाये, आदरणीय बिहार के विकास पुरूष माननीय श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहते हैं और साथ–ही–साथ माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विजय कुमार सिन्हा साहब को कि जो कदम इन्होंने भूमि सुधार के लिए उठाया है बहुत ही सराहनीय है क्योंकि बहुत ही साहसिक कदम है । महोदय, बिहार में 537 अंचल हैं और सभी अंचलों में ऑनलाइन भू–लगान भुगतान हेतु अधिसूचित किया गया है । अब तक ऑनलाइन माध्यम से दाखिल–खारिज हेतु 01 करोड़ 47 लाख 20 हजार 235 याचिकाएं दायर की गयी हैं जिनमें से 01 करोड़ 44 लाख 76 हजार 884 मामलों का निष्पादन हो चुका है और जो बाकी हैं उसका निष्पादन करने के लिए सरकार कटिबद्ध है और लगातार परिश्रम कर रही है। अभी तक प्रतिशत

का आंकड़ा देखा जाय तो 98.35 प्रतिशत है जो बहुत ही सराहनीय है । सरकार लगातार इन मामलों में तेजी से कार्य कर रही है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम सदन को अवगत करना चाहते हैं कि सरकार लगातार और हमलोग जिस क्षेत्र से आते हैं वह उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है औरंगाबाद और उग्रवाद पनपने का सबसे बड़ा कारण जमीनी विवाद है और जमीन का सरकार बहुत मुस्तैदी से नीतीश सरकार ने कदम उठायी है जो बहुत ही सराहनीय है और माननीय श्री नीतीश कुमार जी को जितना भी धन्यवाद दिया जाय, वह कम होगा क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा साहसिक कदम उठाया है और इससे नक्सल प्रभावित इलाकों में और पूरे बिहार में कहूँ तो जमीन का जिस प्रकार से निष्पादन हो रहा है, अब गाँव घर में लड़ाई–झगड़ा भी बहुत कम हो चुका है क्योंकि जमीन के मुद्दा से हर वर्ष हमेशा सैकड़ों लोग मारपीट कर जेल में जाते थे, वह अब बहुत कम हो चुका है तो हम सरकार को जितना भी और सरकार के साथ–साथ हम पांचों पांडव, मतलब द्वापर वाला पांडव नहीं, अभी बिहार में पांचों पाण्डव का जो दल है, हम सबको धन्यवाद देना चाहते हैं कि माननीय श्री नीतीश कुमार के कदम में कदम मिलाकर चलने के लिए कटिबद्ध हैं और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ॰ संतोष सुमन जी भी हमें हमेशा कहते हैं कि आप विपक्षी को एकदम मुँहतोड़ जवाब दीजियेगा लेकिन हम कहें कि विपक्षी है कहां, विपक्षी तो अपने भाग खड़ा होते हैं तो किस विपक्षी के बारे में बात कर रहे हैं । समय कम है, हम चार मिनट देख रहे हैं कि अभी कुछ समय है । महोदय, हम आग्रह करना चाहते हैं कि अभी जो वर्षों से, 100–200 वर्षों से गरीब जहाँ रहते हैं, पहले भी चाहे किसी की जमीन हो उसमें बासगीत पर्चा बनाने की व्यवस्था थी या अगर सरकारी जमीन पर है तो गृहस्थल का पर्चा बनता था । हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि गृहस्थल का पर्चा और बासगीत का पर्चा जो 100 साल, 50 साल से रह रहे हैं उन गरीबों का बनना चाहिए और महोदय, हम कहना चाहते हैं....

(व्यवधान)

आपलोगों को समय मिलता है तो आप लोग भाग खड़े होते हैं....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, टोका–टोकी नहीं करें ।

श्री ललन राम : महोदय, हम एक बात और कहना चाहते हैं कि विनोबा भावे जी के नाम पर जो जमीन अधिग्रहण किया गया था जिसको आज भी भू–स्वामी रखे हुए हैं तो हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि जो गरीब का पर्चा दिया जाता है...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप बैठ जाएं ।

श्री ललन राम : महोदय, उस पर्चा को दखल दिला कर कब्जा के साथ अगर जमीन दिया जाय तो हम मानते हैं कि विवाद नहीं होगा...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप आसन ग्रहण करें ।

श्री ललन राम : महोदय, क्योंकि भूमि विवाद के कारण...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप बैठ जाएं ।

श्री ललन राम : महोदय, अब तो बहुत झगड़ा–झंझट कम हो रहा है, अब ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, सब जमीन अब एकदम पर्दे पर आ गया है....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया आसन ग्रहण करें ।

श्री ललन राम : महोदय, ऑनलाइन कोई सर्च करेगा तो वहीं से अपना रसीद कटा सकता है तो यह सब आपलोग को नहीं पता चलेगा, आपलोग केवल हल्ला कीजिये, हम माननीय, ....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका समय हो गया । अब आप आसन ग्रहण करें ।

श्री ललन राम : महोदय, एक मिनट । माननीय उपाध्यक्ष महोदय से हम आग्रह करना चाहते हैं कि हम दक्षिणांचल में रहते हैं । औरंगाबाद बहुत ही पिछड़ा इलाका है और हम चाहते हैं सरकार से....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप बैठ जाएं ।

श्री ललन राम : महोदय, सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि जो गरीब–गुरबा जिनका जमीन नहीं है और...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका समय हो गया ।

श्री ललन राम : महोदय, गरीब–गुरबा को पर्चा दिया जाय क्योंकि अब तो सिस्टम हो गया कि सरकार के पास कितनी जमीन बची हुई है और जब सरकार के पास जमीन है तो...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कृपया बैठ जाएं ।

श्री ललन राम : महोदय, गरीब–गुरबा में बांटने का आग्रह हम करते हैं ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बैठ जाएं ।

श्री ललन राम : महोदय, बहुत–बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आपलोगों की जानकारी के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं । दो बार आठ–आठ घंटा तक बैठक हुई थी माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में और उस कानून का नाम था बिहार भूमि विवाद निराकरण कानून, 2009, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए थी इधर से या उधर से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पूरी ताकत लगायी थी कि कैसे बिहार में जो जमीन का झंझट होता है, उसका कैसे निपटारा हो तो उस पर भी चर्चा होनी चाहिए थी। न इधर से हो पायी और न उधर से हो पायी ।

माननीय सदस्य श्री बैद्यनाथ प्रसाद जी ।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, जिस विभाग में मुख्यमंत्री जी के द्वारा काम किए गए थे, आपको तो बेहतर जानकारी है, आप इस विभाग के मंत्री रहे थे इनके साथ । इसलिए तो आपको जानकारी है ही, आप भी सदन को अवगत करा सकते हैं ।

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, वही बता रहे थे ।

(व्यवधान)

बैद्यनाथ बाबू, एक मिनट ।

श्री आलोक कुमार मेहता : महोदय, इसी आसन से इसी सदन में घोषणा की गई थी कि हर प्रखंड में माननीय विधायकों के लिए ऑफिस की व्यवस्था की जायेगी । मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि सरकार इस बजट में उसका प्रावधान करे ताकि विधायक निगरानी भी रख सके जो प्रखंड के अंदर किसी भी तरह की गड़बड़ी होती है तो उस पर निगरानी रख सके । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

(व्यवधान)

टर्न–19 / अंजली / 13.02.2026

(व्यवधान)

श्री संदीप सौरभ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय श्री विजय सिन्हा जी उस समय अध्यक्ष महोदय थे, वे अभी डिप्टी सी0एम0 हैं, उस समय चर्चा हुआ था, एनाउंसमेंट हुआ था कि प्रखंड में और जिला समाहरनालय में दोनों जगह माननीय विधायकों के लिए एक–एक चेम्बर वहां पर बनाया जाएगा । अब हमलोग प्रखंड में जाते हैं तो कहां बैठें यह समझ में नहीं आता है, तो जनता की समस्या कोई कैसे सुनेंगे । इसलिए हम कहेंगे, आसन से चूंकि घोषणा हुआ था, कोई मांग नहीं थी, उसको करवा दिया जाए महोदय ।

उपाध्यक्ष : माननीय मुख्यमंत्री महोदय सुन लिए हैं । माननीय सदस्य, श्री बैद्यनाथ प्रसाद जी । अब आप अपना पक्ष रखें ।

श्री बैद्यनाथ प्रसाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज सदन में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, कला एवं सस्कृति विभाग, खेल विभाग तथा पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हूं । आसन के प्रति, अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, अपने दल के नेताओं के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर आज सदन की चर्चा में भाग लेने का मुझे अवसर दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट जिन विभागों का आया है, 2190,15,01,000 / – (दो हजार एक सौ नब्बे करोड़ पन्द्रह लाख एक हजार) रुपए का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का बजट है । इसी तरह से नगर विकास एवं आवास विभाग का बजट 15 हजार 236 करोड़ 99 लाख 84 हजार रुपए का है और इसी तरह से अन्य सभी विभागों की मांग आयी है, मैं इस मांग का समर्थन करता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि यह सदन मिसाल कायम करते हुए पूरे सर्वसम्मत तरीके से विकसित बिहार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार

विकास के जिस रास्ते की ओर बढ़ चल रहा है, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एकमत होकर अपने कटौती को वापस लेकर और बजट का समर्थन सर्वसम्मत से करें, एक सदस्य के नाते मेरी यह अपेक्षा है ।

उपाध्यक्ष महोदय, भूमि हमारी जननी है, जो हमें भोजन के लिए अन्न, पीने के लिए पानी, रहने के लिए घर बनाने का स्थान देती है और भूखंड न हो तो इंसान का अस्तित्व ही नहीं रहेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, भूमि का संघर्ष भी मानव सभ्यता के साथ–साथ बढ़ता गया । आज भी भू–संघर्ष वैश्विक समस्या का बड़ा कारण है और दुनिया इस संघर्ष में उलझकर मानवीय मूल्यों का अवमूल्यन करने में लगी हुई है । बावजूद इसके भारत अपने गुट निरपेक्ष नीति पर चलते हुए तथा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 'वसुधैव कुटुंबकम्' तथा महान चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योद्य की परिकल्पना को साकार करने की नीतियों पर चलते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की सरकार जिसके राजस्व मंत्री सह–उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी के सफल नेतृत्व एवं परिणाम मूलक प्रयास का परिणाम है कि राज्य में डिजिटलाइज पंजियों में कतिपय त्रुटियों जैसे–रैयतों के नाम में कहीं अशुद्धियां हो गईं, खाता में हो गया, खेसरा–रकबा, लगान आदि में त्रुटियां हुईं, मानवीय भूल यह संभव है और इन सब को सुधार करने के लिए जो आवेदन अब तक पड़े थे 24 लाख 32 हजार 628 शिकायतों में अस्सी प्रतिशत का निवारण कर लेना यह बहुत बड़ी उपलब्धि यह सरकार के खाते में दर्ज होती है और बिहार के लोग मुख्यमंत्री जी के प्रति और अपने राजस्व मंत्री विजय सिन्हा जी के प्रति आभारी हैं, जिनका प्रयास सकारात्मक दिशा में परिणाम करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं ।

महोदय, इसी तरह से जमाबंदी में भी कई तरह की त्रुटियां हुईं, जब एक व्यवस्था का परिवर्तन होता है, अभी आसन से कहा गया वर्ष 2009 में जिस समय भूमि न्यायाधिकरण आया था, आप राजस्व मंत्री थे, मैं भी कॉउंसिल का सदस्य था और एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ था और इसके अच्छे परिणाम भी राज्य के लोगों को देखने को मिला है । फिर भी, मैं यह कह सकता हूं कि जब द्वापर युग में या त्रेता युग, जो भी रहा हो, भगवान राम के कार्य से हनुमान जी जब चले संजीवनी लाने, तो कहीं न कहीं कालनेमि मार्ग का अवरोध पैदा करने के लिए खड़े हुए, हनुमान जी ने कालनेमि का वध कर दिया लेकिन उसके पूरे वंशज का वध तो उस दिन हुआ नहीं और आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकार की नीतियों को सफल बनाने में रोड़ा अटकाने के लिए कालनेमि के वंशज के रूप में जगह–जगह पर खड़े हैं, लेकिन जिस तरह से आदरणीय विजय बाबू ने, मैंने सुना है, मैं कभी मिला नहीं, सी0के0 अनिल जी इसके सचिव हैं, उनका एक प्रयास हो रहा है, वह दिन दूर नहीं कि बिहार में

ऐसे कालनेमियों का फन कुचला जाएगा, चूंकि भूमि इतना महत्वपूर्ण विषय है, महोदय, यह भूखंड इतना महत्वपूर्ण है कि कुछ लोग बड़े राजनैतिक और राज सत्ता को प्राप्त करने के बाद भी गरीब लोगों के भूखंड को नौकरी के बदले अपने नाम कराने का लोभ त्याग ही नहीं देते, चाहे भले सरकार और न्यायालय इसके लिए उनको बार–बार दंडित करें, यह इतना महत्वपूर्ण विषय है भूखंड और इसमें सुधार का काम चल रहा है । सरकार के इस प्रयास की सराहना हम करते हैं, बिहार के लोग करते हैं और अपने प्रभारी मंत्री और विभाग और अधिकारियों के प्रति जरूर आभार व्यक्त करते हैं कि उनकी सोच सकारात्मक है, उनका प्रयास सकारात्मक है, सफलता मिलनी है, कालनेमियों का फन कुचलना तय है । मैं जरूर यह चाहूंगा कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर जो दो–चार परसेंट बचे हुए हैं सरकारी तंत्र में, उन पर दंडात्मक कार्रवाई हो और जो भी भू–माफिया कुछ इस मार्ग का बाधा बने हुए हैं, उन पर दंडात्मक कार्रवाई हो और मुझे पक्का भरोसा है आदरणीय नीतीश कुमार जी की पुलिस, आदरणीय विजय सिन्हा जी के विभाग के लोग, ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई करेगी और भूमि सुधार का लक्ष्य बिहार में हासिल होकर रहेगा । महोदय, मैं थोड़ा नगर निगम की तरफ भी बढ़ना चाहता हूं । देश के शहरीकरण का जो औसत है वह 35 प्रतिशत है, मुझे स्मरण है कि जब मैं वर्ष 2009 में आया था तो उस समय देश का औसत 31 प्रतिशत था, बिहार का औसत समय 12 प्रतिशत से कम था ।

उपाध्यक्ष : आपके पास 2 मिनट का वक्त है ।

श्री बैद्यनाथ प्रसाद : महोदय, दो मिनट का समय मांगेंगे, निवेदन करेंगे । 12 प्रतिशत से कम था लेकिन आज नगर विकास विभाग ने भी माननीय मंत्री जी के दिशा–निर्देशन में जो भी हमारे नगर विकास एवं आवास विभाग मंत्री काम कर रहे हैं उनके प्रयास से, अगर देश का औसत 35 प्रतिशत हुआ है, तो बिहार भी 11 परसेंट से बढ़कर साढ़े 15 परसेंट पर गया है यह उपलब्धि आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की सरकार को जाता है लेकिन आज भी हमें राष्ट्रीय औसत को प्राप्त करने के लिए अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तेजी से न सिर्फ शहरीकरण को बढ़ावा देना चाहिए, परंतु जो नागरिक सुविधाएं दी जा रही हैं, वह कम नहीं है पर्याप्त है, परंतु इसमें भी कुछ कालनेमि खड़ा होकर इस अभियान में कहीं न कहीं बाधा पैदा कर रहे हैं, उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : टोका–टोकी नहीं कीजिए माननीय सदस्य ।

श्री बैद्यनाथ प्रसाद : ऐसे लोगों पर नगर विकास एवं आवास विभाग के अधिकारी और माननीय मंत्री कठोरतम कार्रवाई करें ।

उपाध्यक्ष : अब आप अपना आसन ग्रहण, करें बैद्यनाथ बाबू ।

श्री बैद्यनाथ प्रसाद : महोदय, एक बात और इस उम्मीद के साथ मैं यह कहना चाहता हूं, खान और भूतत्व विभाग जहां एक तरफ राजनैतिक संरक्षण प्राप्त लोगों का अय्यासी और धनोपार्जन का अड्डा बना था, नीतीश कुमार जी की सरकार ऐसे जितने खनन में माफिया पैदा हुए हैं, उनके फन को कुचलकर उस पैसे को राजकोष में जमा करा कर बिहार के विकास का काम कर रही है । इस सरकार को सलाम, इसके नेता को सलाम, माननीय मुख्यमंत्री जी को सलाम और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी मांगों का समर्थन करते हुए सबसे निवेदन करता हूं कि हम गैरतमंद नागरिक हैं...

उपाध्यक्ष : अब आप अपना आसान ग्रहण करें ।

श्री बैद्यनाथ प्रसाद : इस सदन में बैठकर बिहार के विकास के संकल्प को पूरा करने के लिए सर्वसम्मत से इस बजट का समर्थन करें । धन्यवाद ।

टर्न–20 / पुलकित / 13.02.2026

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजय कुमार । आपके पास आठ मिनट का वक्त है ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, बैठे–बैठे टोका–टोकी न करें । शांति बनाये रखें । माननीय सदस्य को बोलने दें ।

श्री अजय कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव और आदरणीय तेजस्वी यादव जी को आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया और टेकारी विधानसभा की महान जनता को मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने चुनकर के इस सदन में मुझे भेजा है । आज मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । उपाध्यक्ष महोदय, हमने सरकार का बजट भाषण सुना । बजट भाषण सुनकर काका हाथरसी की चंद पंक्तियां अनायास ही याद आ गई कि–

''लोकतंत्र के पेड़ पर, कौआ करें किलोल,
टेप–रिकॉर्डर से भरे, चमगादड़ के बोल।''

महोदय, यहां पर जितने भी एन0डी0ए0 के साथी हैं, वे जब भी बोलते हैं तो कहते हैं कि 2005 के पहले क्या था ? 2005 के पहले यह था कि बिहार लेनिन अमर शहीद ने धन–धरती और राज–पाट के लिए, शोषित वंचित अकलियत के लिए, उन्होंने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी, लेकिन कुरथा में उन्हें दिन में सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी । कौन लोग थे ? मैं इसके बारे में आपलोग से पूछना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

आज जो स्थिति सदन में है, कहते हैं कि सब ठीक है, पक्ष में बात करते हैं, लेकिन सदन से जब बाहर जाते हैं तो कहते हैं कि दरोगा और सी0ओ0 ठीक हो जाएगा न, तो बिहार ठीक हो जाएगा ।

सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि आज जिस बजट भाषण पर हमको बोलने का मौका दिया गया है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार द्वारा राज्य भर में दिनांक 16.08.2025 से 20.09.2025 तक राजस्व महाभियान का आयोजन किया गया था । लेकिन यह नहीं बताया गया कि इस अभियान के दौरान राज्य भर के कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए और इसमें से कितने का निष्पादन किया गया ? अगर सरकार ये आंकड़े भी मुहैया करा देती, तो राज्य के लोगों को भी पता चल पाता कि सरकार कितनी ईमानदारी और निष्ठापूर्वक काम कर रही है । महोदय, आंकड़े इसलिए नहीं हैं कि ईमानदारी और निष्ठापूर्वक काम करने वाले भ्रष्टाचार और आकंठ में डूबी हुई है । इसलिए आंकड़ा नहीं दिया जाता है ।

महोदय, जिन मामलों का निष्पादन नहीं होता है, वह अस्वीकृत हो जाता है । जिन कारणों से, बैठे हम सब के लोग, बिहार की जनता भली–भांति समझती है । महोदय, उसे एक लाइन में बता देना चाहता हूं कि–सुशासन की दुकान पर देख भयंकर भीड़ । क्यूं धक्का मारकर पहुंच गए बलवीर ? पहुंच गए बलवीर, ले लिया पहला । खड़े रह गए निर्बल, बुड्ढे, बच्चे, महिला ।

महोदय, आज की जो वर्तमान स्थिति, बिहार में केवल कागजों पर चल रही है । माननीय मंत्री साहब गया गए थे, सी0ओ0 साहब को सस्पेंड किये, लेकिन उससे नीचे के स्तर पर भी, ब्लॉक लेवल पर भी हम मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि एक बार क्योंकि हमलोग, विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना । एक बार जब गांव–देहात में जाए, किस तरीके से सरकार को, जनता ने आप सब लोग को जनादेश दिया है, लेकिन लोग वहां पर बेचारा बनकर बैठे रहते हैं । दो दिन लगता है, जनता दरबार केवल ब्लॉक में वहां पर बैठ करके रसमंजरी हुआ करती है महोदय, रसमंजरी हुआ करती है । आप सराहनीय काम कर रहे हैं कि कम से कम बिहार का दौरा करके, कम से कम लोगों का हौसला बुलंद कर रहे हैं ।

महोदय मैं बता देना चाह रहा हूं मतलब मैं इसका उदाहरण सदन में पेश करते हुए, मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि गया जिला अंतर्गत टेकारी अंचल में नामांतरण के दो मुकदमे दायर किए जाते हैं । मंत्री साहब कहते हैं कि निर्दोष को फसाएंगे नहीं, दोषी को छोड़ेंगे नहीं और निर्दोष को फसाएंगे नहीं । मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि टेकारी अंचल में नामांतरण के दो मुकदमे दायर किए जाते हैं । दोनों ही मामलों में संबंधित भूमि पर सिविल कोर्ट में टाइटल का केस चल रहा है । उसमें से एक को अंचल अधिकारी स्वीकृत करते हुए टिप्पणी भी करते हैं, इसका प्रभाव टाइटल पर नहीं पड़ेगा ।

इतना बोल्डली से सी0ओ0 साहब बोलते हैं कि टाइटल पर प्रभाव नहीं पड़ेगा । नामांतरण मुकदमे को वही अंचल राजस्व अधिकारी यह कह करके अस्वीकृत करता है । महोदय, संबंधित भूमि को लेकर के सिविल कोर्ट में टाइटल चल रहा है । दोनों कागजात मेरे पास है, मैं मंत्री जी को कागज दे दूंगा, आवेदन किया हुआ है, मैं दोनों कागज मंत्री जी को दे दूंगा कि टाइटल सूट चलने के बावजूद भी सी0ओ0 साहब क्या हल करते हैं । महोदय, समझिए कि वर्तमान सरकार कितनी भ्रष्ट है ।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य को बढ़ते हुए आपराधिक घटनाओं का एक बड़ा कारण भूमि विवाद है । महोदय, अगर राज्य में अपराध का आंकड़ा कम करना है, तो भूमि विवादों और निष्पादन त्वरित और पारदर्शी तरीके से करना होगा और भूमि विवादों को कम करने का एक मात्र उपाय है सर्वे और पारदर्शिता । महोदय, भूमि अभिलेख का बजट भाषण में बताया गया कि 20 जिलों में सर्वेक्षण शुरू किया गया है, अपने अंतिम चरण में है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या न्यू सर्वे एक्ट, 2012 इसी सदन से पास हुआ ? और यदि पास हुआ तो 2012 से 13 वर्ष बीत जाने के बावजूद, अब तक किसी एक भी गांव का स्थल सर्वे नक्शा पूर्ण रूप से प्रकाशित क्यों नहीं हो सका ?

महोदय, हम कैसे मान लें कि 20 जिलों में सर्वेक्षण का काम अंतिम चरण में है ? यदि कार्य नहीं हो पा रहा, तो उत्तरदायित्व तय क्यों नहीं हो पा रहा है ? महोदय, मैं बात सिर्फ रैयती भूमि की नहीं, अधिकांशतः सरकारी भूमि का वर्षों से यह स्पष्ट है, कहीं नक्शा कुछ कहता है, कहीं खाता कुछ कहता है, जमीनी हकीकत कुछ और होती है ।

उपाध्यक्ष महोदय, आज मंत्री महोदय घूम–घूम कर जनसंवाद कर रहे हैं । हम पूछना चाहते हैं मंत्री महोदय से कि यह सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए सीमित है या वास्तव में जनता के समस्याओं का समाधान करने के लिए हो पा रहा है ?

महोदय, आज स्थिति यह है कि कभी अंचल अधिकारी और राजस्व अधिकारी हड़ताल पर जाते हैं, तो कभी राजस्व कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं । यह है सुशासन की सरकार । माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से हमलोग बिहार में नारा देते हैं कि नीतीश की सरकार है, बिहार में बहार है और अफसर मालामाल है । यह हाल है आज ।

मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसको स्पष्ट करते हुए, लोग अंचल कार्यालय से परेशान हैं, अंचल कार्यालय विभाग से परेशान है और विभाग प्रतिदिन निकलने वाले, नए निकलने वाले विरोधाभासी नीति से परेशान है ।

उपाध्यक्ष : अब आप बैठ जाएं । आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री अजय कुमार : महोदय, अंत में मैं यही कहूंगा कि टेकारी ऐतिहासिक धरती है ।

उपाध्यक्ष : कृपया बैठ जाएं ।

श्री अजय कुमार : 224 एकड़ टेकारी किला अभी खाली पड़ा हुआ है । सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, एक बार वहां पर्यटक स्थल बनाने के लिए हम आग्रह करते हैं । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार मंडल ।

श्री राजेश कुमार मंडल : माननीय आपका आभार । आज हमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के संबंध में कहना है । महोदय, उससे पहले मैं कहना चाहूंगा, मैं मिथिला की धरती से आता हूं और मिथिला में एक पुरानी कहावत है– लिखे आवै य त नय, आ मिटाबै त दोनों हाथ से ।

(क्रमशः)

टर्न–21 / हेमन्त / 13.02.2026

(क्रमशः)

श्री राजेश कुमार मंडल : सबसे बड़ी बात है कि....

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, टोका–टोकी नहीं करें। उनको बोलने दिया जाय।

श्री राजेश कुमार मंडल : जिनको काम करने की आदत नहीं हो, वह काम की महत्ता को क्या समझेंगे। काम करने की आदत हमारे नेता....

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : टोका–टोकी नहीं करें माननीय सदस्य।

श्री राजेश कुमार मंडल : आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे एन0डी0ए0 के सभी आदरणीय नेतागण, मंत्रीगण को है। तो काम की महत्ता तो वह समझेंगे न। सड़की की बात हो, अच्छी बनेगी, चलेंगे। स्वास्थ्य की बात हो, स्वास्थ्य का लाभ लेंगे। राशन की बात हो, राशन खायेंगे। फ्री बिजली की बात हो, बल्ब जलायेंगे। लेकिन समर्थन की बात हो, तो विरोध करेंगे,..

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, टोका–टोकी नहीं करें।

श्री राजेश कुमार मंडल : कटौती करेंगे। महोदय, यह इनकी मजबूरी है। इसलिए मजबूरी इनकी है कि ये जहां से आते हैं, ये अपने नेता को तो दिखाना चाहेंगे न कि हम आपके पक्ष में, 25 ही सही, लेकिन डटकर खड़े हैं। अगर सदन के पास...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : शांति बनाये रखें।

श्री राजेश कुमार मंडल : अगर सदन के पास अंतरआत्मा...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : कृपया, शांति बनायें। टोका–टोकी नहीं करें माननीय सदस्य।

श्री राजेश कुमार मंडल : महोदय, अगर सदन के पास अंतरात्मा को मापने का यंत्र हो, तो मैं यह कहना चाहूंगा कि सभी लोगों को लगाइये 100 नहीं, 110 प्रतिशत समर्थन हम लोगों को मिलेगा।

महोदय, बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने हाल ही में भूमि रिकार्ड डिजिटल बनाने, भूमि विवाद कम करने और सेवाएं ऑनलाइन करने के कई कदम उठाए हैं। महोदय, याद होगा, पहले जमीन का दस्तावेज कोठी में, पेटी में, बक्सा में या जो जानकार लोग होते थे, वह लॉकर में रखते थे। अब वह कागज हमारे मोबाइल में, आपके मोबाइल में, उनके मोबाइल में है। पहले रसीद कटाने के लिए हल्का कर्मचारी, सीओ, सीआई के यहां महीनों दौड़ लगानी पड़ती थी। अब हम लोग साइबर पर जाते हैं....

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब बैठ जायें।

श्री राजेश कुमार मंडल : 50–100 रूपये में ऑनलाइन रसीद कटाते हैं।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपना भाषण समाप्त करें।

श्री राजेश कुमार मंडल : यही उपलब्धि है। बहुत–बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विमल राजवंशी जी।

(व्यवधान)

कृपया, शांति बनायें।

श्री विमल राजवंशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : कृपया, शांति बनायें।

श्री विमल राजवंशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व एवं भूमि सुधार के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, मैं सबसे पहले अपनी विधानसभा रजौली की देवतुल्य जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूं। कुशल नेतृत्व कर रहे पीठासीन उपाध्यक्ष महोदय और बिहार विद्या मंदिर के विधि मंदिर में बैठे सभी सम्मानित गणमान्य सदस्यों को अपने रजौली विधानसभा की ओर से कहना चाहता हूं

''नमन है आपको, वंदन है आपको, सदन में बैठे सभी सदस्यों का अभिनंदन है आपको।'' ''बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट'' के आदर्श वाक्यों साथ...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप गागर में सागर भरे। एक मिनट का वक्त है आपके पास में।

श्री विमल राजवंशी : जी, हमारी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के प्रति कोटि–कोटि आभार व्यक्त करता हूं एवं पार्टी के संस्थापक, श्रद्धेय रामविलास पासवान जी को नमन करता हूं। हमारे विधायक दल के नेता श्री राजू तिवारी जी के नेतृत्व में आज मुझे बजट

सत्र पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पर बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है इसके लिए मैं पार्टी के सभी सदस्यों को धन्यवाद करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, हम गर्व महसूस करते हैं कि हम वैसे कुशल, कर्मठ और बेदाग मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जैसे कार्यकाल में काम कर रहे हैं। 2005 से पहले, हमने अंधकार की जिंदगी को महसूस किया है। विपक्ष में बैठे लोगों को भी...

उपाध्यक्ष : कृपया, आसन ग्रहण करें माननीय सदस्य।

श्री विमल राजवंशी : आभास होगा। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पहले रोड के बारे में ग्रामीणों से कहा करते थे, ''बुड़बक, रोड बन जाएगा तो पुलिस जल्दी आ जायेगा।''

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अपना भाषण समाप्त करें।

श्री विमल राजवंशी : आज चमचमाती सड़क है और राजस्व वृद्धि के लिये 40 टोल प्लाजा भी है, जो एक दिन में देश भर में 168 करोड़ रूपये...

उपाध्यक्ष : कृपया, आप बैठ जायें।

श्री विमल राजवंशी : टोल प्लाजा से आते हैं।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विशाल प्रशांत जी। संक्षिप्त में अपनी बात रखें, कम समय में।

श्री विशाल प्रशांत : धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय,..

उपाध्यक्ष : उपाध्यक्ष बोला जाय।

श्री विशाल प्रशांत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय और सम्मानित सदस्यगण, आज मैं तरारी विधानसभा की सम्मानित जनता की तरफ से उनकी आवाज को यहां रखने के लिए सदन में आया हूं। आज भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के आय और व्यय का, जो सरकार की तरफ से है, उनका पक्ष रखने आया हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : टोका–टोकी नहीं, माननीय सदस्य। उनको बोलने दिया जाए। वह नए सदस्य हैं, उनको बोलने दिया जाए।

श्री विशाल प्रशांत : सबसे पहले मैं अपने दोनों सदनों के नेता माननीय मुख्यमंत्री और भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के माननीय मंत्री और हमारे उप मुख्यमंत्री जी को इस बात का धन्यवाद देता हूं कि पिछले साल ही जब मैं जीत कर आया था। एक साल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के काम के लिए जितनी भी एन0ओ0सी0 की डिमांड हम लोगों ने की थी, हमें इतनी जल्दी मिली कि सिर्फ साल भर के अंदर हमने अपने क्षेत्र में एक हजार करोड़ का वर्क करवाया, उसके लिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री और खास कर भूमि राजस्व के जितने कर्मचारी हैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। साथ ही, सरकार के पक्ष में बोलने के लिए सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि जो डिजिटलाइजेशन अब हमारे पास में आ गया है। अगर आप पिछले पांच साल पहले जाएं, तो सुप्रीम कोर्ट में और हाई

कोर्ट में जितनी भी केसेज थे, लगभग 66 प्रतिशत से 67 प्रतिशत केसेज भूमि विवाद से जुड़े होते थे और आप माननीय सदस्यों को जानकर खुशी होगी कि जब से यह डिजिटलाइजेशन चल रहा है, 40 प्रतिशत तक यह कमी पहुंच गई है, हाई कोर्ट में केसेज की।

उपाध्यक्ष : अब आप अपना भाषण समाप्त करें, माननीय सदस्य। समय का अभाव है।

श्री विशाल प्रशांत : अगर आप पूरे भारत का देखें, तो भारत का लगभग जो आंकड़ा है अभी भी बिहार से काफी ऊपर है भूमि विवाद को लेकर।

उपाध्यक्ष : कृपया, अब बैठ जायें।

श्री विशाल प्रशांत : लेकिन हमारे बिहार में सबसे ज्यादा और सबसे अच्छी चीज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, जो आने वाले समय में,

उपाध्यक्ष : कृपया, बैठ जायें माननीय सदस्य।

श्री विशाल प्रशांत : सर, दो मिनट दिया जाए। अभियान बसेरा के अंतर्गत हजारों भूमिहीन परिवारों को सरकारी जमीन पर आवास मिला है। यह केवल घर नहीं, यह सम्मान, सुरक्षा और भविष्य की स्थिरता है। इस क्रम में मैं व्यावहारिक सुझाव भी रखना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष : कृपया, आसन ग्रहण करें, समय का अभाव है।

श्री विशाल प्रशांत : सर, थोड़ा–सा सुझाव देना चाहेंगे। सर, पहला सुझाव यह है कि आवेदन स्वीकार करने के बाद में सी0ओ0 लोग रिजेक्शन देते हैं, उस रिजेक्शन में कारण नहीं लिखते कि किस कारण से रिजेक्शन हुआ। वह रिजेक्शन होना चाहिए,...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : वह सुझाव दे रहे हैं न।

श्री विशाल प्रशांत : इसमें क्लियरिटी आनी चाहिए। दूसरा है, सर, किसी भी पदाधिकारी के पास अगर ऑनलाइन में 14 दिनों के अंदर में कोई मामला लंबित रहता है, तो उनके वेतन में कटौती और साथ में तुरंत...

उपाध्यक्ष : कृपया, आसन ग्रहण करें माननीय सदस्य। समय का अभाव है।

श्री विशाल प्रशांत : वरीय पदाधिकारियों को इसकी जानकारी होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष : बैठ जाइये।

श्री विशाल प्रशांत : तीसरा है, सर, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी चीजें एन0ओ0सी0 के लिए दी जा रही हैं, उसकी एक प्रति हमें माननीय सदस्यों को भी प्राप्त होनी चाहिए ताकि हमें यह पता चल सके कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में क्या कार्य होने जा रहा है।

उपाध्यक्ष : अब आप अपना आसन ग्रहण करें।

श्री विशाल प्रशांत : बहुत–बहुत धन्यवाद, सर।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रूहेल रंजन जी। संक्षिप्त में अपनी बात रखें, समय का अभाव है।

श्री रूहेल रंजन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि आज का विषय हम सब से सीधा जुड़ा हुआ है, इसलिए बिहार के विकास की चर्चा करना स्वाभाविक है और जब बिहार के विकास की बात होती है, तो आदरणीय अभिभावक श्री नीतीश कुमार जी का उल्लेख होना ही चाहिए। उन्होंने अपनी दूरदर्शी सोच और दृढ़ निश्चय से बदहाल बिहार को खुशहाल बनाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह परिवर्तन एक दिन में नहीं होता। इसके लिए समय, धैर्य और ईमानदार नेतृत्व की आवश्यकता होती है। बिहार की महान जनता द्वारा दिए गए अपने विश्वास रूपी एक–एक वोट की ताकत से माननीय मुख्यमंत्री बनने के बाद आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एक–एक गली, एक–एक गांव और एक–एक कस्बे का विकास कर बिहार की जनता को उपहार स्वरूप दिया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री जी समाज के सभी वर्गों के प्रति समान रूप से संवेदनशील और उदार रहे हैं। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आधारभूत संरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगातार उल्लेखनीय पहल की है। आज मैं विशेष रूप से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा किए गए ऐतिहासिक डिजिटल और जनतामुखी सुधारों पर अपनी बात रखना चाहता हूं। चूंकि बिहार की भूमि केवल जमीन नहीं है, यह किसान की अस्मिता है, परिवार की सुरक्षा है और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है।

(क्रमशः)

टर्न–22 / संगीता / 13.02.2026

(क्रमशः)

श्री रूहेल रंजन : अध्यक्ष महोदय, इसी सोच के साथ यह सुनिश्चित किया गया है कि भूमि से जुड़ी सेवाएं पारदर्शी, समयबद्ध और डिजिटल हों ताकि आम नागरिक को कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें और भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश न हो । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण का प्रयास 1988 से 89 में शुरू हुआ था लेकिन 2000 तक यह प्रयास अपेक्षित परिणाम नहीं दे सका कारण स्पष्ट थे, प्रशिक्षण का अभाव, बिहार की जटिल भूमि व्यवस्था के अनुरूप सॉफ्टवेयर का न होना और प्रभावी निगरानी की कमी । इस दौरान में कम्प्यूटर तो आए लेकिन न विवाद कम हुए न जनता को राहत मिली, यह विफलता तकनीक की नहीं बल्कि...

उपाध्यक्ष : अब आप अपना भाषण समाप्त करें माननीय सदस्य । समय का अभाव है, कन्क्लूड करें अपना भाषण ।

श्री रूहेल रंजन : जी, एक मिनट । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट भूमि प्रशासन को और मजबूत करेगा तथा बिहार को एक आधुनिक पारदर्शी और निवेशपूर्ण राज्य के रूप में स्थापित करेगा । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उपमुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी और उपमुख्यमंत्री श्री विजय सिन्हा जी को बधाई देता हूं और इस अनुदान की मांग का पूर्ण समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती देवंती यादव जी ।

श्रीमती देवंती यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका आभार प्रकट करना चाहती हूं कि आज आपने इस सदन में बोलने का मुझे मौका दिया । साथ ही, अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी और उपमुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, उपमुख्यमंत्री श्री विजय सिन्हा जी का भी आभार प्रकट करना चाहती हूं । साथ ही, अपनी विधान सभा क्षेत्र के नरपतगंज विधान सभा के सभी मतदाताओं का भी मैं आभार प्रकट करना चाहती हूं जिन्होंने मुझे इस सदन में आज बोलने का मौका दिया है । उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की उपलब्धि राजस्व एवं भूमि सुधार पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूं उनके समर्थन में । महोदय, न्याय के साथ बिहार में विकास हो रहा है । राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का राज्य के विकास में बहुत बड़ा योगदान है । मुख्यमंत्री जी और उपमुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार कार्यों की समीक्षा की जा रही है ताकि राज्य के किसी भी घर में जमीन संबंधी विवाद न रहे । एक–एक घर के जमीन का सर्वे एवं मापी कराकर समस्याओं का समाधान किया जा रहा है ताकि आने वाली पीढ़ी किसी भी समस्या से न जूझे और अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी बिताए और यही हमारी सरकार का संकल्प है, खुशहाल परिवार बढ़ता बिहार ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विभाग ने सभी तरह की योजनाएं चलाकर जनकल्याण की भावना से भूमि सुधार में कार्य कर रही है । ऑनलाईन दाखिल–खारिज हो, भूमि सुधार जनकल्याण संवाद के माध्यम से रैनबसेरा, भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध कराकर बासभूमि उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा वर्तमान में अभियान बसेरा–2 कार्यक्रम संचालित है । इस योजना के तहत सुयोग्य श्रेणी के अनुसूचित जाति–अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूची–2 के बासभूमि विहीन परिवारों को सर्वेक्षित कर बंदोबस्ती प्रमाण–पत्र निर्गत किया जा रहा है । उपाध्यक्ष महोदय, इस योजना के तहत अब तक कुल 1 लाख 37 हजार 8 सौ 55 बासभूमि विहीन परिवारों को सर्वेक्षित किया जा चुका है जिसमें से अब तक 69 हजार 191 परिवारों को बासभूमि उपलब्ध करा दी गई है । उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस तरह से हमारे बिहार में मुख्यमंत्री जी की सरकार आयी है और सबसे ज्यादा विवाद इसी विभाग में रहा है । महोदय, यह एक ऐसा विभाग है जिसकी जरूरत राज्य ही नहीं, देश के हर एक तबके के परिवार को है । मेरे आदरणीय मुख्यमंत्री जी आने से पहले सबसे ज्यादा विवाद इसी विभाग में थी और घोटाले भी जमकर हुई । गरीबों का शोषण किया गया, उनके साथ अत्याचार भी हुआ परंतु जब से आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए और जमीन संबंधी विवादों को प्राथमिकता में रखकर लगातार नए–नए तरह के समाधान के लिए प्रयासरत हैं और खुद ही समय–समय पर उनका मॉनिटरिंग भी करते हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी भी

उपमुख्यमंत्री जी भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जमीन विवाद को सुलझाने में स्वयं जिलों में जाकर बैठकों में भाग लेकर...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या अपना भाषण अब समाप्त करें, समय का अभाव है ।

श्रीमती देवंती यादव : तत्परता के साथ समाधान कर रहे हैं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मुझे एक सुझाव देना है, जिस तरह से सुशासन की सरकार ने हर विभाग में तत्परता के साथ हर समस्या का समाधान किया है, मुझे लगता है कि जैसे बासगीत भूमिहीनों को भूमि देकर घर बनाया जा रहा है लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को टोलों में जिस तरह से जमीन देकर बसाया जा रहा है, उन लोगों का आवागमन का काफी कठिनाई होती है, इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए...

उपाध्यक्ष : अब आप बैठ जाएं माननीय सदस्या, अब आप बैठ जाएं । कृपया आसन ग्रहण करें आप ।

श्रीमती देवंती यादव : और उनलोगों का आवागमन का रास्ता बनाकर दिया जाए । बहुत–बहुत धन्यवाद महोदय ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री बबलू कुमार जी ।

श्री बबलू कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम अपने नेता और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एवं खगड़िया की महान जनता का हम आभार प्रकट करते हैं जिनके आशीर्वाद से आज हमें सरकार के पक्ष में बोलने का मौका मिला है ।

(इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन में राजस्व एवं खनन विभाग के वर्ष 2026–27 के बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं । मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यह बजट केवल आय–व्यय का लेखा–जोखा नहीं बल्कि संसाधनों के संरक्षण, पारदर्शिता और राज्य की आर्थिक मजबूती का दस्तावेज है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं बजट के समर्थन में कुछ बोलूं चंद पंक्तियों इस सदन को अर्पित करता हूं :–

''जहां ठहराव था कभी वहां रफ्तार आयी है,
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में
बिहार ने नई पहचान पायी है ।
इरादें हों मजबूत तो मंजिल भी झुक जाती है,
माननीय नीतीश कुमार जी की राह में मुश्किलें भी थक जाती हैं ।''

माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष यह भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है कि राजस्व और खनन विभाग के केवल संग्रहण का विभाग है । मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं यह विभाग राज्य की वित्तीय रीढ़ है, जब राजस्व सशक्त होगा तभी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और समाज कल्याण की योजनाएं मजबूत होंगी । यह बजट अवैध खनन पर सख्ती, पारदर्शी, ई–निलामी प्रणाली और तकनीकी आधारित निगरानी की दिशा में बड़ा कदम है । अब खनन माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं है । सरकार ने ड्रोन, सर्विलेंस जी0पी0एस0 ट्रेकिंग और ऑनलाइन परमिट प्रणाली लागू कर राजस्व रिसाव को रोकने का ठोस प्रयास किया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, भूमि सुधार और दाखिल–खारिज की प्रक्रिया को सरल बनाना ऑनलाईन मोटेशन, डिजिटल रिकॉर्ड, भू–नक्शे आधुनिकीकरण ये सब बजट की प्राथमिकता है । आम नागरिक को अब चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं । पारदर्शिता और जवाबदेही ही इस सरकार की पहचान है । विपक्ष पूछता है राजस्व लक्ष्य क्यों बढ़ाया गया, मैं कहता हूं क्योंकि बिहार आगे बढ़ रहा है, उद्योग आ रहे हैं, निर्माण की गतिविधियां बढ़ रही हैं और जब विकास बढ़ता है तो राजस्व भी बढ़ता है, यह बजट केवल राजस्व संग्रह बढ़ाएगा बल्कि खनन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी सृजित करेंगे । स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने का प्रावधान इस सरकार में संवेदनशीलता को दर्शाता है । माननीय अध्यक्ष महोदय, जो लोग कभी व्यवस्था को बंधक बनाकर बैठे थे वे आज नैतिकता की बात कर रहे हैं लेकिन यह सरकार किसी दवाब में नहीं झुकेगी । अवैध खनन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, यह बजट स्पष्ट संदेश देता है कि बिहार में संसाधनों का दोहन नहीं संरक्षण और न्यायपूर्ण उपयोग होगा...

अध्यक्ष : संक्षिप्त करें माननीय सदस्य ।

श्री बबलू कुमार : मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता हूं कि यह राजस्व एवं खनन विभाग का बजट राज्य की आर्थिक मजबूती की दिशा में निर्णायक कदम है । यह बजट विकास और पारदर्शिता और सतत प्रशासन का प्रतीक है । मैं अपने नेता का आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं । बहुत–बहुत धन्यवाद सर ।

टर्न–23 / यानपति / 13.02.2026

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर होगा ।

<u>सरकार का उत्तर</u>

अध्यक्ष : माननीय उप मुख्यमंत्री । राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, आज सदन के अंदर भूत की समस्या को वर्तमान में सुधारने के लिए और भविष्य को बचाने के लिए हमारे जो माननीय सदस्य इसमें भागीदारी किए हैं, हम उनका आभार और

धन्यवाद व्यक्त करते हैं । आज माननीय विधायिका अनीता जी, माननीय विधायक मनोज शर्मा जी, अभिषेक आनंद जी, मनोहर प्रसाद जी, संगीता देवी जी, अख्तरूल ईमान जी, संदीप सौरभ जी, अजय कुमार जी, आलोक कुमार जी, बैद्यनाथ प्रसाद जी, अजय कुमार जी, राजेश कुमार मंडल जी, विशाल प्रशांत जी, रूहेल रंजन जी, देवंती यादव जी और बब्लू कुमार जी सभी ने अपने–अपने, गुप्ता जी भी, जो सभी लोगों ने अपने विचार को रखा महोदय । सवाल यह नहीं है कि किसने पक्ष में बोला किसने विरोध किया, सवाल यह है कि भूमि सुधार में किसने सहयोग किया । महोदय, यह बड़ी जिम्मेवारी है, हमारा दृढ़ निश्चय ये सदन में जनता का विश्वास जीतकर आए लोग हैं और जिसमें जनता ने विश्वास व्यक्त किया है उनकी विशेषता रही, वही सदन में आए हैं । बड़ी जिम्मेवारी के साथ हम कहना चाहेंगे कि हम सब मिलकर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, सुशासन के लिए, दिल्ली के दरबार से बिहार के अंदर जनता की सेवा करने के लिए आए महोदय । श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सुशासन स्थापित करने का जो संकल्प कराया उस ओर कदम बढ़ रहे हैं । महोदय, जनता के बीच हम भी वचन देकर आए हैं, हम सब जनता के सेवक के रूप में हम शांति और सामाजिक सौहार्द्र बढ़ायेंगे, न्याय दिलाने का संकल्प लेते हैं महोदय । आज हमारे विभाग का स्पष्ट भू संपदा सुशासन, समृद्धि से शांति सर्वदा प्रदान करने का संकल्प सारा विभाग ने लिया है । महोदय, आज एक सुखद संयोग भी है कि आज विजया एकादशी है, ये विजया एकादशी, बहुत लोग एकादशी करते हैं, भगवान राम जब आसुरी प्रवृत्ति के नायक पर विजय प्राप्त करना चाहते थे तो उन्होंने भगवान देवों के देव महादेव से कहा, उनका ध्यान करके मैं क्या करूं, कहा कि विजया एकादशी के दिन आप इसको ग्रहण करें, इस व्रत को, सफलता जरूर मिलेगी । यह लोकतंत्र के राज्य का सबसे बड़ा मंदिर है महोदय और हम सब पुजारी के रूप में बैठे हैं । अगर जो मन में संकल्प ले लेंगे तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारा यह भूमि सुधार सफल होगा और बिहार, आनेवाली पीढ़ी को उपहार में हम सब मिलकर के, एक सामाजिक सौहार्द्र से भरा हुआ शांतिपूर्ण बिहार प्रदान करेंगे । महोदय, इस दुर्लभ अवसर पर मैं सरकार की ओर से, इस सदन की ओर से अपनी ओर से राज्य के सभी नागरिकों के लिए सुख, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि और सौहार्द्र की कामना भी करता हूं । साथ ही एक स्वेच्छा व्यक्त करता हूं कि हम सभी अन्याय, अपराध और आसुरी प्रवृत्ति, जिस आसुरी प्रवृत्ति का रूप आज भू माफिया है, बालू माफिया है, दारू माफिया है इन माफियाओं की वृत्तियों पर विजय प्राप्त कर हम अपराधमुक्त, नशामुक्त, भयमुक्त, भ्रष्टाचार से मुक्त बिहार बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकें । हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री

नीतीश कुमार जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास को अपने नीति और नेतृत्व की धुरी मानते हैं । वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्याय के साथ विकास को सुशासन का आधार मानते हैं । इन दोनों के संकल्प से प्रेरणा लेकर, हम मानते हैं महोदय कि

''शांति नहीं तब तक,
जब तक सुख भाग न नर का सम हो,
नहीं किसी को बहुत अधिक हो,
नहीं किसी को कम हो।''

महोदय, यह बिहार की धरती है, बिहार की आजादी के बाद जमींदारी उन्मूलन कानून के लिए इसी सदन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो शुरूआत किए, श्री बाबू, आज बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री उसको पूर्ण करने के संकल्प को साकार कर रहे हैं । महोदय, आज राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जिम्मेवारी मुझे मिली तो मन में कहीं न कहीं एक द्वंद्व भी था महोदय कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विश्वास और जन अपेक्षाओं पर खरा कैसे उतरा जाय । इसी द्वंद्व की स्थिति में हमने, उनके एक सूत्र जो मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं और प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि जब नीयत साफ हो तो नीति सफल होती है । महोदय, साफ नीयत से इस सदन के अंदर हमने शुरूआत की है और प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि मक्खन पर लकीर तो सब खींचते हैं, खींचनी है तो पत्थर पर लकीर खींचो और आज हम सबको पत्थर पर लकीर खींचने की एक चुनौती मिली है । कठिन है तो क्या हुआ शुरूआत तो करो, यही भाव तुम्हें कठिन कार्य करने का विश्वास जगायेगा महोदय । इसी सूत्र को अपनाकर देव वाक्य बनाकर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विगत 24 नवंबर को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का दायित्व संभाला । महोदय, मेरे विभाग का सीधा सरोकार आमलोगों से है । महोदय, आज ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 85 परसेंट लोग निवास करते हैं । 15 परसेंट से 16 परसेंट शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं और इसमें इस विभाग के कानून की जटिलता भी है, प्रक्रियाओं के अनुपालन की अपेक्षा भी है और जमीन के प्रति हमारे समाज के भावनात्मक जुड़ाव का दबाव भी है । हम गांव से आते हैं महोदय, आरी गांव के अंदर होता है आरी अगर थोड़ा सा पतला होता है, लहू बह जाता है, जान दे देता है लोग, इतना जमीन से ममत्व रखते हैं लोग । हमने इसी प्रयास में, विभाग के अपने वरीय पदाधिकारियों के साथ शुरूआती बैठक में ही स्पष्ट कर दिया कि सरल, सुलभ, पारदर्शी जवाब दें और समयबद्ध राजस्व प्रशासन सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता होगी । हमारी भूमि प्रबंधन की व्यवस्था ऐसी बने जो विश्वसनीय भी हो और विवाद रहित भी हो । बिचौलियों और भू माफियाओं के प्रति जो हमारा नेतृत्व का जीरो टॉलरेंस

की व्यवस्था है उसको हम लागू कर सकें । राजस्व प्रशासन आज के दौर के अनुरूप डिजिटल और फिजिकल तकनीक से संपुष्ट है महोदय । इन तमाम विषयों को अपने कार्यकाल के पहले 100 दिन में हमने जमीनी स्तर से समझने के लिए आम लोगों के बीच जाकर प्रत्यक्ष संवाद करने का निर्णय लिया । महोदय, 12 दिसंबर से भूमि सुधार जनकल्याण संवाद के रूप में प्रखंडवार पहले चरण में आयोजित हमने बैठक शुरू की । आनेवाले दिनों में इसे जिलावार भी हमलोग करेंगे । इसमें राजस्व प्रशासन से जुड़ी तीन मौलिक समस्याओं को विशेष तौर पर लक्षित किया । पहला परिमार्जन जो हमारे कई सदस्यों ने इस विषय को रखा, सच है महोदय कि जिन लोगों को जिम्मेवारी मुख्यमंत्री जी ने सुधार के लिए दिया था उस एजेंसी की लापरवाही या उसकी मानसिकता में गड़बड़ी के कारण कहीं न कहीं डाटा, आंकड़ा, नाम में कई गड़बड़ियां, कई खामियां आयी महोदय । 46 लाख महाभियान में आवेदन आया महोदय, और 46 लाख में 40 लाख परिमार्जन की शिकायत है महोदय । किसी के नाम में गड़बड़ी, किसी के पिता के नाम में गड़बड़ी, किसी का खाता, खेसरा नंबर में, किसी के एराजी में, हमने कहा कि इसको हर हाल में सुधारना होगा । नाम सुधरता है तो पिता के नाम के लिए आना पड़े फिर खाता, खेसरा, एराजी के लिए यह नहीं चलेगा महोदय । हर हाल में सुधार के लिए हमने समय–सीमा भी तय किया है महोदय । कार्यक्रम की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी रखने के लिए सोशल मीडिया पर लाइव कराते हैं, लाइव कराने का भी उद्देश्य है महोदय ।

(क्रमशः)

टर्न–24 / मुकुल / 13.02.2026

क्रमशः

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : कि हम अगर जो कमिश्नरी स्तर, जिला स्तर करते हैं तो अंचल के पदाधिकारी, कर्मचारी भी उसको देखेंगे, नीचे के लोग भी देखें कि अगर जो एक ही तरह के, एक ही प्रकृति के, नेचर के शिकायत हैं और हमारा प्रधान सचिव, हमारा सचिव, हमारा कमिश्नर, हमारे डी0एम0 अगर जो कोई निर्णय, आदेश देते हैं तो वह उसको ग्रहण करे, उस आदेश के अनुसार वह समाधान और निर्णय करे महोदय । कार्यक्रम की पूरी प्रक्रिया को महोदय पारदर्शी रखने के लिए हम इसे सोशल मीडिया पर लाइव कराने में, आग्रह जरूर करते हैं और अभी तक हर लोग जो बिहारी है महोदय, जो इस समस्या का समाधान चाहता है सबने सहयोग किया है महोदय । कहीं, उन्हीं को परेशानी है जो कहीं–न–कहीं कुछ गलत पदाधिकारियों के सपोर्ट में खड़ा होते हैं महोदय और हमसे पहले लोग शोर

मचाते हैं कि इनको बाहर करो, यह वातावरण गया के अंदर, अभी माननीय सदस्य बता रहे थे कि गया के अंदर भी आया था, समस्याओं की श्रेणी और जटिलता के अनुरूप चयनित समस्याओं को विभाग के मंत्री, वरीय पदाधिकारियों, प्रमंडल स्तर पर जो संबंध हमारे अधिकारी की उपस्थिति में हल करने का प्रयास किया जाता है, एक जैसी समस्याओं को पहचान कर एक निश्चित गाइडलाइन दिया जाता है महोदय । मुझे सदन को यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इस प्रयास के कारण आज दाखिल–खारिज का निष्पादन 84 प्रतिशत हो गया, इतनी तेज गति से, साथ ही लंबित मामलों का अनुपात 25 प्रतिशत से घटकर 16 प्रतिशत रह गया है महोदय । परिमार्जन प्लस पोर्टल के अंतर्गत भी समयबद्धता को सुनिश्चित किया गया, समान त्रुटि के मामलों में 15 दिन, जटिल मामलों में अधिकतम 75 दिन की समय सीमा निर्धारित की गयी है महोदय । इससे आज परिमार्जन प्लस का निष्पादन 10 प्रतिशत से बढ़कर 75 हो गया है, विवाद रहित दाखिल–खारिज के लिए 14 दिनों की समय सीमा हमने तय किया है महोदय । अवैध हस्तांतरण पर पूर्ण रोक और अवैध जमाबंदी के रद्दीकरण की कार्रवाई को भी गति दी जा रही है महोदय । हमने तो कहा कि भूमि मापी के लिए समय सीमा निर्धारित, ई–मापी की व्यवस्था बनाई गयी है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जिसके तहत निर्विवाद भूमि मापी के लिए 7 दिन, विवादित भूमि मापी के लिए 11 दिन और मापी की रिपोर्ट अपलोड करने के लिए 14 दिनों की समय सीमा को निर्धारित किया गया है महोदय ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बिना अनुमति के नहीं बोलिए । बैठिए, प्लीज बैठिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : सुन लीजिए, अब सुन लीजिए । मुझे सदन में यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है महोदय कि इस पूरे प्रयास में एग्रीस्टैक महाभियान को व्यापक लाभ मिला है । मात्र 35 दिनों की छोटी अवधि में महोदय, जो माननीय सदस्य चिंता व्यक्त कर रहे हैं तो सुन लें यह आंकड़ा ही नहीं है महोदय, यह सच्चाई है और आपका अधिकार है जानने का कि मात्र 35 दिनों छोटी सी कालावधि में 40 लाख किसानों की फार्मर रजिस्ट्री संभव हो सकी है महोदय, 40 लाख ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच में डिस्टर्ब नहीं कीजिए, सुनिए । आपलोगों को बोलने का मौका मिला था ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : यह नई सरकार की नई पहल पर और बीते दिसंबर से, थोड़ा सुन लीजिए आग्रह है, यह आपके लिए भी जरूरी है, बीते दिसंबर से जनवरी के अंत तक परिमार्जन और दाखिल–खारिज के करीब

40 लाख लंबित आवेदनों में से 11.50 लाख (साढ़े ग्यारह लाख) मामलों निष्पादन संभव हो सका है महोदय । यह पूरी तरह से डाटा आंकड़ा के साथ उपलब्ध है महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से सदन को महोदय अवगत कराना चाहूंगा कि–

''यह महज आंकड़ों की पंक्ति नहीं,
आशाओं का विस्तार है,
जनकल्याण संवाद से,
बढ़ रहा हमारा बिहार है।''

अभी भूमि विवाद का एक बड़ा कारण जाली दस्तावेज है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आसन की अनुमति के बिना कृपया नहीं बोलें । शोरगुल नहीं कीजिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अब जाली दस्तावेजों पर पूरी तरह सख्ती बरतने की व्यवस्था की गयी है । फर्जी कागजात लगाकर परेशान करने वाले लोगों पर अनिवार्य प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश जारी किया गया है । इसका सकारात्मक परिणाम भी मिलने लगा है । जनता देख रही है । अध्यक्ष महोदय, यह लाइव हो रहा है, भूमि सुधार में व्यवधान करने वाले को जनता देख रही है, कैसे ये लोग समाधान नहीं चाहते हैं ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आप सभी को बोलने का मौका मिला था और आपलोगों ने अपनी बातों को रखा है। अब सरकार का जवाब सुनिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अगर जो भूमि सुधार का.....

अध्यक्ष : आप सबों को बोलने का मौका मिला था, अब सरकार का जवाब सुनना चाहिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये भूमि सुधार को पचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनका कल्चर है, इनके कल्चर में कब्जा है, भूमि का कब्जा करके और भूमिहीन बनाने की इनकी मंशा है ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये)

आज इसी के कारण घबराहट में ये सदन से बहिष्कार कर रहे हैं महोदय, आज शहरी क्षेत्र में वंशावली निर्गत करने की व्यवस्था तय करके ये जिम्मेदारी अंचलाधिकारियों को सौंप दी गयी है महोदय । महोदय, राजस्व महाभियान हमारे लिए सबसे अहम प्राथमिकता है । हमारे यहां जो लैंड रिकॉर्ड है उनमें से अधिकांश और प्रामाणिक रिकॉर्ड कैडेस्ट्रल सर्वे के जमाने से जो सन् 1890 से 1920 में कराया गया था महोदय । 1958 में जो रीविजनल सर्वे शुरू किया गया था, उसे 1975 में रोक दिया गया महोदय, कांग्रेस की सरकार थी महोदय और राजद की सरकार में इसमें तो गलती

से कोई कदम नहीं उठाया गया महोदय । जिससे करीब 10 जिलों का ही लैंड सर्वे हो पाया था । आगे कुछ जिलों में इसे शुरू करने का प्रयास भी हुआ, पर वह सफल नहीं हो पाया महोदय । इसलिए आज एक सटीक, सहज और समयबद्ध लैंड सर्वे कराना हमारे लिए लाजिमी हो गया है । इसे ध्यान में रखते हुए हम साफ नीयत, पारदर्शी नीति और स्पष्ट दिशा–निर्देशों के साथ राजस्व महाभियान को गति देने में जुटे हैं । महोदय, हमने लगभग 46 लाख लंबित आवेदनों को चिन्हित किया, जिसके निष्पादन के लिए 31 मार्च, 2026 की समय सीमा निर्धारित की है, लेकिन बीच में हमारे अंचलाधिकारी के द्वारा हड़ताल और कर्मचारी के द्वारा हड़ताल कहीं न कहीं सुनियोजित ढंग से ये हमारी गति को रोकना चाहते हैं, लेकिन जिन लोगों को हमने कहा है कि जो हमारे सरकार के, हमारे मुख्यमंत्री जी के अभियान में मदद करेंगे हम उसकी सही मांगों के साथ सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी महोदय। महोदय, आपको यह जानकर खुशी होगी कि इस महाभियान के अंतर्गत अब तक 34 लाख से अधिक दस्तावेजों की स्कैनिंग हो चुकी है । कई जिलों में तो प्रगति की दर 90 प्रतिशत से भी अधिक है महोदय । इस मामले में हम यह कह सकते हैं कि हम बड़ी तेजी से लंबित (बैकलॉग) से लक्षित (टारगेट) ओरियेंटेड बनने की राह पर हैं । राजस्व न्याय व्यवस्था में भी गुणात्मक सुधार का प्रयास हम ठोस रणनीति के साथ कर रहे हैं । साथ ही, आवेदन से लेकर आदेश तक पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी रखने के लिए डिजिटल और पेपरलेस व्यवस्था भी बनाई जा रही है । यहां तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी अत्याधुनिक तकनीक से भी इसे जोड़ा जा रहा है । महोदय, सभी अंचलों में के डाटा सहित अभिलेखों के सही संधारण हेतु आधुनिक अभिलेखागार का निर्माण किया गया है । महोदय, माननीय सदस्य चले गए, इनको जानकारी रखनी चाहिए कि अंचल से लेकर प्रमंडल स्तर तक नियमित सुनवाई शुरू हुई है और अंचल में महोदय, अभी थाना में हमारे अंचलाधिकारी बैठते थे, एक अंचल के अंदर कई थाना होता था, व्यावहारिक कठिनाई होती थी, अब अंचल के अंदर सभी थाना के लोग बैठेंगे, जहां सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगेगा महोदय, ताकि पदस्थापित कर्मियों पर निगरानी रखी जा सके और समस्या के समाधान की मॉनिटरिंग भी हो सके । आज महोदय, पुलिस की भूमिका कानून–व्यवस्था तक सीमित कर दिया गया, आज हमारे डी0जी0पी0, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्पष्ट शब्दों में दखल–कब्जा दिलाने और भवन बनाने का पुलिस को जिम्मेवारी नहीं है, लॉ एण्ड ऑर्डर मेंटेन करने या राजस्व अधिकारी के द्वारा लॉ एण्ड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जब डिमांड हो तब जाकर के हस्तक्षेप करेंगे यह व्यवस्था भी सुनिश्चित की गयी महोदय । आज इससे डी0सी0एल0आर0/ए0डी0एम0 स्तर पर मामलों के

निष्पादन में करीब चार से पांच प्रतिशत की गति में सुधार हुआ है महोदय । हमारा स्पष्ट मानना है महोदय–

''न्याय शांति का प्रथम न्यास है,
जब तक न्याय न आता,
जैसा भी हो, महल शांति का,
सुदृढ़ नहीं रह पाता ।''

इसलिए जमीन भूमि विवाद का जब तक समाधान नहीं होगा महोदय, शांति समाज के अंदर

क्रमशः

टर्न–25 / सुरज / 13.02.2026

(क्रमशः)

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : और अपराध में गिरावट नहीं होगी, माननीय न्यायालय का बोझ कम नहीं होगा । इसी तरह सामाजिक न्याय से जुड़े अभियान बसेरा–2 एवं ऑपरेशन भूमि दखल–देहानी में भी काफी गतिशीलता आयी है । अब तक हम 70279 सुयोग्य परिवारों को अभियान बसेरा–2 के तहत भूमि आवंटन कर पाने में सफल हुये हैं । इसके समानांतर शहीद सैनिकों के परिवार को गृह जिला में कृषि के लिये एक एकड़ या घर के लिये 05 डिसमिल जमीन देने की व्यवस्था भी की गयी है ।

महोदय, सुरक्षा और स्वास्थ्य में लगे लोगों का, हमने उसके आवेदन को प्राथमिकता से सुनने का निर्देश भी दिया है । राज्य में उद्योग–धंधे को बढ़ाने के लिये सभी जिलों में लैंड बैंक बनाने का निर्देश दिया गया है । इस हेतु सरकारी भूमि की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई के लिये निर्देश जारी कर दिये गये हैं ।

महोदय, सुयोग्य, दक्ष और पर्याप्त मानवबल राज्य के हर नागरिक तक ''इज ऑफ लिविंग'' (सबका सम्मान जीवन आसान) की सुविधा जो सात निश्चय–3 के तहत मुख्यमंत्री जी का अभियान है उसको हमलोग पूरा करने में लगे हुये हैं । इसको ध्यान में रखते हुये विभाग ने 22,342 स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त 16,584 पदों के लिये एक वर्ष के भीतर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है । इस संबंध में संबंधित आयोगों को अधियाचना भी भेजे जा चुके हैं ।

बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली, 2025 का गठन किया गया है । जिससे राजस्व कर्मचारी संवर्ग राज्य स्तरीय संवर्ग हो गया है और बिहार राजस्व कर्मचारी के 3303 नये पदों का सृजन किया गया है, जिससे राजस्व कर्मचारी का पूर्व से स्वीकृत पद 8472 से बढ़कर अब कुल पदों की संख्या–11775 हो गयी है । वर्तमान में कार्यरत बल–3767 । बिहार कर्मचारी

चयन आयोग को वर्ष 2023 में 3559 पदों पर बहाली हेतु अधियाचना भेजी गयी है तथा शेष रिक्त पदों का रोस्टर क्लियरेंस कर नियमित नियुक्ति हेतु वर्ष–2025 में कुल–4492 पदों की अधियाचना सामान्य प्रशासन, बिहार, पटना को प्रेषित की गयी है ।

महोदय, बिहार अमीन संवर्ग नियमावली, 2025 का गठन किया गया है, जिससे अमीन संवर्ग राज्य सतरीय संवर्ग हो गया है । साथ ही, अमीन के प्रोन्नति हेतु मूल कोटि सहित तीन स्तरीय अमीन, अमीन ग्रेड–1 एवं प्रधान अमीन पद सोपान सृजित किया गया है ।

बिहार में अमीन के कुल स्वीकृत पद–2502 है । वर्तमान में कार्यरत बल–1199 तथा रिक्त पदों का रोस्टर क्लियरेंस कर नियमित नियुक्ति हेतु वर्ष–2025 में कुल 765 पदों की अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को प्रेषित किया गया है ।

महोदय, अब तो माननीय सदस्य विपक्ष के लोग चले गये । अभी खनन विभाग का मामला उठा रहे थे । खनन विभाग का भी हमारे ही जिम्मे है, सेवा का अवसर दिये हैं । जानकारी हो कि महानंदा नदी में अवैध खनन की बात आपने कही थी । महोदय, आज मैं बता दूं कि हमारे प्रधान सचिव, दिवेश सेहरा जी बैठे हैं । इन्होंने फोन करके अभी जो रिपोर्ट मंगवाया है उसकी मैं जानकारी दे दूं कि महानंदा नदी में अवैध खनन का तत्काल में कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है और आज जो देख रहे हैं कि अवैध खनन हो रहा है तो किशनगंज, बहादुरगंज के 4–लेन सड़क निर्माण कार्य में एन0एच0ए0आई0 के द्वारा कोचाधामन–महिमापुर के 10 एकड़ से 69268 घन मीटर साधारण मिट्टी का उसका पैसा 96 लाख राजस्व जमा किया गया है ।

(व्यवधान)

ओवरलोड होगा, सी0सी0टी0वी0 कैमरा । मैं आपको जानकारी दे दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में खनन नीति लाये हैं और कोई वीडियो बनाकर भेजता है तो तुरंत 10 लाख बड़ी गाड़ी पर और ट्रैक्टर पर 05 लाख का फाइन करते हैं और जो भेजता है हमारा बिहारी योद्धा उसको 10 हजार का ईनाम, 05 हजार का ईनाम देते हैं । इस बार पुनः महोदय इसी महीने में मुख्यमंत्री जी के द्वारा 70 लोगों को, हम आग्रह करेंगे कि और खनन योद्धा को पैसा जायेगा और यह गोपनीय है, किसी को जानकारी नहीं है । मेरे प्रधान सचिव के द्वारा यह दिया जाता है ।

(व्यवधान)

अलग से आइयेगा, बता देंगे । आज राष्ट्रीय मानक के अनुरूप...

अध्यक्ष : ईमान जी बैठ जाइये । बिना अनुमति के मत बोलिये । कृपया बैठ जाएं ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : राज्य में शहरीकरण को बढ़ावा देते हुये राज्य सरकार प्रतिबद्ध है । वर्तमान में राज्य में 19 नगर निगम, 89 नगर परिषद एवं

156 नगर पंचायत कार्यरत है । राष्ट्रीय मानक के अनुरूप विकसित करने एवं शहरों को सुंदर बनाने तथा नागरिकों को मूलभूत एवं बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये सरकार कृतसंकल्पित है ।

महोदय, आज यह कहते हुये मुझे हर्ष हो रहा है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्पष्ट है कि हम अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनायेंगे । महोदय, बिहार की जनता को इतने बड़े जनादेश के लिये...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांत हो जाएं ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : एक बेहतर सुशासन से समृद्धि और विकसित बिहार का माहौल खड़ा करेंगे...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बिना अनुमति के नहीं बोलें । प्लीज बैठ जाएं ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बोलने का मौका मिला था आप सबों को ।

(व्यवधान)

आप सबों को बोलने का अवसर मिला था, अपनी बात उस समय रखनी चाहिये थी । अब सरकार का जवाब आपलोगों को सुनना चाहिये । शांति, शांति ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री : महोदय, कहने के लिए बहुत सारे हैं, हम दे देंगे, प्रोसीडिंग का पार्ट बना दीजिएगा । महोदय, मैं आग्रह करूंगा माननीय सदस्यों से कि आपकी चिंता और आपकी सहमति भूमि सुधार जन कल्याण संवाद में दिखाई पड़ा है । महोदय, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री अगर इस कार्य में लगे हैं, हमलोगों की जिम्मेदारी है कि जमीन पर अपराध भ्रष्टाचार मुक्त बिहार और भूमि रहित, भूमि विवाद रहित वातावरण बनाएं । महोदय, मैंने उनके लिए भी जो भूमि रहित, भूमि को भूमि विवादित बनाते हैं, हमने निर्देशित किया है, लॉ के अंदर प्रावधान है कि सात साल की सजा एफ0आई0आर0 करने का निर्देश दिया है ताकि ऐसे भू–माफिया पर अंकुश लग सके और यह सदन के बाद मार्च में फिर हम शुरू करेंगे और इस अभियान को माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से जमीन पर साकार करने के लिए हम कदम उठाएंगे, हम अपने माननीय सदस्यों से आग्रह करेंगे कि आप अपना कटौती प्रस्ताव वापस लें और इस भूमि सुधार में सहयोग करें । बहुत–बहुत धन्यवाद ।

(माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग एवं नगर विकास एवं आवास विभाग के भाषण का अंश–परिशिष्ट द्रष्टव्य)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार उत्तर समाप्त हुआ ।

क्या माननीय सदस्य श्री राहुल कुमार अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''इस शीर्षक की मांग 10/– रुपए से घटाई जाए ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 2190,15,01,000/– (दो हजार एक सौ नब्बे करोड़ पन्द्रह लाख एक हजार) रुपए से अनधिक राशि प्रदान की जाए ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक–13 फरवरी, 2026 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या–49 (उनचास) है । अगर सदन की सहमति हो, तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक–16 फरवरी, 2026 को 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय,

- आज विजया एकादषी का पावन अवसर हैं। आज ही के दिन जगतपिता महादेव की प्रेरणा से भगवान श्रीराम को आसुरी प्रवृत्तियों पर विजय के लिए एकादषी व्रत करने का निर्देष मिला था।
- साथ ही आज दिन भी शुक्रवार है, जो महालक्ष्मी की विशेष कृपा का दिन होता है।
- इसलिए इस दुर्लभ अवसर पर मैं सरकार की ओर से, इस सदन की ओर से और अपनी ओर से राज्य के सभी नागरिकों के लिए सुख, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि और सौभाग्य की कामना करता हूँ।
- साथ ही यह शुभेच्छा व्यक्त करता हूँ कि हम सभी अन्याय, अपराध और आसुरी वृत्तियों पर विजय पाकर नशामुक्त, भयमुक्त और भ्रष्टाचार से मुक्त बिहार बनाने की दिशा में आगे बढ़ सके।

- हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी 'सबका साथ सबका विकास को अपने नीति और नेतृत्व की धुरी मानते हैं। वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी 'न्याय के साथ विकास' को सुशासन का आधार मानते हैं। इन दोनों के संकल्प से प्रेरणा लेकर हम मानते हैं कि

"शाति नहीं तब तक, जब तक
सुखभाग न नर का सम हो
नहीं किसी को बहुत अधिक हो,
नहीं किसी को कम हो"

# वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की मांग संख्या-40 पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से माननीय उपमुख्यमंत्री का वक्तव्य

- माननीय अध्यक्ष महोदय, जमीन ऐसी चीज है जो अचल होकर भी समाज में एक साथ आकर्षण, आकांक्षा, आदर, अतिक्रमण, असंतोष और अपराध को आमंत्रित करती है ।
- इसलिए जब मुझे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जिम्मेवारी मिली तो मन में कहीं न कहीं एक द्वंद्व (द्वंद) भी था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के विश्वास तथा जन-अपेक्षाओं पर खरा कैसे उतरा जाए ।
- इसी द्वन्द्व की स्थिति में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक सूत्र वाक्य ने मेरे द्वंद्व को दृढ़ता में बदल दिया ।

- हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं- मक्खन पर लकीर तो सब खींचते हैं...खींचनी है तो पत्थर पर लकीर खींचो । कठिन है तो क्या हुआ शुरुआत तो करो । यही भाव तुम्हें कठिन कार्य करने का विश्वास जगाएगा ।
- इसी सूत्र को अपना ध्येय वाक्य बनाकर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विगत 24 नवंबर को राजस्व एवं भूमिसुधार विभाग का दायित्व संभाला ।
- महोदय मेरे विभाग का सीधा सरोकार आम लोगों से है ।
- इसमें कानून की जटिलता भी है...प्रक्रियाओं के अनुपालन की अपेक्षा भी है..और जमीन के प्रति हमारे समाज के भावनात्मक जुड़ाव का दबाव भी है।

- इसलिए हमने विभाग में अपने वरीय पदाधिकारियों के साथ शुरुआती बैठकों में ही स्पष्ट कर दिया था कि सरल, सुलभ, पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध राजस्व प्रशासन सुनिश्चित कराना हमारी प्राथमिकता होगी ।
- हमारी भूमि प्रबंधन की व्यवस्था ऐसी बने जो विश्वसनीय भी हो..और विवाद रहित भी हो ।
- बिचैलियों और भूमाफियाओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की व्यवस्था खड़ी हो
- राजस्व प्रशासन आज के दौर के अनुरूप डिजिटल और फिजिकल तकनीक से संपुष्ट हो ।
- इन तमाम विषयों को अपने कार्यकाल के पहले 100 दिनों में हमने जमीनी स्तर से समझने के लिए आमलोगों के बीच जाकर प्रत्यक्ष संवाद करने का निर्णय लिया ।

- यही प्रयास विगत 12 दिसंबर से " भूमिसुधार जनकल्याण संवाद के रूप में प्रमंडलवार आयोजित किया जा रहा है "।
- आने वाले दिनों में इसे जिलावार भी करेंगे ।
- इसमें हमने राजस्व प्रशासन से जुड़ी तीन मौलिक समस्याओं को लक्षित किया
- पहला- दाखिल-खारिज, दूसरा- परिमार्जन और तीसरा-मापी
- कार्यक्रम की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी रखने के लिए हम इसे सोशल मीडिया पर लाइव कराते हैं ।
- संबंधित जिले से अंचलवार काउंटर बनाकर समस्याएं आमंत्रित की जाती हैं ।
- समस्याओं की श्रेणी और जटिलता के अनुरूप चयनित समस्याओं को विभाग के मंत्री, वरीय पदाधिकारियों और प्रमंडल स्तर तक सम्बद्ध

अधिकारियों की उपस्थिति में हल कराने का प्रयास किया जाता है ।

- एक जैसी समस्याओं को पहचान कर एक निश्चित गाइड लाइन दिया जाता है
- मुझे सदन को यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इस प्रयास के कारण ऑनलाइन दाखिल-खारिज का निष्पादन 75 प्रतिशत से बढ़कर 84 प्रतिशत हो गया है...साथ ही लंबित मामलों का अनुपात 25 प्रतिशत से घटकर 16 प्रतिशत रह गया है ।
- परिमार्जन प्लस पोर्टल के अंतर्गत भी समयबद्धता को सुनिश्चित किया गया है । सामान्य त्रुटि के मामलों में 15 दिन और जटिल मामलों में अधिकतम 75 दिनों की समय सीमा निर्धारित की गई है ।

- इससे आज परिमार्जन-प्लस का निष्पादन 10 प्रतिशत से बढ़कर 75 हो गया है ।
- विवाद-रहित दाखिल-खारिज के लिए 14 दिनों की समय-सीमा तय कर दी गई है ।
- अवैध हस्तांतरण पर पूर्ण रोक और अवैध जमाबंदी के रद्दीकरण की कार्रवाई को भी गति दी जा रही है ।
- भूमि-मापी के लिए समय-सीमा आधारित ई-मापी (e-Mapi) की व्यवस्था बनाई गई है ।
- जिसके तहत निर्विवाद भूमि मापी के लिए 07 दिन, विवादित भूमि मापी के लिए 11 दिन और मापी की रिपोर्ट अपलोड करने के लिए 14 दिनों की समय सीमा को निर्धारित किया गया है ।

- मुझे सदन में यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इस पूरे प्रयास से एग्रीस्टैक (Agristack) महाभियान को व्यापक लाभ मिला है ।
- मात्र 35 दिनों की छोटी सी कालावधि में 40 लाख किसानों की फार्मर रजिस्ट्री सम्भव हुई ।
- बीते दिसंबर से जनवरी के अंत तक परिमार्जन और दाखिल-खारिज के करीब 40 लाख लंबित आवेदनों में से 11.50 लाख (साढ़े ग्यारह लाख) मामलों का निष्पादन सम्भव हुआ ।
- इसलिए मैं आपके माध्यम से सदन को यह कहना चाहूंगा कि-

"यह महज आंकड़ों की पंक्ति नहीं,
आशाओं का विस्तार है,
जनकल्याण संवाद से,
बढ़ रहा हमारा बिहार है "।।

- अभी भूमि विवाद का बड़ा कारण जाली दस्तावेज हैं। अब जाली दस्तावेजों पर पूरी सख्ती बरतने की व्यवस्था की गई। फर्जी कागजात लगाकर परेशान करने वालों पर अनिवार्य प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश जारी किया गया है। इसका सकारात्मक परिणाम भी मिलने लगा है।
- शहरी क्षेत्र में वंशावली निर्गत करने की व्यवस्था तय करके ये जिम्मेदारी अंचलाधिकारियों को सौंप दी गई है।
- महोदय, राजस्व महाभियान हमारी लिए सबसे अहम प्राथमिकता है ।
- हमारे यहां जो लैंड रिकॉर्ड हैं उनमें से अधिकांश और प्रामाणिक रिकॉर्ड कैडेस्ट्रल सर्वे के जमाने के हैं(जो सन 1890 से 1920 के बीच कराया गया था )

- 1958 में जो रीविजनल सर्वे शुरू किया गया था...उसे 1975 में रोक दिया गया । जिससे करीब 10 जिलों का ही लैंड सर्वे हो पाया था । आगे कुछ जिलों में इसे शुरू करने का भी प्रयास हुआ । पर वह सफल नहीं हो पाया ।
- इसलिए आज एक सटीक, सहज और समयबद्ध लैंड सर्वे कराना हमारे लिए लाजिमी हो गया है ।
- इसी ध्यान में रखते हुए हम साफ नीयत, पारदर्शी नीति और स्पष्ट दिशानिर्देशों के साथ राजस्व महाभियान को गति देने में जुटे हैं ।
- हमने लगभग 46 लाख लंबित आवेदनों को चिह्नित किया है ।
- जिसके निष्पादन के लिए 31 मार्च 2026 की समयसीमा निर्धारित की गई है ।

- महोदय आपको यह जानकर खुशी होगी कि इस महाभियान के अंतर्गत अबतक 34 लाख से अधिक दस्तावेजों की स्कैनिंग हो चुकी है ।
- कई जिलों में तो प्रगति की दर 90 प्रतिशत से भी अधिक है ।
- इस मामले हम यह कह सकते हैं कि हम बड़ी तेजी से "लंबित" (बैकलॉग) से "लक्षित" (टारगेट) ओरियेंटेड बनने की राह पर हैं ।
- राजस्व न्याय व्यवस्था में भी गुणात्मक सुधार का प्रयास हम ठोस रणनीति के साथ कर रहे हैं ।
- साथ ही आवेदन से लेकर आदेश तक पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी रखने के लिए डिजिटल और पेपरलेस व्यवस्था भी बनाई जा रही है । यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी अत्याधुनिक तकनीक से भी इसे जोड़ा जा रहा है । सभी अंचलों

# बिहार विधान सभा

शहरी आबादी - [illegible]

ग्रामीण आबादी -

नोट : (2011) जनसंख्या

ग्रामीण [illegible] → 9.2 करोड़ (88%)

शहरी [illegible] — 1.1 करोड़ (12%)

Total = 10.4 करोड़
(2025 में 14 करोड़)

क्षेत्रफल = 93.60
लाख हेक्टर
= 94.163 Square KM.

बजट (2025-26)

गैर योजना - 1578 करोड़
योजना - 867 करोड़
कुल - 2445.58 करोड़

व्यय

गैर योजना - 746 करोड़
योजना - 408 करोड़
कुल - 1154.89 करोड़

राजस्व प्राप्त

(क) लक्ष्य - 700 करोड़
प्राप्ति - 429.81 करोड़
62%

(ख) निलाम पत्र - 849.22 करोड़
शाखा

में के डाटा सहित अभिलेखों के सही सधारण हेतु आधुनिक अभिलेखागार का निर्माण किया गया है।

- अंचल से लेकर प्रमंडल स्तर तक नियमित सुनवाई, पुलिस की भूमिका कानून-व्यवस्था तक सीमित कर, भू-अर्जन एवं अन्य मामलों में समय पर अपील दायर करने की नीति से हम ससमय न्याय सुनिश्चित कराने के प्रयास में जुटे हैं
- इससे DCLR/ADM स्तर पर मामलों के निष्पादन में करीब चार-से-पांच प्रतिशत की गति से सुधार हुआ है (51.7 प्रतिशत से 55.9 प्रतिशत)।

➢ हमारा स्पष्ट मानना है कि-

"न्याय शांति का प्रथम न्यास है,
जब तक न्याय न आता,
जैसा भी हो, महल शांति का,
सुदृढ़ नहीं रह पाता ।

- इसी तरह सामाजिक न्याय से जुड़े अभियान बसेरा-2 एवं ऑपरेशन भूमि दखल-देहानी में भी काफी गतिशीलता आई है ।
- अब तक हम 70279 सुयोग्य परिवारों को अभियान बसेरा-2 के तहत भूमि आबंटन कर पाने में सफल हुए हैं ।
- इसके समानांतर शहीद सैनिकों के परिवार को गृह जिला में कृषि के लिए एक एकड़ या घर के लिए 05 डिसमिल जमीन देने की व्यवस्था की गई है।
- राज्य में उद्योग-धंधे को बढ़ाने के लिए सभी जिलों में लैंड बैंक बनाने का निर्देश दिया गया है। इस हेतु सरकारी भूमि की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

- महोदय, सुयोग्य, दक्ष और पर्याप्त मानवबल राज्य के हर नागरिक तक "इज ऑफ लिविंग"(सबका सम्मान जीवन आसान) की सुविधा पहुंचाने के माननीय मुख्यमंत्री जी के निश्चय के लिए बेहद जरूरी है ।

- इसको ध्यान में रखते हुए विभाग ने 22,342 स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त 16,584 पदों के लिए एक वर्ष के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा है । इस संबंध में संबंधित आयोगों को अधियाचना भी भेजे जा चुके हैं ।

➢ **राजस्व कर्मचारी (राज्य स्तरीय सवंर्ग)**

- बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली, 2025 (राज्य स्तरीय अराजपत्रित संवर्ग) का गठन किया गया है। इससे राजस्व कर्मचारी संवर्ग राज्य स्तरीय संवर्ग हो गया है।

- बिहार राजस्व कर्मचारी के 3303 नये पदों का सृजन किया गया है, जिससे राजस्व कर्मचारी का पूर्व से स्वीकृत पद 8472 से बढ़कर अब कुल पदों की संख्या-11775 हो गयी है। वर्तमान में कार्यरत बल-3767 (लगभग)। बिहार कर्मचारी चयन आयोग को वर्ष 2023 में 3559 पदों पर बहाली हेतु अधियाचना भेजी गयी है तथा शेष रिक्त पदों का रोस्टर क्लियरेंस कर नियमित नियुक्ति हेतु वर्ष-2025 में कुल-4492 पदों की अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को प्रेषित की गयी है।

➢ **अमीन :- (राज्य स्तरीय सवंर्ग)**

बिहार अमीन संवर्ग नियमावली, 2025 (राज्य स्तरीय अराजपत्रित संवर्ग) का गठन किया गया है, जिससे अमीन संवर्ग राज्य स्तरीय संवर्ग हो गया है। साथ ही अमीन के प्रोन्नति हेतु मूल कोटि सहित तीन- स्तरीय

(अमीन, अमीन ग्रेड-1 एवं प्रधान अमीन) पद सोपान सृजित किया गया है।

बिहार में अमीन के कुल स्वीकृत पद-2502 है । वर्तमान में कार्यरत बल-1199 (लगभग) तथा रिक्त पदों का रोस्टर क्लियरेंस कर नियमित नियुक्ति हेतु वर्ष-2025 में कुल 765 पदों की अधियाचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को प्रेषित की गयी है।

## खान एवं भूतत्व विभाग (वित्त वर्ष-2026-27)

- बिहार राज्य में 12 खनिज ब्लॉकों में से 09 सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की नीलामी केन्द्र सरकार द्वारा की जा रही है, जिसमें 03 ब्लॉकों की नीलामी सफलतापूर्वक की गई है, जिसमें रोहतास जिला में ग्लूकोनाईट के 02 (दो) ब्लॉक एवं गया जी जिला में निकेल-क्रोमियम का 01 (एक) खनिज ब्लॉक शामिल है।
- साथ ही, बिहार सरकार द्वारा 03 ब्लॉक में से 01 ब्लॉक की नीलामी कराया गया है एवं शेष 02 ब्लॉकों को एकीकृत कर नीलामी की कार्रवाई की जा रही है।
- इसके अतिरिक्त लघु खनिज बालू के लिए राज्य में विभिन्न जिलान्तर्गत कुल 407 बालूघाटों की नीलामी करायी गयी है।

- बालूघाटों पर सतत निगरानी एवं अनुश्रवण हेतु एकीकृत कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेन्टर की स्थापना की गई है ।
- सभी संचालित बालूघाटों पर अधिष्ठापित इंटरनेट मुक्त कैमरे का वीडियो फुटेज का कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेन्टर से विश्लेषण कर कार्रवाई की जाती है।
- अवैध खनन की सूचना देने वाले बिहारी खनन योद्धाओं को ट्रैक्टर के लिए 5,000 रुपये एवं अन्य बड़े वाहनों के लिए 10,000 रुपये का पुरस्कार दिये जाने का प्रावधान अन्तर्गत 59 लाभुकों को कुल 3,25,000 रुपये से पुरस्कृत किया गया है।

## नगर विकास एवं आवास विभाग (वित्त वर्ष-2026-27)

- राष्ट्रीय मानक के अनुरूप राज्य में शहरीकरण को बढ़ावा देते हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है ।
- वर्तमान में राज्य में 19 नगर निगम, 89 नगर परिषद एवं 156 नगर पंचायत कार्यरत है राष्ट्रीय मानक के अनुरूप विकसित करने एवं शहरों को सुन्दर बनाने तथा नागरि मूलभूत एवं बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए सरकार कृतसंकल्पित है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत अब तक कुल 4,18,394 आवासों की दी गयी है, जिसमें से 1,75,249 परिवारों को पक्का मकान हस्तगत कराया गया है।

- नमामि गंगे योजना अन्तर्गत राज्य के कुल 24 गंगा शहर में से 22 गंगा शहर है 8426.01 करोड़ रुपये की 39 एस०टी०पी० एवं सिवरेज नेटवर्क योजना स्वीकृत है,
- जिनमें से 24 योजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।
- स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अन्तर्गत पटना शहर के अतिरिक्त आस-पास के नगर निकायों से उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु पी०पी०पी० मोड पर कार्य हेतु Integrated Solid Waste Management परियोजना की स्वीकृति दी गयी है, जिसमें बिजली उत्पादन का भी प्रावधान है।
- स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत राज्य के 261 नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए 2938 Tonnes Per Day (TPD) का Material Recovery

Facility (MRF) Plant 3387 Tonnes Per Day (TPD) का Compost Plant 100 Tonnes Per Day (TPD) का Biomethenation 1311 Tonnes Per Day (TPD) dk Sanitary Landfill की स्वीकृति दी गयी है ।

- राज्य के 04 शहरों (पटना, बिहारशरीफ, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर) में स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अन्तर्गत कुल 122 योजनाएं स्वीकृत की गयी थी, जिसमें से 101 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है।
- राज्य के नगर निकाय क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को सुचारू एवं सुव्यवस्थित करने हेतु अब तक स्वीकृत 43 बस स्टैंड निर्माण में से 34 योजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है।
- राज्य के 143 नगर निकायों में बहुउद्देश्यीय भवन के रूप में सम्म्राट अशोक भवन योजना की स्वीकृति

दी गयी है, जिसमें कुल 44 सम्राट अशोक भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है।

- फुटपाथ विक्रेताओं की सुविधा हेतु नगर निकायों में कुल 66 वेंडिंग जोन निर्माण की स्वीकृति दी गयी है, जिसमें से कुल 25 वेंडिंग जोन निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है।
- राज्य के 20 नगर निकायों में महिलाओं हेतु कुल 105 पिंक टॉयलेट निर्माण योजना की स्वीकृति दी गयी है।
- पटना शहर में व्यवस्थित एवं त्वरित यातायात व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पटना मेट्रो रेल परियोजना का निर्माण कार्य 32.50 किलोमीटर में प्रारम्भ है जिसमें से कुल 3.45 किलोमीटर में मेट्रो रेल का परिचालन 06 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ है।

- मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना अंतर्गत राज्य के विभिन्न नगर निकायों में 2091.90 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय पर कुल 3,208 योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 के अन्तर्गत 41 शहरों ध् महत्वपूर्ण नदी घाटों पर स्वीकृत शवदाहगृह निर्माण योजना में से 10 योजना का कार्य पूर्ण हो गया है।
- राज्य के नगर निकायों में जल जमाव की समस्या के समाधान हेतु 3,559.95 करोड़ रुपये की लागत पर 38 स्ट्रॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना की स्वीकृति दी गयी है।

- अंत में मैं इस सदन के माध्यम से बिहार की जनता से इतना ही कहना चाहूँगा किः-

"हम सबने मिलकर संकल्प लिया,

जन विश्वास की रेखा खींची,

बिहार की इस धरती पर,

विकास की एक नई गाथा लिखी।"

**अब मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि -**

माननीय सदस्यगण, अपना-अपना कटौती प्रस्ताव वापस ले लें और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अनुदान की मांग को स्वीकृत करने पर अपनी सहमति प्रदान करें।

## कला-संस्कृति /खेल विभाग से संबंधित

- आज संयोग से कला एवं संस्कृति विभाग की मांग पर चर्चा का भी दिन है ।
- पिछली सरकार में महोदय मेरे पास कला-संस्कृति विभाग का दायित्व भी था ।
- उस समय हमलोग देश की सबसे अद्यतन और सबसे अधिक अनुदान देने वाली फिल्म नीति लेकर आए थे ।
- अभी विभाग के वर्तमान मंत्री अरुण शंकर प्रसाद जी बता रहे थे कि आज इस फिल्मनीति का लाभ उठाकर बिहार की विभिन्न भाषाओं में 40 से अधिक फिल्में बन रही हैं ।
- उसी तरह खेल विभाग की मांग पर भी चर्चा का दिन है
- हमारी खेल मंत्री श्रेयसी जी भी यहां बैठी हैं...जो खुद अंतरराष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी भी रही हैं ।

- बीते एक वर्ष में खेलों से जुड़ी अवसंरचना और आयोजनों के मामले में पूरे देश में बिहार सुर्खियों में रहा है ।
- चाहे महिला कबड्डी विश्वकप का सफल आयोजन हो...पुरुषों का एशिया कप हॉकी हो...या खेलो इंडिया यूथ गेम हो...रग्बी प्रतियोगिता का आयोजन हो...अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हो या खेल विश्वविद्यालय की बात हो
- खेल के मामले में हमारा बिहार आज राष्ट्रीय पहचान बनाने में सफल हो रहा है ।

# बिहार (फैक्ट-शीट)

## 1. ग्रामीण परिदृश्य

- ग्रामीण आबादी- करीब 85 प्रतिशत (2011 की जनगणना के अनुसार 88.7 प्रतिशत
- ग्रामों की संख्या- 44,874
- ग्राम पंचायतों की संख्या-8,387
- ग्रामीण अंचलों का कुल क्षेत्रफल- 90 हजार वर्ग किलोमीटर से अधिक (2011 की जनगणना के अनुसार 92,257 वर्ग किलोमीटर)

## 2. नगर परिदृश्य

- शहरी आबादी- करीब 15.6 प्रतिशत (2011 की जनगणना के अनुसार 11.3 प्रतिशत)
- नगर निकायों की संख्या- 264 (नगर निगम- 19/ नगर परिषद-89 और नगर पंचायत-156)

- एक अनुमान के मुताबिक बिहार में विभिन्न न्यायालयों में कुल 46 लाख लंबित मामले हैं । जिनमें से 40 लाख से अधिक मामलों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जुड़ाव जमीन से जुड़े विवादों से है ।

- NCRB के आंकड़ों की मानें तो वर्ष 2021 (केवल एक वर्ष में) 815 हत्याएं जमीन से जुड़े विवादों के कारण हुई हैं ।

## नगर निकायों द्वारा आंतरिक श्रोत में प्राप्त राजस्व

सभी नगर निकायों द्वारा होल्डिंग टैक्स/सैरात आदि से आंतरिक श्रोत वित्तीय वर्ष 2024–25 में 290.17 करोड़ (दो सौ नब्बे करोड़ सतहर लाख रूपये) प्राप्त किया गया है। जबकि वित्तीय वर्ष 2025–26 में अब तक 316.05 करोड़ (तीन सौ सोलह करोड़ पाँच रूपये) प्राप्त किया गया है।

# राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

## वित्तीय वर्ष 2025–26 में बजट (आय–व्यय–31.01.2026 तक)

### उपबंधित राशि

| | | |
|---|---|---|
| 1 | गैर–योजना मद | ₹ 15,78,14,40,400/-<br>(पंद्रह अरब अठहत्तर करोड़ चौदह लाख चालीस हजार) |
| 2 | योजना मद | ₹ 8,67,44,37,000/-<br>(आठ अरब सरसठ करोड़ चौवालीस लाख सैंतीस हजार) |
| | योग :– | ₹ 24,45,58,77,400/-<br>(चौबीस अरब पैंतालीस करोड़ अन्ठावन लाख सतहत्तर हजार चार सौ) |

### व्यय की गयी राशि

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | गैर–योजना मद | ₹ 7,46,47,00,000/-<br>(सात अरब छियालीस करोड़ सैंतालीस लाख) | व्यय प्रतिशत–47.30% |
| 2 | योजना मद | ₹ 4,08,42,64,000/-<br>(चार अरब आठ करोड़ बियालीस लाख चौंसठ हजार) | व्यय प्रतिशत–47.08% |
| | योग :– | ₹ 11,54,89,64,000/-<br>(ग्यारह अरब चौवन करोड़ नवासी लाख चौसठ हजार) | व्यय प्रतिशत–47.22% |

## राजस्व प्राप्तियाँ

**भू–राजस्व (लगान)**--2025--26

**लक्ष्य**--700.00 करोड़

**प्राप्ति– 429.81** करोड़ (61.40%)

**नीलाम–पत्र** वादों से प्राप्त राशि (वर्ष 2025--26)-- 849.22 **करोड़**